LOK SABHA DEBATES

(Part I — Proceedings with Questions and Answers)

The House met at Eleven of the Clock

Thursday, December 18, 2025 /Agrahayana 27 , 1947 (Saka)

HON'BLE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri N. K. Premachandran

Shri Jagdambika Pal

Shri P. C. Mohan

Shrimati Sandhya Ray

Shri Dilip Saikia

Kumari Selja

Shri Raja A.

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

Shri Krishna Prasad Tenneti

Shri Awadhesh Prasad

LOK SABHA DEBATES

PART I – QUESTIONS AND ANSWERS

Thursday, December 18, 2025 / Agrahayana 27, 1947 (Saka)

CONTENTS **PAGES**

OBITUARY REFERENCES	**1**
ORAL ANSWERS TO STARRED QUESTIONS (S.Q. NO. 261 – 266)	**1A – 30**
WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS (S.Q. NO. 267 – 280)	**31 – 50**
WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS (U.S.Q. NO. 2991 – 3220)	**51 – 280**

Uncorrected – Not for Publication **LSS-D-II**

सत्यमेव जयते

LOK SABHA DEBATES

(Part II - Proceedings other than Questions and Answers)

Thursday, December 18, 2025 / Agrahayana 27, 1947 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

PART II – PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

Thursday, December 18, 2025 / Agrahayana 27, 1947 (Saka)

C ON T E N T S **P A G E S**

RULING RE: NOTICES OF ADJOURNMENT MOTION	281
PAPERS LAID ON THE TABLE	281 - 315
MESSAGES FROM RAJYA SABHA	316
STANDING COMMITTEE ON AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY AND FOOD PROCESSING 22nd to 26th Reports	316 - 17
STANDING COMMITTEE ON EXTERNAL AFFAIRS 9th to 11th Reports	317 - 18
STANDING COMMITTEE ON EXTERNAL AFFAIRS Statement	318
STANDING COMMITTEE ON RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ 24th Report	318
STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 12TH REPORT OF STANDING COMMITTEE ON AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY AND FOOD PROCESSING – LAID Shri Ravneet Singh	319
STATEMENTS RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 3RD AND 17TH REPORTS OF STANDING COMMITTEE ON HOUSING AND URBAN AFFAIRS – LAID Shri Tokhan Sahu	319

MOTION RE: REPORT OF JOINT COMMITTEE ON THE CONSTITUTION (ONE HUNDRED AND THIRTIETH AMENDMENT) BILL, 2025; THE JAMMU AND KASHMIR REORGANIZATION (AMENDMENT) BILL, 2025; AND THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES (AMENDMENT) BILL, 2025 – EXTENSION OF TIME	**320**
…	**321**
BILL INTRODUCED	**322 - 24**
Securities Markets Code Bill	
RE: REFERENCE OF SECURITIES MARKETS CODE BILL TO STANDING COMMITTEE ON FINANCE	**325**
MATTERS UNDER RULE 377 – LAID	**326 - 40**
Shri Ganesh Singh	**326**
Shri Arun Kumar Sagar	**327**
Shri Kota Srinivasa Poojary	**328**
Shri Kali Charan Singh	**328**
Shri Bhartruhari Mahtab	**329**
Shri Anoop Pradhan Valmiki	**329**
Shri P. P. Chaudhary	**330**
Shri Lumbaram Choudhary	**330**
Shri Eatala Rajender	**331**
Shri Parimal Suklabaidya	**331**
Shri Jagdambika Pal	**332**
Dr. Manna Lal Rawat	**332**
Dr. C. M. Ramesh	**333**
Shri Vijayakumar *Alias* Vijay Vasanth	**333**
Dr. Mallu Ravi	**334**

Adv. Dean Kuriakose	334
Shri Rahul Kaswan	335
Adv. Adoor Prakash	335
Sushri S. Jothimani	336
Shri Rajeev Rai	336
Shri Sanatan Pandey	337
Sushri Mahua Moitra	337
Shri K. E. Prakash	338
Shri Ramprit Mandal	338
Shrimati Supriya Sule	339
Shri Ravindra Dattaram Waikar	339
Shri Raja Ram Singh	340
Shri Joyanta Basumatary	340
Shri Sanjay Dina Patil	340
…	341 - 42
VIKSIT BHARAT – GUARANTEE FOR ROZGAR AND AJEEVIKA MISSION (GRAMIN): VB – G RAM G (*विकसित भारत – जी राम जी*) BILL -- (Contd. - Concluded)	343 - 54
Shri Shivraj Singh Chouhan	343 - 53
Motion for Consideration – Adopted	353
Consideration of Clauses	354
Motion to Pass	354

(1100/CP/VR)

1100 बजे

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए।)

निधन संबंधी उल्लेख

1100 बजे

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे अत्यंत दु:ख के साथ सभा को अपने चार पूर्व साथियों के निधन के बारे में सूचित करना है।

श्री दारूर पुल्लैया आंध्र प्रदेश के अनंतपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से छठी और सातवीं लोक सभा के सदस्य रहे।

वे संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्तों संबंधी संयुक्त समिति के सदस्य भी रहे।

श्री दारूर पुल्लैया का निधन 12 मई, 2025 को कर्नाटक के बलारी में 86 वर्ष की आयु में हुआ।

प्रो. महादेवराव शिवणकर महाराष्ट्र के चिमूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 9वीं और 14वीं लोक सभा के सदस्य रहे।

वे संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे।

इसके पूर्व, उन्होंने महाराष्ट्र विधान सभा के सदस्य के रूप में 6 कार्यकाल के लिए अपनी सेवाएं दीं। वे महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी रहे।

प्रो. महादेवराव शिवणकर का निधन 20 अक्टूबर, 2025 को महाराष्ट्र के गोंदिया में 85 वर्ष की आयु में हुआ।

श्री कुसुमा कृष्ण मूर्ति आंध्र प्रदेश के अमालापुरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से छठी, सातवीं और नौंवी लोक सभा के सदस्य रहे।

वे विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे।

श्री कुसुमा कृष्ण मूर्ति का निधन 13 दिसंबर, 2025 को नई दिल्ली में 85 वर्ष की आयु में हुआ।

श्री शम-नूर शिव-शंकरप्पा कर्नाटक के दावणगेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 12वीं लोक सभा के सदस्य रहे।

वे मानव संसाधन विकास संबंधी संसदीय समिति के सदस्य भी रहे।

इससे पहले, उन्होंने कर्नाटक विधान सभा के सदस्य के रूप में 6 कार्यकालों तक कार्य किया। वे कर्नाटक सरकार में मंत्री भी रहे।

श्री शम-नूर शिव-शंकरप्पा का निधन 14 दिसंबर, 2025 को बेंगलुरु में 94 वर्ष की आयु में हुआ।

यह सभा अपने पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है और शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है।

अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में मौन रहेगी।

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।)

माननीय अध्यक्ष : ॐ शान्ति: शान्ति: शान्ति:।

(11(05/SK/PBT)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न काल। प्रश्न संख्या 261, श्री राम शिरोमणी वर्मा

(प्रश्न 261)

श्री राम शिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती) : माननीय अध्यक्ष जी, क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि विमुक्त घुमंतु, अर्द्ध घुमंतु और थारू जनजाति समुदाय के छात्रों को नेशनल ओवरसीज़ स्कॉलरशिप योजना का लाभ मिल रहा है? श्रावस्ती और बलरामपुर जैसे आकांक्षी जिलों में स्कॉलरशिप के लिए अब तक कितने छात्रों का चयन हुआ है? जनपद बलरामपुर के विकास खंड पचपेड़वा के ग्राम कोहरगड्डी में एकलव्य आवासीय विद्यालय की स्थापना की प्रक्रिया,वर्ष 2009 से लंबित है, इसकी स्वीकृति कब तक प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है?

श्री जुएल ओराम: माननीय अध्यक्ष जी, आज की लिस्ट में 3 नंबर प्रश्न का सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछा गया है। 1 नंबर में केवल बलरामपुर और श्रावस्ती के बारे में जिक्र है।

माननीय अध्यक्ष: क्या आपने 3 नंबर के बारे में पूछा है?

श्री जुएल ओराम: महोदय, 3 नंबर प्रश्न पूछा गया है। नेशनल स्कॉलरशिप 3 नंबर में है।

माननीय अध्यक्ष: ठीक है, आप जवाब दें।

श्री जुएल ओराम: माननीय अध्यक्ष, ठीक है। उस जिले में से कोई एप्लीकेंट नहीं है।

श्री राम शिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती) : माननीय अध्यक्ष जी, मेरे संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती और बलरामपुर जनपदों के थारू जनजाति बाहुल वन क्षेत्रों में जनजातीय कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, मोबाइल टॉवर सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं तथा उनकी आजीविका को सुदृढ़ करने हेतु थारू जनजाति समुदाय आधारित हस्तशिल्प, लघु वन उत्पाद, स्व-सहायता समूह और आजीविका समूहों को सशक्त बनाने के लिए क्या कोई प्रशिक्षण, विपणन और वित्तीय सहायता प्रदान की गई है? यदि हां, तो क्या इन योजनाओं में कार्यान्वयन में स्थानीय ग्राम पंचायतों, वन समितियों और जनजातीय संगठनों को भागीदारी दी जा रही है? विगत तीन वर्षों में किए गए कल्याणकारी कार्यों, कार्याधीन परियोजनाओं और आगामी प्रस्तावित योजनाओं का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है?

श्री जुएल ओराम: माननीय अध्यक्ष जी, श्रावस्ती जिले में रेजिडेंशियल स्कूल के टीचर्स के स्टाफ क्वार्टर्स बनाने के लिए 175 लाख रुपये दिए गए हैं। बलरामपुर में तीन स्कूलों में शौचालय और बाकी ब्लॉक्स बनाने के लिए 60 लाख रुपये दिए गए हैं। श्रावस्ती में स्कूल में शौचालय बनाने के लिए 20 लाख रुपये दिए गए हैं।

वन धन विकास केंद्र योजना ट्राइफेड की योजना है। 132 थारू ट्राइबल्स आर्टिसन्स का एक ग्रुप है, जिसमें 2716 फैमिलीज़ बेनिफिटेड हैं। थारू ट्राइब्स के लिए बलरामपुर में दस फैमिलीज़ एक एसोसिएशन में रजिस्टर्ड हैं और यह काम कर रहा है।

SHRI SALENG A. SANGMA (TURA): Thank you, Mr. Speaker, Sir. I have got a few questions regarding the Eklavya Model School. Last time, we had inaugurated few schools along with the Prime Minister of India, but none of them is functioning. Most of the Eklavya schools right now - which are already inaugurated - are not even half done. So, how do you expect the school to run

when the school infrastructure itself is not functioning or not completed? Therefore, Mr. Speaker, Sir, I would like to request the Minister of Tribal Affairs, to not fool the people by inaugurating the half done Eklavya schools.

श्री जुएल ओराम: सर, ऐसा नहीं है। 728 सेंटर्स में से 440 अभी चल रहे हैं। यह प्रश्न थारू के बारे में है।

SHRI SALENG A. SANGMA (TURA): Otherwise, Mr. Speaker, Sir, if the Government of Meghalaya or the, … (*Interruptions*) They should be at least taken into action.

श्री जुएल ओराम: सर, मेघालय को 200 करोड़ रुपये एकलव्य मॉडल स्कूल बनाने के लिए एडवांस दिए गए हैं।

(1110/VVK/SNT)

हाँ, पैसा है और आपकी सरकार भी वहाँ है, लेकिन हम सरकार को पैसा देते हैं, अगर सरकार वहाँ नहीं बनाएगी, तो हम क्या करेंगे? 728 सेंटर्स में से अभी 440 चल रहे हैं। जो नहीं चल रहे हैं, उनके बारे में स्पेशल रिव्यू बीच-बीच में हो रहा है और सरकार को यह हिदायत दी जा रही है कि वे उसे ठीक करें।

SHRIMATI BIJULI KALITA MEDHI (GUWAHATI): Thank you, Speaker Sir, for giving me the opportunity to raise a supplementary question. In my Lok Sabha constituency, Guwahati, out of ten Assembly constituencies, three constituencies are reserved for STs.

Sir, through you, I would like to ask a question to the Minister concerned. What special provisions have been made to empower tribal women in my constituency? Is there any provision for special training in handicrafts and for uplifting the cottage industry?

श्री जुएल ओराम : महोदय, भारत सरकार की दो स्कीम्स हैं। पहली स्कीम 'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान' है, जिसमें भारत सरकार 80 हजार करोड़ रुपये खर्च करने वाली है। उसमें 17 मंत्रालयों का कन्वर्जेंस होगा और 25 इंटरवेंशंस होंगे। हम प्रोग्राम यहाँ से नहीं बनाते हैं। प्रोग्राम गाँव से बनकर आता है। 63,843 गाँवों को हम कवर करेंगे, 549 जिलों को कवर करेंगे और 2,911 ब्लॉक्स को भी इसमें कवर करेंगे। प्रोग्राम नीचे से बनकर आता है, हम उसे इंप्लिमेंट करते हैं।

दूसरी स्कीम पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान) योजना, विशेष रूप से 75 पिछड़ी जनजातियों (PVTGs) के लिए है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAJGUA) जो अभी चल रहा है, इसमें 25 इंटरवेंशंस हैं, जैसा मैं एक्जाम्पल दे सकता हूँ, Rural Development मिनिस्ट्री है। आरडी मिनिस्ट्री जो प्रधान मंत्री आवास बनाएँगे, जितना उनका टार्गेट है, उसके अलावा वे हमारे मंत्रालय के टार्गेट को पूरा करेंगे। जितना प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनाना है, उसमें 25,000 किलोमीटर अलग से ट्राइबल के लिए बनाना है। हम मॉनीटरिंग करके उसे दे रहे हैं, लेकिन कहाँ क्या काम करना है, यह 63,000 लोकल गाँवों से जेनरेट होकर ऊपर आ रहा है और हम उसके हिसाब से पैसा सैंक्शन करके दे रहे हैं।

(इति)

(Q. 262)

SHRI Y. S. AVINASH REDDY (KADAPA): Sir, my first question is this. Thousands of people from Rayalaseema, Nellore, and Prakasam districts are working in Kuwait and other Gulf countries. At present, they are travelling to Gulf countries from major airports like Chennai, Bengaluru, and Hyderabad. There has been a long pending request to operate international flights to Kuwait and other Gulf countries from Tirupati Airport. Our Tirupati MP has also represented this matter to the hon. Civil Aviation Minister. I would like to know from the hon. Minister the present status of this request and by when international flights to Gulf countries can be started from Tirupati Airport, as this decision will substantially reduce the financial burden on our people and also reduce the inconvenience they are facing at present?

SHRI KINJARAPU RAMMOHAN NAIDU: Hon. Speaker, Sir, regarding international connectivity from the Rayalaseema area, since I also come from the State of Andhra Pradesh, I know exactly how important this issue is. We, in the Ministry, have been pursuing this issue with the airlines and are also exploring the existing capacity between the two countries, especially to Kuwait. When we talk about international travel, it is governed by bilateral agreements between the two countries as to what destination should be allowed to be travelled. From the Ministry's side, we are making every effort, and at the earliest possible time, we want to start this connectivity.

SHRI Y. S. AVINASH REDDY (KADAPA): Sir, after the recent crisis, it is clearly understood that our country is short of trained pilots. Inaugurating more flying training organizations and training more pilots is the need of the hour. In this regard, I would like to ask a question to the hon. Minister.

In December 2023, the then Civil Aviation Minister replied to an unstarred question stating that 'in June 2022, after a competitive bidding process, the Airports Authority of India had awarded one Flying Training Organization slot and FTO slot at Kadapa Airport. This FTO is under process of construction and is fulfilling other requirements for commissioning.' May I know when this FTO will begin functioning at Kadapa Airport? I would also like to know by when the new terminal building at Kadapa Airport, which is under progress, will be inaugurated.

(1115/RTU/VVK)

SHRI KINJARAPU RAMMOHAN NAIDU: Sir, this is not related to the existing Question, but I will answer both the questions that the hon. Member has asked. One is regarding the construction of the airport in Kadapa. We will be completing it by the end of March next year. The expected date of completion of the airport is March 31st, 2026.

Regarding the Flying Training Organisations, the Ministry has been very very focused on opening up more FTOs, exactly for the reason that this country would be needing more pilots in the coming years based on the aircrafts that are going to come into the country. Not only that, Sir, we want to improve the FTOs that are there in the country to global standards so that people from outside the country can also come and get trained here. It is exactly with this reason that this year, we have opened four new FTOs in the country and regarding the specific FTO that has been awarded before in Kadapa, I will get the details and pass it on to the hon. Member.

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Sir, lakhs and lakhs of people visit Velankanni Church, Mavoor Dargah, Thyagaraja Temple in Thiruvarur Central University and also Dr. Kalaignar M. Karunanidhi's Memorial. What I suggest is that by a cluster approach to this area, the hon. Minister should come forward to establish an airport at Thiruvarur so that the people from abroad and India will get benefitted. Will the hon. Minister answer affirmatively?

SHRI KINJARAPU RAMMOHAN NAIDU: Sir, when it comes to building a new airport in the country, the Ministry has always been very proactively working with the States. That is why, in 2014, we had 74 airports and now, we have more than 160 airports in the country because that approach is there from the Government, especially after the UDAN Scheme. After the UDAN Scheme, we have looked into the existing airstrips, which were from the pre-independence era also. We have, through the UDAN Scheme, converted these airstrips into operationalised airports.

When it comes to a greenfield airport, we all have to realise that it is the availability of land which is the first criterion when we look into the construction of an airport. If this Government of Tamil Nadu is interested in building an airport, it can send us a proposal so that we can start doing the feasibility study. Can construction of an airport, with regard to the technicalities of that

location, be possible or not? Once we start that process, definitely the Ministry will support in each and every way so that the airport can be built.

SHRI BALASHOWRY VALLABHANENI (MACHILIPATNAM): Thank you, Sir. Before asking the question, today is hon. Minister Shri Rammohan Naidu’s birthday, I want to wish him happy birthday. He is the youngest and the dynamic Minister in the Cabinet.

Sir, how many airlines are presently connected to UDAN scheme? Is it limited to smaller airlines or have bigger airlines like IndiGo and Air India also participated in this UDAN Scheme?

SHRI KINJARAPU RAMMOHAN NAIDU: I would like to thank the House for the wishes.

Regarding the question, all the airlines that are there in the country, that are operating in the country, are eligible to participate in the UDAN Scheme. All the airlines are today participating. The big airlines like IndiGo, SpiceJet, Akasa Air, and small airlines, are also participating. One interesting thing that I want to note here is that the Pawan Hans and the Heritage Aviation are into helicopter operations. Through the UDAN Scheme, we are also supporting helicopter operations in the country, especially in States in the North-East and Uttarakhand. So, all the airlines, including the helicopter operators, are all included in the UDAN Scheme. One interesting thing is that once we started the UDAN Scheme, new airlines have also come into the picture, especially smaller airlines like Star Air, Fly 91, IndiaOne Air, where they are operating with very, very limited capacity of airlines.

So, this is a scheme which has introduced smaller airlines to us in the picture. One advantage that we are going to have is that this UDAN Scheme is going to be extended for ten more years. So, definitely, there is going to be a situation where this will act as a fulcrum for more airlines, especially smaller airlines to come into the picture.

(ends)

(1120/KDS/RTU)

(प्रश्न 263)

श्री जयन्त बसुमतारी (कोकराझार): अध्यक्ष महोदय, मुझे मंत्री जी से जो उत्तर मिला है, उसमें कहा गया है, कि केवल 20 ट्राइबल विद्यार्थियों को नैशनल ओवरसीज़ स्कॉलरशिप द्वारा अब्रॉड भेजा जाता है। पूरे भारत में कम से कम 10 करोड़ ट्राइबल पॉपुलेशन है। अत: मेरी सरकार से मांग है कि विद्यार्थियों की संख्या 20 से बढ़ाकर कम से कम 50 विद्यार्थियों को अब्रॉड भेजा जाने का प्रावधान किया जाए।

श्री जुएल ओराम : ठीक है, हम आगे इस पर विचार करेंगे।

*SHRIMATI BAG MITALI (ARAMBAG):Sir, thank you for giving me the opportunity to speak. Approximately 20 scholarships are awarded each year under this scheme. Is such a limited number of scholarships justifiable for a national-level programme? Further, in the academic year 2025–26, less than 40 per cent of the selected underprivileged students received their national scholarship funds within the stipulated time.

Through you, I would like to ask the Hon. Minister to clarify the reasons for this serious delay and to inform the House of the current status of the disbursement of the pending scholarship funds.

श्री जुएल ओराम : सर, यह स्कॉलरशिप बहुत स्पेशल है। जो विद्यार्थी पीएचडी या अन्य मास्टर्स डिग्री के लिए बाहर जाकर पढ़ते हैं, उनका सेलेक्शन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री व यूनिवर्सिटी के द्वारा होता है। 6 लाख रुपये इनकम से नीचे वाले पैरेंट्स के बच्चों को यह फायदा दिया जाता है। 20 विद्यार्थियों की लिमिट वर्तमान में स्कॉलरशिप के लिए तो है, लेकिन पैसा देने का जो प्रावधान है, उसके अंतर्गत वर्ष 2023-24 में 7 करोड़ रुपये हमने दिए थे। वर्ष 2024-25 में 6 करोड़ रुपये देने का हम विचार कर रहे हैं। हम पैसा डायरेक्ट उनको नहीं देते हैं। विदेश मंत्रालय बिल रेज़ करता है कि इन विद्यार्थियों को हमने विदेश में फैसिलिटेट किया है और इनको सहायता दी गई है। वर्ल्ड की टॉप थाउजेंड रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ के लिए ही इसका प्रावधान है। इसे हम भविष्य में थोड़ा बढ़ा सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले प्रश्नकर्ता को भी बताया था। सरकार इस पर टाइम टू टाइम विचार करेगी। अभी की स्कीम में इनकी संख्या 20 है।

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): Sir, for getting approval for Eklavya Model Residential School, the Union Government follows the criteria that the block should have 50 per cent of ST population and at least 20,000 tribal persons. Sir, as per that criteria, in my constituency Idukki, in Devikulam block, we have applied for getting an approval for an EMRS. But it is being denied. Sir, as per the criteria followed by the Government of India, we are eligible. Will the Union Minister take initiative to get an approval for an EMRS in my constituency?

---

* Original in Bengali

श्री जुएल ओराम : सर, डीओपीटी के हिसाब से वर्तमान में एक ब्लॉक में 50 परसेंट से ऊपर ट्राइबल पॉपुलेशन होनी चाहिए, प्लस मिनिमम 20 हजार पॉपुलेशन का ब्लॉक होना चाहिए, यह क्राइटेरिया है। अगर माननीय सदस्य बोल रहे हैं कि उनका क्षेत्र ऐसे क्राइटेरिया में फिट हो रहा है, तो हम उनको दे सकते हैं, मना नहीं कर रहे हैं। मेरे ख्याल से उनका जो प्रश्न है, उस हिसाब से उस ब्लॉक में टोटल पॉपुलेशन का 50 परसेंट ट्राइबल्स हैं या नहीं, उसे देखना पड़ेगा। अगर 20 हजार के क्राइटेरिया में फिट हैं, तो हमें देने में कोई आपत्ति नहीं है।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी संक्षेप में बिल्कुल सटीक जवाब दे रहे हैं। अत: आप भी कृपया एक लाइन में पूछें।

श्री भजन लाल जाटव जी।

श्री भजन लाल जाटव (करौली-धौलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जनजातीय छात्रों के लिए इन्होंने जो धनराशि बताई है, जिसमें वर्षवार लिखा हुआ है कि वर्ष 2016-2017 में 39 लाख रुपये, वर्ष 2017-18 में एक करोड़ रुपये, वर्ष 2018 में 2 करोड़ रुपये आदि। यह बताया गया है। विदेश में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या बताई गई है।

(1125/VB/AK)

राजस्थान के संबंध में, मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि वर्ष 2015-16 में एक, वर्ष 2016-17 में ज़ीरो, वर्ष 2017-18 में दो, वर्ष 2018-19 में दो, वर्ष 2019-20 में ज़ीरो, वर्ष 2020-21 में ज़ीरो, वर्ष 2021-22 में एक, वर्ष 2022-23 में ज़ीरो, वर्ष 2023-24 में एक, वर्ष 2024-25 में ज़ीरो और वर्ष 2025-26 में एक है।

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि एक तरफ तो आप इसमें चार करोड़ रुपए खर्च दिखा रहे हैं। क्या इस देश में, विदेश में पढ़ाई के लिए जनजातीय छात्रों की कमी है? क्या सरकार जनजातीय छात्रों को विदेश में पढ़ाई के लिए नहीं भेजना चाहती है? आपके आँकड़े के अनुसार, आपने राशि चार करोड़ रुपए दिखाए हैं और छात्र एक-एक की संख्या में मिलते हैं। कई स्टेट ऐसे हैं, जहाँ इसकी संख्या ज़ीरो है। क्या सरकार जनजातीय छात्रों के साथ न्याय करना चाहती है? क्या वे पढ़े-लिखे नहीं हैं? आप एक तरफ डिजिटल इंडिया और विकसित भारत कहते हैं। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपकी बात पूरी हो गई। अब आप कृपया बैठ जाइए।

माननीय मंत्री जी, कृपया आप अपना उत्तर दें।

श्री जुएल ओराम : यह प्रश्न नेशनल और ओवरसीज़ स्कॉलरशिप के बारे में है। अभी तक उसमें भारत सरकार के द्वारा 20 छात्रों के चयन का निर्णय है। हम उसको बढ़ाएंगे।

माननीय सदस्य का जो दूसरा प्रश्न है, उसके बारे में मैं एश्योर कर चुका हूँ कि हम इसको 50 की संख्या तक बढ़ाएंगे।

यह एक ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम- travel.nic.in है, इसके माध्यम से ओवरसीज़ स्कॉलरशिप के फॉर्म को डाउनलोड करते हैं और अप्लाई करते हैं। यह यूनिवर्सिटी के द्वारा अप्लाई किया जाता है। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का भी इंवॉल्वमेंट होता है। यह एक स्पेशल स्कॉलरशिप है। प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक व अन्य छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत हम लाखों-करोड़ों में राशि दे रहे हैं। लेकिन यह स्पेशल स्कॉलरशिप है। यह प्रश्न स्पेशल स्कॉलरशिप के बारे में है, जो अभी 20 की संख्या में है, जिसे हम बढ़ाएंगे। आप तो इतना भी नहीं करते थे। ये लोग तो 50 साल तक मंत्रालय भी नहीं बना पाए थे। जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, तो उन्होंने इसका मंत्रालय बनाया। इसके लिए अलग से बजट एलोकेट हुआ और अलग से कैबिनेट मंत्री बना। ये ट्राइबल्स के बारे में क्या बात करते हैं?

(इति)

(Q. 264)

KUMARI SELJA (SIRSA): Sir, while I would like to compliment the Minister on his dynamism and good intentions, unfortunately those good intentions are not reflected by the officers on the ground.

मेरा सवाल मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत मेन हाइवे से संबंधित है, जो नैशनल हाइवे नम्बर 8 है। वह दुर्दशा की स्थिति में है। मैंने इस मामले को बार-बार उठाया है। मैंने इसे 'दिशा' की मीटिंग में और यहाँ पर भी उठाया है। इस रोड पर जिस तरह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, इसकी मेनटेनेंस बिल्कुल पूअर है। नीचे से जवाब आ जाता है कि सब ठीक है। सर, सब ठीक नहीं है। उस पर एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं।

वहाँ पर जो अंडरब्रिजेज बनने हैं, वे एक्सीडेंट्स को भी मिटीगेट करेंगे और इससे लोगों को सुविधा भी होगी। डींग, चोरमार, सहूवाला, प्रथम, ओडन, सालमखेड़ा में जो अंडरब्रिज बनाने के काम स्वीकृत हुए हैं, खास तौर से डींग में, आप कब तक इनके काम शुरू करवाएंगे और ये कब तक पूरे होंगे। यह मेरा पहला सवाल है। I still flag poor maintenance.

श्री नितिन जयराम गडकरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सदस्य ने जिस रोड का उल्लेख किया है, उसमें ये समस्याएं जरूर हैं। वर्ष 2017 में यह रोड बना था और वर्ष 2022 में इसकी डिफेक्ट लायबिलिटी पीरिएड समाप्त हो गई थी। वर्ष 2022 के बाद इसको मेन्टेन करने के लिए एक एजेंसी को काम दिया गया है। उसके बाद उसमें काफी त्रुटियाँ ध्यान में आई हैं।

मैं सम्माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो काम के बारे में कहा है, उसकी शुरुआत हुई है। उन्होंने जिन अंडरपासेज की बात की, मार्च, 2026 के पहले, सहूवाला, प्रथम, ओडन, चोरमर खेड़ा, सावंतखेड़ा और डींग में बाईपास के निर्माण के लिए डीपीआर तैयार करने के लिए दिया है। मार्च तक इसका काम करने की कोशिश करेंगे।

उन्होंने जो लाइट के बारे में बताया है, उसके बारे में भी लाइन को दुरुस्त किया गया है। आपने जिस जगह पर मांग की थी, उस जगह पर लाइट भी लगाने के आदेश दिए गए हैं।

(1130/SJN/SM)

इसके साथ ही साथ ब्लैक स्पॉट्स भी आइडेन्टीफाई करने के लिए खेड़ेकन गांव में सिक्स वीयूपी को भी स्वीकृत करके उसका काम अवार्ड किया गया है। जो पहले से लाइटिंग लगी थीं, उनको भी रिपेयर किया गया है and additional lighting will be provided on four underpasses.

मैं सम्मानित सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि उन्होंने जो बातें बताई हैं, तुरंत वे काम हो जाएंगे। जहां तक मरम्मत की बात है, हमने इस विषय को गंभीरता से लिया है। Now, we have ensured that for every section of NH, a responsible maintenance agency is in place. Performance Based Maintenance Contract (PBMC) हम पांच-सात साल के लिए देने वाले हैं। Payment shall be linked to performance, and penalties for

failure to achieve the desired level of performance shall be deducted from the monthly payment.

इसमें यह संभावना है कि ये सब करते समय, उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन होने के कारण अनेक बार कई लैप्सेज़ हो जाते हैं, इसलिए इसका अध्ययन चल रहा है। हम एक महीने के भीतर एक मॉडर्न पॉलिसी लाएंगे, there will be minimum human intervention to check defects. A vehicle has been prepared, equipped with 3D laser scanners, GPS, cameras, etc., for collecting data on road conditions.

हम पूरी रोड्स का कॉन्ट्रैक्ट देंगे। हमारे सर्वर में तुरंत इसका डेटा आएगा, इसलिए कोई मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा और उसके आधार पर मरम्मत का कार्य किया जाएगा। Data will be captured in real time, leaving no scope for manipulation. There will be high-resolution videos and photographs to record road roughness, rutting, potholes, cracking, signage, crash barriers, lighting, encroachments, and roadside plantation.

ये सारी जानकारी सीधे हमारे सर्वर पर आएगी। हम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट चेक करके कार्रवाई करेंगे before start of the work, before issue of completion certificate and at a regular interval of six months after completion.

हम टेक्निकली एआई का उपयोग करके पूरे राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत कर रहे हैं। इसमें जो त्रुटियां हैं, आपने जो कहा है, हमने प्रोजेक्ट में सुधार कर दिया है। इसके बाद हम बाकी प्रोजेक्ट्स की भी मरम्मत इस प्रकार से करेंगे।

कुमारी सैलजा (सिरसा) : महोदय, अभी थोड़ी क्लैरिटी नहीं है। पहले डींग में अंडरब्रिजेज़ की बात हो रही थी, लेकिन अभी माननीय मंत्री जी ने बाईपास की बात की है। बाद में मुझे उसके बारे में थोड़ी क्लैरिटी चाहिए।

महोदय, मेरा जो पूरक प्रश्न है, वह मेरे संसदीय क्षेत्र सिरसा से ही संबंधित है। वहां दक्षिण बाईपास बनाने की योजना बहुत समय से लंबित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 703 है। अगर माननीय मंत्री जी अभी मुझे उसके बारे में बता देंगे, तो अच्छा होगा या वे लिखित रूप से भी जवाब दे सकते हैं। अगर आप अभी उसके बारे में बता पाएंगे, तो बहुत अच्छा होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 703 प्रस्तावित है।

श्री नितिन जयराम गडकरी : अध्यक्ष महोदय, एक बाईपास हुआ है। सम्मानित सदस्य ने दूसरे बाईपास बनाने की मांग की है। उसकी फिजिबिलिटी चेक करके फिर निर्णय किया जाएगा। जहां तक आपने डींग के बारे में कहा है, हम उस बाईपास के लिए डीपीआर बना रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जिस अंडरपास की बात कर रही हैं। … (व्यवधान)

कुमारी सैलजा (सिरसा) : महोदय, आप बाईपास की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं अंडरब्रिज की बात कर रही हूं। … (व्यवधान)

श्री नितिन जयराम गडकरी : महोदय, हम अंडरब्रिज भी बना देंगे। डीपीआर में वह शामिल होगा। आपने नॉर्दन बाईपास की बात है, अभी उसका पीसीयूज़ केवल 8,000 है। हम उसकी फिजिबिलिटी फिर से चेक करेंगे। … (व्यवधान)

कुमारी सैलजा (सिरसा) : महोदय, मैं दक्षिण बाईपास की बात कर रही हूं।

श्री नितिन जयराम गडकरी : महोदय, नॉर्दन बाईपास कंस्ट्रक्ट हुआ है, उसका पीसीयूज़ 8,000 है। सदर्न बाईपास के लिए कितना पीसीयूज़ मिलता है, हम उसकी फिजिबिलिटी चेक करेंगे। हम उसका अध्ययन करेंगे। यदि वह संभव होगा, तो उसको बनाने का प्रयास करेंगे।

SHRI AMARSING TISSO (DIPHU): Speaker Sir, National Highway 29 was taken up by NHIDCL PMU-Diphu from Doboka Junction to Lahorijan region of Assam. May the hon. Minister of Road Transport and Highways kindly explain why large stretches of the highway are exhibiting removal of the surface layer, potholes, unfinished works and inadequately protected cut sections, along with other serious construction deficiencies, even though the project has been declared completed?

Further, may the hon. Minister also inform the House whether any independent quality audit has been carried out, and whether accountability has been fixed on the contractor and the concerned officials, including the timelines for permanent rectification and for ensuring the safety of road users?

(1135/DPK/GM)

श्री नितिन जयराम गडकरी : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विषय और यह प्रश्न केवल हरियाणा के एक नेशनल हाईवे से संबंधित है। सम्माननीय सदस्य असम के बारे में पूछ रहे हैं, ऐसे 4,500 करोड़ रुपए का काम शुरू है। मेरे पास हर प्रोजेक्ट की जानकारी तो नहीं है, लेकिन इन्होंने जो रिफरेंस दिया है, मैं उसकी इन्क्वायरी करके उस पर कार्रवाई करूंगा। मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि क्वेश्चन ऑवर समाप्त होने के बाद आप मेरे ऑफिस में आइए। वहां कंसर्निंग ऑफिसर्स भी आते हैं। मैं आपको तुरंत उसकी जानकारी भी दूंगा और कुछ करना होगा, तो प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा।

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Hon. Speaker Sir, national highway construction in Kerala is facing serious issues. Within six months, serious incidents have happened at three places. One incident happened in Kooriyad. The second incident happened in Aroor–Thuravoor Highway in my constituency where a girder collapsed and a person was killed. Another incident happened in Kollam where bricks completely collapsed. Basically, the sand being used in construction is of very low quality.

Sir, one major thing I would like to bring to your notice is that sub-contract is given by the NHAI. The main contract is not in the picture at all. The

sub-contractors are doing contractual work, but no responsible officer was there when this incident happened. Within six months, three major incidents have happened.

In Kerala, 40 per cent of travellers use service roads because a lot of auto rickshaws and small vehicles are there in Kerala. They depend only on service roads. The quality of the service roads is very bad. I think there should be a serious examination and investigation on these issues. Hon. Minister, are you going to investigate this? I have already telephoned you two-three times about these incidents.

श्री नितिन जयराम गडकरी : सम्माननीय स्पीकर महोदय, हमने कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ संबंधित सेक्शन में फोन किया है। हमने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। हमने केरल सरकार के लिए पैसे डिपॉजिट किए थे। केरल में रोड के बाजू में सर्विस रोड करने के लिए जगह कम है। वहां पुलिस प्रोक्टेशन लोगों को कंट्रोल करने के लिए रखा था, फिर भी जहां काम शुरू था, लोग उसके नीचे से जा रहे थे। हमने प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स भी रखे थे।

दूसरी बात, सम्माननीय सदस्य ने जो कहा है, ऐसे तीन इंसीडेंट्स केरल में हुए हैं। इस बार बरसात भी बहुत आई, लैंडस्लाइड्स भी हुईं और कुछ क्वॉलिटी की प्रॉब्लम्स भी सामने आई हैं। विशेष रूप से रोड का काम करते समय हम लोग जो डाइवर्ज़न्स बनाते हैं, वे डाइवर्ज़न्स हम टेंपरेरी क्वॉलिटी के बनाते हैं। बाद में वे कोलैप्स हो जाते हैं। यह ध्यान में आने के कारण अब यह पॉलिसी डिसीजन लिया है कि निश्चित रूप से वे उसी क्वॉलिटी की सीमेंट और कॉन्क्रीट एवं अच्छी क्वॉलिटी के बनाएं, ताकि किसी भी हालत में वे कोलैप्स न हों, खराब न हों। जो बात स्ट्रक्चर्स के फेल्योर के बारे में है, उसके बारे में भी पूरी इन्क्वॉयरी हुई है और हम लगातार उसके बारे में कॉन्शस हैं और करेक्ट कार्रवाई भी कर रहे हैं।

एक बात और इंपॉर्टेंट है। केरल की एक ऐसी अलग सिचुएशन है कि रोड के बाजू में डेवलपमेंट हुई है। वहां डाइवर्ज़न करने के लिए भी जगह नहीं है। जिन रोड्स पर मैक्सिमम एक्सीडेंट्स हुए हैं, वह एक तरह से वहां की पूरी हॉटलाइन है। इसलिए वहां यह समस्या आई है। मुझे काफी सम्माननीय मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का फोन आया था। मैंने उनसे बात भी की। माननीय मुख्य मंत्री भी यहां आकर गए हैं और केरल के काफी सदस्य भी मुझसे मिले हैं। इस बार थोड़ा लैंडस्लाइड्स, पानी और हमारी कुछ कमियां भी होंगी, वे सब ध्यान में हैं। हमने उनके ऊपर पॉलिसी डिसीजन्स लिए हैं। हमने काफी कार्रवाई भी की है और उन्हें रेक्टिफाई करने के काम की शुरुआत की है। मुझे लगता है कि मार्च तक हम इन सब बातों को पूरा करके रोड का काम पूरा करने की कोशिश करेंगे। एक-आधा पैकेज रह सकता है, क्योंकि केरल विधानसभा का कोड ऑफ कन्डक्ट लगने के पहले वह काम पूरा करने का हमारा प्रयास था। एक-आधा काम छोड़कर बाकी पूरा काम व्यवस्थित और ठीक प्रकार से होगा।

(1140/PC/HDK)

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक) : सर, मेरा प्रश्न हरियाणा के हाईवेज़ से संबंधित है। 4 दिसंबर को मैंने जो एक अन्य प्रश्न पूछा था, मैंने यह जानकारी चाही थी कि किस प्रदेश में कितने किलोमीटर नेशनल हाईवेज़ हैं और कितने टोल-प्लाज़ा हैं? उसमें यह पाया गया कि बहुत से ऐसे प्रदेश हैं, जो हरियाणा से साइज़ में तीन गुना, चार गुना हैं, लेकिन, हरियाणा में टोल-प्लाज़ा ज्यादा हैं।

अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में 75 टोल-प्लाज़ा हैं। जहां तक कर्नाटक की बात है, तो वहां 60 हैं और गुजरात में 62 टोल-प्लाज़ा हैं। जब यह देखा गया कि नेशनल हाईवेज़ पर कितने किलोमीटर पर एक टोल-प्लाज़ा है, तो उसमें यह पाया गया कि देश में सबसे ज्यादा टोल-प्लाज़ा की कन्सनट्रेशन हरियाणा में है। हर 45 किलोमीटर पर नेशनल हाईवे का एक टोल-प्लाज़ा है।

अध्यक्ष महोदय, देश में दो ही प्रदेश है, जहां 100 किलोमीटर से कम की औसत पड़ती है। सर, एक आपका राज्य राजस्थान है, जहां हर 62 किलोमीटर पर एक टोल-प्लाज़ा है। हरियाणा में हर 45 किलोमीटर पर एक टोल-प्लाज़ा है। जहां तक महाराष्ट्र की बात है, वहां 188 किलोमीटर पर एक टोल-प्लाज़ा है। गुजरात में 142 किलोमीटर पर एक टोल-प्लाज़ा है। यहां तक कि हमारे पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में 500 किलोमीटर पर एक टोल-प्लाज़ा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि देश भर में हरियाणा में जो ये टोल-प्लाज़ा की इतनी ज्यादा संख्या है और हरियाणा से ज्यादा कलेक्शन भी हो रहा है। इसका भी आपने जवाब दिया था कि प्रति वर्ष कितना कलेक्शन किस प्रदेश से आ रहा है। हरियाणा छोटा सा प्रदेश है। देश में सबसे ज्यादा टोल की वसूली हरियाणा से हो रही है।

अत: इसको रेशनलाइज़ करके सरकार आने वाले समय में किस प्रकार देखना चाहेगी, यह मैं माननीय मंत्री जी जानना चाहूंगा।

धन्यवाद।

श्री नितिन जयराम गडकरी : सम्माननीय स्पीकर महोदय, सम्माननीय सदस्य सब बातें बता रहे हैं। हरियाणा में एक भी रोड का काम बाकी नहीं है, पूरे हरियाणा में अच्छे फोर-लेन रोड्स बने, सबसे ज्यादा रोड्स हरियाणा में बने, यह बात सम्माननीय सदस्य नहीं बता रहे हैं। … (व्यवधान)

स्पीकर महोदय, मैं दावा करता हूं कि जब से हरियाणा राज्य का निर्माण हुआ है, तब से जितना काम नहीं हुआ, उतना इन 12 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में हमने हरियाणा में काम किया है। … (व्यवधान) इसे ये नकार नहीं सकते हैं। हमने एक्सप्रेस हाईवेज़ बनाए। एक बात जरूर है कि हरियाणा और पंजाब में ट्रैफिक डेन्सिटी ज्यादा है और जो टोल की पॉलिसी है, उसके हिसाब से जब रोड्स बनेंगे, तो टोल लगेंगे।

अब हम नए ग्रीन एक्सप्रेस हाईवेज़ बना रहे हैं। पूरा दिल्ली से कटरा हाईवे इनके यहां से जा रहा है। तीन-चार लाख करोड़ रुपए के काम हुए हैं। जब नए रोड्स बनेंगे, तो टोल आएंगे। जहां रोड्स बनेंगे नहीं, वहां कम टोल रहेंगे। … (व्यवधान) दूसरी बात यह है कि हमने सीमलेस ट्रैफिक के लिए फास्ट-फ्लो बैरियर्स की योजना बनाई है। अब आप 80 की स्पीड से निकल जाएंगे। कहीं रुकने की जरूरत नहीं है, कोई आपको टोल नाके पर नहीं रोकेगा, बताएगा नहीं। आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट का फोटो लिया जाएगा, आपकी गाड़ी के फास्ट-टैग का फोटो लिया जाएगा और आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकल जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और बताना चाहूंगा। जहां से आप एंट्री करेंगे, वहां रिकॉर्ड होगा और जहां से आप निकलेंगे, वहां भी रिकॉर्ड होगा। … (व्यवधान) अभी अगर 60 किलोमीटर पर टोल है और आप 15 किलोमीटर ही गए, तो 60 किलोमीटर का टोल देना पड़ता है। अब नई नीति में 15 किलोमीटर का जो टोल रेट होगा, वही लगेगा। … (व्यवधान) अब हम 3,000 रुपए में 200 पास दे रहे हैं, 15 रुपए में एक टोल और जो 15,000 रुपए लगते थे, वे अब केवल 3,000 रुपए लगेंगे, 15 रुपए का एक टोल है। यह राहत भी हमने दे दी है। 40,00,000 लोगों ने पासेज़ भी ले लिए हैं।

अत: मुझे लगता है कि उनके यहां जो समस्या है, वह अब बिलकुल नहीं आएगी। एक बात आप याद रखिएगा कि आपके यहां रोड्स भी बने हैं, टोल्स भी हैं, कुछ इनकम भी मिलती होगी। लेकिन, आपके राज्य में हमने सबसे ज्यादा रोड्स बनाए हैं, जो कभी नहीं बने थे, उतने अब बने हैं। इस बात को भी आप स्वीकार कीजिए।

(इति)

(प्रश्न 265)

श्री राजेश वर्मा (खगड़िया) : माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सबसे पहले राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी को धन्यवाद देता हूं कि पूरे देश के साथ-साथ बिहार में भी उन्होंने सड़कों का जो जाल बिछाया है, वह काबिल-ए-तारीफ़ है।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान अपनी खगड़िया लोक सभा की तरफ आकृष्ट कराना चाहता हूं, जो बिहार की सबसे पिछड़ी लोक सभा है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जब हम लोग पटना से निकलते हैं, तो बेगूसराय तक हम लोगों को फोर-लेन रास्ता मिलता है और जब हम लोग खगड़िया से पूर्णिया जाते हैं, तो सिंगल-लेन होने के कारण लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। एक लंबे समय से खगड़िया-पूर्णिया एनएच-31 के निर्माण की मांग चल रही है।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हम लोगों को इसके निर्माण की स्वीकृति कब तक मिल जाएगी?

धन्यवाद।

(1145/SPS/HDK)

श्री नितिन जयराम गडकरी : अध्यक्ष महोदय, हमने खगड़िया से पूर्णिया 4 हजार करोड़ रुपये का 143 किलोमीटर का काम मंजूर कर दिया है, लेकिन उसका अभी कैबिनेट अप्रूवल नहीं मिला है। कैबिनेट को उसका नोट सबमिट हुआ है। आने वाले 10-15 दिनों में जैसे ही अप्रूवल मिल जाएगा, तो यह काम अवॉर्ड हो जाएगा। मुझे लगता है कि इस फोर लेन को बनने के बाद सम्माननीय सदस्य, जिसके बारे में कह रहे हैं, वह समस्या नहीं रहेगी। निश्चित रूप से इस फोर लेन रोड का काम ज्यादा से ज्यादा महीने-डेढ़ महीने में शुरू हो जाएगा। इसका टेंडर भी निकाल रखा है।

श्री राजेश वर्मा (खगड़िया) : माननीय मंत्री महोदय, धन्यवाद। मेरा दूसरा प्रश्न महेशखूंट से है। सोनबरसा होते हुए सहरसा, मधेपुरा, मुरलीगंज से पूर्णिया तक 177 किलोमीटर की सड़क है, जिसकी स्वीकृति वर्ष 2018 में हुई थी और 1400 करोड़ रुपये की लागत से वर्ष 2020 तक इस सड़क का निर्माण पूर्ण होना था, लेकिन लगातार समय अवधि बढ़ाई जा रही है।

मैं माननीय मंत्री जी से इसके बारे में जानना चाहता हूं। मेरी लोक सभा की तीन विधान सभाएं परबत्ता, बेलदौर और सिमरी बख्तियारपुर से होते हुए यह सड़क जाती है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि इसका कार्य कब तक पूर्ण हो जाएगा।

श्री नितिन जयराम गडकरी : सम्माननीय स्पीकर महोदय, यह एनएच-107 है। इसका पैकेज-1 कैनन डेन्की कॉर्पोरेशन पर है। इसमें बहुत समस्याएं आईं। डिले इन लैण्ड एक्विज़िशन, जो हमें राज्य सरकार की तरफ से मिलता है। There was change in alignment due to utility shifting issues. कॉन्ट्रैक्टर भी अड़चन में आ गया और कंपनी की हालत खराब है। उनके कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ भी थे। Further, there was a delay in ROB design approved by Railways. Now, the work is in progress. उसमें 87 परसेंट काम पूरा हुआ है। मार्च, 2026

से पहले हम यह पोर्शन पूरा करेंगे। जो आरओबी है, वह अगस्त, 2026 तक पूरा होगा। पैकेज-2 गैमन का है। उसके भी यही इश्यूज़ थे। उसका भी 80 परसेंट काम पूरा हो चुका है। यह मार्च, 2026 तक पूरा होगा।

SHRI MUKESHKUMAR CHANDRAKAANT DALAL (SURAT): Thank you, Speaker, Sir. The data from the Ministry's report 'Road Accidents in India 2022' reveals that although highways comprise only two per cent of the total road network, they account for 36.2 per cent of total road fatalities, that is 61,038. A major reason for this is the persistence of the accident black spots. Will the Minister please state whether the O&M contracts include a strict time bound clause for the permanent rectification of identified Black Spots? Furthermore, if a fatal accident occurs at a black spot that was identified but not rectified by the concessionaire for over three months, is there is provision to hold the concessionaire criminally liable for negligence?

Thank you, Sir.

श्री नितिन जयराम गडकरी : सम्माननीय स्पीकर महोदय, सम्माननीय सदस्य जो बात बता रहे हैं, वह काफी चिंताजनक है। मैं स्पीकर महोदय आपसे भी अनुरोध करूंगा कि इस सदन के द्वारा आपके नेतृत्व में इस विषय की तरफ आप भी एड्रैस कर लोगों को जगाने के काम के लिए हमें सहयोग करें। पांच लाख एक्सीडेंट्स होते हैं। उनमें 1 लाख 80 हजार मौतें होती हैं और 18 से 34 एज ग्रुप के 66 परसेंट यंग लड़कों की डैथ हो जाती है।

अभी दिल्ली, एम्स ने एक रिपोर्ट दी है कि जो एक्सीडेंट्स होते हैं, अगर उनमें हम तुरंत मेडिकल हेल्प दे सकते हैं, तो हम साल में 50 हजार लोगों की जान बचा सकते हैं। इसलिए हमने एक स्कीम तैयार की है और वह चालू भी हुई है। मैं उसमें आप सबका सहयोग भी मांगता हूं। जब रोड पर एक्सीडेंट होता है, तो लोगों को लगता है कि क्यों लफड़े में पड़ें। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अब कोई कार्रवाई नहीं होगी और आपको पुलिस तकलीफ नहीं देगी। आप उस विक्टिम को उठाओ, हॉस्पिटल में पहुंचाओ। जो इस काम को करेगा, उसे हम राहवीर कहेंगे और उसको 25 हजार रुपये का अवॉर्ड देंगे, ताकि इन 50 हजार लोगों की जान बचे। उसको बचाने के बाद जिस भी अस्पताल में उसको एडमिट करेंगे, उस हॉस्पिटल में 7 दिन का ट्रीटमेंट और डेढ़ लाख रुपये तक तुरंत उस हॉस्पिटल को रिंबर्समेंट देंगे, ताकि उसकी जान बचे।

(1150/RHL/PS)

मुझे लगता है कि अगर ये इस काम में सहयोग करेंगे तो फायदा होगा। दूसरा, सांसद महोदय, हमने आपकी अध्यक्षता में हर कांस्टीट्यूएंसी में एक्सीडेंट निवारण कमेटी स्थापित की है। जिला कलेक्टर उसके सेक्रेटरी हैं। हर दो महीने में एक बार उसकी मीटिंग कीजिए, ब्लैक स्पॉट ढूंढिए, सभी यंत्रों को काम पर लगाइये और निश्चित रूप से इसको दूर करने की कोशिश कीजिए। रोड इंजीनियरिंग में सुधार करने के लिए हमने 7000 ब्लैक स्पॉट रेक्टिफाई किए हैं, 40 हजार

करोड़ रूपये मंजूर किए हैं और लगातार यह रेक्टिफाई कर रहे हैं जो नये ध्यान में आते हैं, उनको भी रेक्टिफाई कर रहे हैं। क्योंकि हमारे डीपीआर डिफेक्टिव हैं, उसको भी सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। ओटोमोबाइल इंजीनियरिंग में छह एयरबैग्स मैनडेटरी कर दिए हैं। हमने स्कूटर में बिना किसी शुल्क के दो हेलमेट कंपनी द्वारा देने की योजना शुरू की है। इसके साथ-साथ गाड़ी और स्कूटर चलाते समय मोबाइल पर बात नहीं करना, लेन डिसिप्लेन का पालन करना, रास्ता क्रॉस करते समय बीच में नहीं जाना, रेड सिग्नल होगा, तो रूकना आदि कार्य भी करने होंगे।

अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक्सीडेंट का संबंध ह्यूमन बिहेवियर से है। कानून के प्रति डर भी नहीं है और सम्मान भी नहीं है। आज 1 लाख 80 हजार लोगों की जानें जा रही हैं। किसी लड़ाई में जितने लोग नहीं मरे, कोविड में नहीं मरे, उससे ज्यादा हर साल एक्सीडेंट में मर रहे हैं। जवान लड़के-लड़कियां मर रहे हैं। पढ़े लिखे लड़के मर रहे हैं। मुझे लगता है कि यह पब्लिक एजुकेशन के लिए बहुत इंपोर्टेंट है। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन से लेकर काफी लोग कैंपेन चला रहे हैं। इस बार के प्रोग्राम में काफी लोगों को लेकर अलग-अलग जगहों पर बच्चों के लिए प्रोग्राम करते हैं। आप भी अपने यहां रोड सेफ्टी के प्रोग्राम कीजिए, लोगों को कानून के प्रति जागरूक करिए और हमारा सहयोग कीजिए। अध्यक्ष महोदय, सबके सहयोग से हम लोगों की जान बचाने का काम करेंगे। आप अपने नेतृत्व में एक बार जरूर इनिशिएटिव लेकर इस विषय के बारे में भारत की जनता को जगाने के लिए हम सबके सहयोग के लिए आप भी कोई विशेष चर्चा रखिए। इससे लोगों के सुझाव भी मिलेंगे। इन सबका सहयोग मिलेगा, तो यह संभव होगा। फिलहाल हमारे इतने सब काम करने के बावजूद भी समाधान कारक परिणाम नहीं निकले हैं। यह मैं दुख के साथ स्वीकार करता हूं।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय ने सड़क दुर्घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। हम सब 140 करोड़ जनता के जनप्रतिनिधि यहां पर बैठते हैं। हमें सामूहिक प्रयास भी करना चाहिए और अपने-अपने संसदीय क्षेत्र के अंदर सड़क दुर्घटना कम करने के लिए लक्ष्य आधारित योजना बनानी चाहिए। हम जनप्रतिनिधि हैं। जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है कि नियमों का पालन करने के लिए भी आग्रह करें और सड़क दुर्घटना होने के कारणों की जानकारी के साथ अपने-अपने क्षेत्र में एक व्यापक अभियान चलाएं, ताकि जब हम अगले साल बैठें, तो हम सबके सामूहिक प्रयासों और जनता के सहयोग से सड़क दुर्घटना को कम कर सकें। मुझे आशा है कि जब अगले संसद सत्र में माननीय सदस्य आएंगे, तो एक सकारात्मक सुझाव के साथ अच्छे प्रयास किसने किए, हम सब इस पर एक चर्चा भी कर सकते हैं, ताकि सड़क दुर्घटना को रोका जा सके। क्योंकि सड़क दुर्घटना में जिन लोगों की मृत्यु होती है, उसमें जवान लोग ज्यादा होते हैं और इसीलिए यह हम सबके लिए सामूहिक प्रयास की बात है।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much, Mr. Speaker, Sir.

Sir, just now, Shri K.C. Venugopal has referred to a recent accident which took place in my constituency Kollam, Ithikkara near Kottayam.

Sir, the recent accident happened not only because of the construction but also, because of the faulty design of the construction of the road. My specific question to the hon. Minister is this. In most of the places in Kerala, in NH-66, there are retaining earthen walls of more than 30 feet height, which are separating the highway and the service road. They are just like Chinese walls. Due to the same, those accidents took place in all those places. The topographical condition as well as the climatic situation of Kerala is not suitable for this retaining earthen wall.

So, through you, my specific question to the hon. Minister is, whether the Government will consider converting this retaining earthen wall into a concrete elevated highway with pillars that is highly essential as a basic requirement of the State of Kerala so as to avoid all these accidents. I would like to know whether this proposal will be considered by the Ministry. That is a definite question which I would like to put in.

Thank you very much, hon. Speaker, Sir.

(1155/SNL/KN)

SHRI NITIN JAIRAM GADKARI: Sir, whatever the hon. Member is suggesting is, fortunately, absolutely correct. This is because when we are moving for the tender, as far as the tender conditions are concerned, because of cost-saving and land acquisition problems, we are making retaining walls. Particularly, soil testing is important before constructing that wall, and the Kerala soil is not permitting that. That is an engineering problem. So, what he is telling the House is correct.

As you are suggesting making an elevated road, that would be a costly solution, but because of cost-saving, every time our engineers refer to the terms and conditions of the tender. They tell me that this is in the tender and we cannot do anything. Suppose we make more expenditure, it

will be a problem in the audit, and that is the typical reason I have been hearing many times from the officers. On account of this, we have taken a decision in Kerala, particularly about retaining wall, that we will go for your suggestion and construct that.

एडवोकेट चन्द्र शेखर (नगीना) : अध्यक्ष जी, मेरे लोक सभा क्षेत्र नगीना में राष्ट्रीय राजमार्ग 119 से दो शहर के लिए रास्ते जाते हैं। एक पर रेलवे फाटक है। मंत्री जी अभी बात कर रहे थे कि जान की रक्षा होनी चाहिए। मेरा आपसे आग्रह है कि जब हमारे क्षेत्र के लोग वहां से निकलते हैं तो एक किलोमीटर पर टोल है। हमारे यहां 10 से 15 किलोमीटर पर टोल है। मेरा आपसे आग्रह है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, उनको टोल से मुक्त किया जाए। उनको पास में न रखा जाए। इससे लोगों को बहुत लाभ होगा और लोग आपका भी धन्यवाद करेंगे। मेरी आपसे मांग है कि हमारे यहां किरतपुर और नगीना में दो टोल हैं। वहां 10 से 15 किलोमीटर पर जो लोग रहते हैं, वे किसान हैं, उनको टोल मुक्त किया जाए। मेरा आपसे यह आग्रह है। धन्यवाद।

श्री नितिन जयराम गडकरी : अध्यक्ष जी, नई टोल पॉलिसी में अभी जो 15 रुपये का टोल है, उसके अंतर्गत पास मिलेगा। हम कोशिश करेंगे कि अगर 15 किलोमीटर पर है तो हमने उसमें सूचना दी है कि जब शहर बढ़ता जा रहा है तो उसका टोल आगे भी लेकर जाना है। मुझे लगता है कि नई पॉलिसी में वर्ष 2026 तक, टोटल 1050 टोल प्लाजा हैं, 350 प्राइवेट टोल प्लाजा हैं, 650-700 गवर्नमेंट के टोल प्लाजा हैं। सभी टोल प्लाजा पर सोफिस्टिकेटेड एआई का उपयोग करके, इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम का उपयोग करके पूरा सिस्टम सब जगह लग जाएगा। 80 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चलेगी, टोल पर कोई रोकेगा नहीं और तकलीफ नहीं होगी। 3 हजार रुपये का पास मिला है, आप 200 टोल प्लाजा पार कर सकते हैं और उसकी कीमत 15 रुपये आती है। जहां 15 हजार रुपये लगते थे, वहां 3 हजार रुपये में काम हुआ है और आम आदमी को राहत भी मिली है। वर्ष 2026 से पहले यह काम खत्म हो जाएगा।

SHRIMATI PRIYANKA GANDHI VADRA (WAYANAD): Sir, this is regarding the highway between Chandigarh and Shimla, which has very similar issues to those raised by the hon. Member. Except that, in many places, it seems that the retaining walls are so low that those are the very places where landslides are taking place.

Therefore, may I request you to look into the matter, and may I also request you to grant me an appointment? I have been asking since June to talk about my Constituency.

श्री नितिन जयराम गडकरी : मैडम, आज आप क्वेश्चन ऑवर के बाद आ जाइये। आप कभी भी आइये, मेरा दरवाजा हर समय खुला रहता है। अपॉइंटमेंट लेने की भी जरूरत नहीं होती है। आप कभी भी आइये।

आप चंडीगढ़ से मनाली या शिमला तक की बात कर रही हैं, वहां भी प्रॉब्लम वही है कि हिमालय टेरेन में सब जगह यही समस्या है। उसमें से कॉन्ट्रैक्टर भी निकल गए हैं। जो स्लोप प्रोटेक्शन है, इसके ऊपर हमने स्विट्जरलैंड के साथ एक एमओयू किया है। हिमाचल में जो बार-बार लैंड स्लाइड्स हो रहे हैं, उसके ऊपर 84 लोकेशन्स, जैसे ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, वैसे ही ये आइडेंटिफाई किए हैं। उसके लिए स्पेशल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम उस पर काम कर रहे हैं जिससे लैंड स्लाइड भी नहीं होगा। यह काम अभी स्टार्ट हुआ है। इसमें टाइम लगेगा। पूरे हिमालय में, मेरी यह समझ थी कि जब मैं दिल्ली नहीं आया था, तो हिमालय मिन्स पहाड़, पत्थर। जब मैं देखता हूं तो हिमालय मिट्टी है। वहां लगातार लैंड स्लाइड्स हो रहे हैं। हमने स्विट्जरलैंड की और बाकी नई टेक्नोलॉजी जो लाई हैं, उससे 84 लोकेशन्स हमने हिमाचल प्रदेश में आइडेंटिफाई किए हैं और उस पर काम शुरू किया है। उसके बाद यह समस्या नहीं रहेगी। आप चंडीगढ़ से मनाली, मुझे अभी एग्जेक्ट याद नहीं है, लेकिन साढ़े तीन घंटे में आप पहुंच जाएंगे। वहां काफी टनल्स भी बन गई हैं, रोड भी बन गए हैं और मामला काफी अच्छा हो गया है।

(इति)

(pp. 21-30)

(1200/ANK/SMN)

1200 बजे (श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी पीठासीन हुए)

(प्रश्न 266)

श्री जिया उर रहमान (सम्भल) : माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उड़ान योजना के तहत वर्तमान में नजदीक एयरपोर्ट दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, चंडीगढ़, आगरा, वाराणसी हैं। इन जैसे एयरपोर्ट्स के बीच संचालित छोटी दूरी की उड़ानें, वहां चार हजार रुपए से लेकर 10 हजार रुपए तक का किराया लिया जा रहा है। क्या सरकार की इस पर कोई नियंत्रण करने की कोई योजना है? अभी हमने इंडिगो की क्राइसिस को देखा है। इससे पूरे देश में नागरिक परेशान हुए। जब भी देश में ऐसी कोई आपदा आती है, तो कंपनियां किराए में बेशुमार बढ़ोतरी कर देती हैं। क्या उस पर नियंत्रण करने की आपकी कोई योजना है? जिस तरह से नागरिक परेशान होते हैं, क्योंकि उनसे किराये के रूप में 10 हजार, 20 हजार, 50 हजार रुपये तक वसूला जाता है। उस पर आप क्या कदम उठा रहे हैं, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूं।

श्री किंजरापु राममोहन नायडू : सभापति महोदय, एयर फेयर्स पर पहले भी चर्चा हुई है, उस समय भी मैंने इसका समाधान दिया था। कभी भी इस तरह की कोई एक्सट्रा ऑर्डिनरी सर्कम्सटानसेज होते हैं, जिस तरह से opportunistic pricing में एयरलाइन्स कूद पड़ती हैं तो उस समय केन्द्र सरकार ने उस पर नियंत्रण करने के लिए सारे कदम उठाए हैं। कोविड की बात करें या कुंभ मेला की बात हो या अभी इंडिगो क्राइसिस हुई, अभी देश में सारे एयर फेयर्स नियंत्रित किए हुए हैं। आगे भी ऐसे हालात होंगे तो मिनिस्ट्री की तरफ से इसके ऊपर पूरा फोकस है। हम इस विषय को गंभीरता से ले रहे हैं। हमारे यहां पर भी इसकी मॉनिटरिंग यूनिट है, जो यह प्रयास करती है कि देश के सारे रूट्स पर अफोर्डेबल प्राइसिंग हो। कम दूरी वाले रूट्स पर उड़ान के तहत अनसर्व्ड या अंडरसर्व्ड जो एयरपोर्ट्स हैं, वहां पर रूट्स चलते हैं। वहां पर उड़ान के तहत कैपिंग जरूर होती है। इस तरह की संभावनाएं आगे नहीं होनी चाहिए।

(इति)

प्रश्न काल समाप्त

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में विनिर्णय

1202 बजे

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष को कई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। माननीय अध्यक्ष ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

…(व्यवधान)

1202 बजे

(इस समय श्री धर्मेन्द्र यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

… (व्यवधान)

सभा पटल पर रखे गए पत्र

1202 बजे

माननीय सभापति : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नम्बर 3

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Sir, on behalf of Shrimati Nirmala Sitharaman, I rise to to lay on the Table a copy of the Corrigendum to Annexure to the First Supplementary Demands for Grants-2025-26 (Hindi and English versions).

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल ओराम): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) संविधान के अनुच्छेद 338क के खंड 6 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण): -

(एक) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति ।

(दो) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदनों पर की-गई-कार्रवाई ज्ञापन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। … (व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF JAL SHAKTI (DR. RAJ BHUSHAN CHOUDHARY): Sir, on behalf of Shri Shripad Yesso Naik, I rise to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions) under section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(1) Review by the Government of the working of the Power Grid Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 2024-2025.

(2) Annual Report of the Power Grid Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts and of the Comptroller and Auditor General thereon.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Sir, on behalf of Shri Pankaj Chaudhary, I rise to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions) under Article 151(1) of the Constitution: -

(1) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Report No. 25 of 2025) - (Indirect Taxes- Goods and Service Tax) - (Compliance Audit) – Department of Revenue, for the year ended March, 2023.

(2) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Report No. 34 of 2025) - (Compliance Audit-Defence Commercial) on Defence Public Sector Undertakings for the year ended March, 2023.

(3) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government – (Report No. 17 of 2025) - (Performance Audit-Commercial) Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojna/Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana.

(4) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Commercial) - (Report No. 23 of 2025) - (Compliance Audit) – General Purpose Financial Reports of Central Public Sector Enterprises for the year ended March, 2023.

(5) Report of the Comptroller and Auditor General of India - Union Government (Report No. 24 of 2025) - (Compliance Audit-Railways) on Levy and recovery of charges on Private Sidings in Indian Railways and

Working of Signaling Systems in South Western Railway, Ministry of Railways, for the year ended March, 2023.

(6) Report of the Comptroller and Auditor General of India – Union Government - (Report No. 21 of 2025) (Compliance Audit-Civil) (Indirect Taxes – Customs) on Customs – Department of Revenue for the period ended March 2023.

(7) Report of the Comptroller and Auditor General of India – Union Government (Civil) - (Report No. 20 of 2025) - (Performance Audit-Civil) on Skill Development under Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana.

(8) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Report No. 28 of 2025) - (Defence Services-Army) - (Compliance Audit-Defence) Volume-I for the year ended March, 2023.

(9) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government - (Report No. 27 of 2025) - (Defence Services-Army) (Performance Audit-Defence) Ex-servicemen Contributory Health Scheme.

(10) Report of the Comptroller and Auditor General of India – Union Government (Report No. 26 of 2025) - (Compliance Audit-Railways) on Development of Multi-Functional Complexes and Commercial sites by Rail Land Development Authority, Ministry of Railways.

(11) Report of the Comptroller and Auditor General of India - Union Government (Report No. 22 of 2025) - (Compliance Audit – Civil & Commercial) for the year ended March, 2023.

(12) Report of the Comptroller and Auditor General of India - Union Government (Report No. 29 of 2025) - (Compliance Audit) - Scientific and Environmental Ministries/Departments, for the year ended March, 2023.

(13) Report of the Comptroller and Auditor General of India - Union Government (Report No. 30 of 2025) - (Defence Services-Navy) - (Performance Audit-Defence) on Works Management in Indian Navy.

(14) Report of the Comptroller and Auditor General of India - Union Government (Report No. 33 of 2025) - (Performance Audit-Civil) on Duty Drawback Scheme, Department of Revenue (Indirect Taxes – Customs) for the year ended March, 2023.

(15) Union Government-Appropriation Accounts (Defence Services) for the year 2024-2025.

(16) Union Government-Appropriation Accounts of the Postal Services for the year 2024-2025.

(17) Union Government-Appropriation Accounts (Civil) for the year 2024-2025.

(18) Union Government-Finance Accounts for the year 2024-2025.

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी शोभा कारान्दलाजे) : सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम लिमिटेड, श्री विजय पुरम के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम लिमिटेड, श्री विजय पुरम का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) (एक) राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (एनआई-एमएसएमई), हैदराबाद के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (एनआई-एमएसएमई), हैदराबाद के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (एनआई-एमएसएमई), हैदराबाद के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (एनआई-एमएसएमई), हैदराबाद के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(5) (एक) महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थान, वर्धा के वर्ष 2024-2025 के

वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान, वर्धा के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट, मुंबई के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट, मुंबई के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।... (व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TOURISM (SHRI SURESH GOPI): Sir, I rise to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions): -

(i) Memorandum of Understanding between the Bharat Petroleum Corporation Limited and the Ministry of Petroleum and Natural Gas for the year 2025-2026.

(ii) Memorandum of Understanding between the Indian Oil Corporation Limited and the Ministry of Petroleum and Natural Gas for the year 2025-2026.

(iii) Memorandum of Understanding between the Balmer Lawrie and Company Limited and the Ministry of Petroleum and Natural Gas for the year 2025-2026.

(iv) Memorandum of Understanding between the Engineers India Limited and the Ministry of Petroleum and Natural Gas for the year 2025-2026.

(2) A copy each of the following reports (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(a) (i) Review by the Government of the working of the Oil India Limited, Dibrugarh, for the year 2024-2025.

(ii) Annual Report of the Oil India Limited, Dibrugarh, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts and comments of the

Comptroller and Auditor General thereon.

(b) (i) Review by the Government of the working of the Oil and Natural Gas Corporation Limited, New Delhi, for the year 2024-2025.

(ii) Annual Report of the Oil and Natural Gas Corporation Limited, New Delhi, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(c) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Hindustan Petroleum Corporation Limited, Mumbai, for the year 2024-2025.

(ii) Annual Report of the Hindustan Petroleum Corporation Limited, Mumbai, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(d) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Balmer Lawrie Investments Limited, Kolkata, for the year 2024-2025.

(ii) Annual Report of the Balmer Lawrie Investments Limited, Kolkata, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(e) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Bharat Petroleum Corporation Limited, Mumbai, for the year 2024-2025.

(ii) Annual Report of the Bharat Petroleum Corporation Limited, Mumbai, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(f) (i) Review by the Government of the working of the Brahmaputra Cracker and Polymer Limited, Guwahati, for the year 2024-2025.

(ii) Annual Report of the Brahmaputra Cracker and Polymer Limited, Guwahati, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(g) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Balmer Lawrie and Company Limited, Kolkata, for the year 2024-2025.

(ii) Annual Report of the Balmer Lawrie and Company Limited, Kolkata, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts and

comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Culinary Institute (Tirupati & Noida), Noida, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Culinary Institute (Tirupati & Noida), Noida, for the year 2024-2025.

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Oil Industry Development Board, New Delhi, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Oil Industry Development Board, New Delhi, for the year 2024-2025.

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board, New Delhi, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board, New Delhi, for the year 2023-2024.

(6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

(1205/RAJ/RP)

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय टम्टा) : सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड नियम, 2025 जो दिनांक 28 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 795 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केंद्रीय मोटर यान (तीसरा संशोधन) नियम 2025 जो दिनांक 21 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 568 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) केंद्रीय मोटर यान (चौथा संशोधन) नियम 2025 जो दिनांक 4 नवंबर, 2025

के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 819 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) केंद्रीय मोटर यान (छठा संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 12 नवंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 834 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो दिनांक 24 नवंबर, 2025 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 862 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(पांच) केंद्रीय मोटर यान (सातवां संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 12 नवंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 835 (अ)में प्रकाशित हुए थे।

(छह) केंद्रीय मोटर यान (पांचवां संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 17 नवंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 850 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 9 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) (तीसरा संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 3 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 734 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 3349(अ) जो दिनांक 21 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो तथा जो ईपीसी मोड पर असम राज्य में एनएच-31 (नया एनएच-27) पर कि.मी. 1040.300 से कि.मी. 1124.514 तक, एनएच-37 (नया एनएच-27) पर कि.मी. 146.000 से कि.मी. 205.000 तक; एनएच-37 (नया एनएच-27) पर कि.मी. 205.000 से कि.मी. 237.489 तक, एनएच-36 (नया एनएच-27) पर कि.मी. 0.321 से कि.मी. 5.500 से कि.मी. 37.894 तक, एनएच-54 (नया एनएच-27) पर कि.मी. 0.000 से कि.मी. 83.400 तक परनलबाड़ी-बिजनी-गुवाहाटी-नागांव-लंका-हाटीखली खंड की चार लेनिंग की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(दो) का.आ. 3446(अ) जो दिनांक 25 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो ईपीसी मोड पर तेलंगाना राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 167 के कि.मी. 182.120 से कि.मी. 227.600 तक हग्गारी – जडचर्ला खंड की चार या अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(तीन) का.आ. 3447(अ) जो दिनांक 25 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में

प्रकाशित हुआ था, तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 116बी (नंदकुमार-दिघा खंड) के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 25.500 तथा कि.मी. 41.000 से कि.मी. 64.700 तक नंदकुमार से दिघा खंड की पेव्ड शोल्डर्स वाली दो लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(चार) का.आ. 3448(अ) जो दिनांक 25 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में एनएच-709एडी के डिजाइन कि.मी. 153.660 से डिजाइन कि.मी. 175.280 (मौजूदा कि.मी. 0.000 से कि.मी. 24.780) तक मुजफ्फरनगर – मीरानपुर खंड की पेव्ड शोल्डर्स वाली दो लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(पांच) का.आ. 3541(अ) जो दिनांक 31 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो महाराष्ट्र राज्य में एनएच-47 (पुराना एनएच-69) (नागपुर-ओबैदुल्लागंज खंड (नागपुर-मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा) के डिजाइन कि.मी. 2.950 से कि.मी. 59.640 (मौजूदा कि.मी. 3.00 से कि.मी. 59.300) तक तथा मध्य प्रदेश राज्य में एनएच-47 (पुराना एनएच-69) के ओबैदुल्लागंज-बेतूल-मुल्ताई-मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा खंड के डिजाइन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 117.822 (मौजूदा कि.मी. 137.00 से कि.मी. 257.400) तक की चार या अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(छह) का.आ. 3642(अ) जो दिनांक 7 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो तमिलनाडु राज्य और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ए (नया एनएच-32) के डिजाइन कि.मी. 29.000 से कि.मी. 67.000 (मौजूदा चेनेज कि.मी. 25.624 से कि.मी. 77.000 तक) तक पुडुचेरी से पूंडियांकुप्पम खंड की चार लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(सात) का.आ. 3643(अ) जो दिनांक 7 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो कर्नाटक राज्य में बीओटी (टोल) आधार पर एनएच-48 (पुराना एनएच-4) के डिज़ाइन चेनेज किमी. 29.500 से किमी. 62.000 तक (मौजूदा किमी. 29.500 से किमी. 62.000) नेलमंगला-तुमकुर खंड एनएच-48 की चार या अधिक लेन वाली परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(आठ) का.आ. 3735(अ) जो दिनांक 13 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो भारतमाला परियोजना के अंतर्गत एचएएम

मोड पर उत्तर प्रदेश राज्य में कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे सं. एनई-6 के किमी. 17.580 से किमी. 73.744 तक (लंबाई 56.164 किमी.) 6 लेन वाली परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(नौ) का.आ. 3832(अ) जो दिनांक 20 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो ईपीसी मोड पर दिल्ली और हरियाणा राज्यों में एनएच-344एन की 6 लेन वाले परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है, जो एनएच-344एम, दिल्ली (एनएच-344एम के किमी. 26.135 पर या यूईआर-II) से शुरू होकर हरियाणा में बहादुरगढ़ के निकट एनएच-10 के बहादुरगढ़ बाईपास तक, एनएच-344एम (अर्बन एक्सटेंशन रोड-आईआई) पैकेज-5 के स्पर के रूप में है।

(दस) का.आ. 3865(अ) जो दिनांक 25 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों में एनएच-344 (पुराना एनएच-73) के डिज़ाइन किमी. 0.000 से किमी. 41.820 तक (मौजूदा किमी. 51.340 से किमी. 27.193 एवं किमी. 0.000 से 17.900 एनएच-307 (पुराना एनएच-72ए) तक सहारनपुर बाईपास से गणेशपुर खंड तथा एनएच-344 (पुराना एनएच-73) के किमी. 0.000 (एनएच-58 के किमी. 167.800) से एनएच-344 (पुराना एनएच-73) के किमी. 27.193 तक रुड़की-छुटमलपुर-गगलहेरी खंड की चार या अधिक लेन वाली परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(ग्यारह) का.आ. 3928(अ) जो दिनांक 27 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो भारतमाला परियोजना के अंतर्गत तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में हाइब्रिड एन्युटी मोड पर एनएच-365बीजी के खम्मम-देवरापल्ली खंड के 4-लेन वाले एक्सेस कंट्रोल्ड न्यू ग्रीनफील्ड हाईवे खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(बारह) का.आ. 3929(अ) जो दिनांक 27 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो महाराष्ट्र राज्य में एनएच-753एल के किमी. 0.00 से 44.760 तक पैकेज-I तथा 15.74 किमी. के किमी. 44.760 से 60.500 तक पैकेज-II की पेव्ड शोल्डर सहित पाहुर-जामनेर-बोधवाड़-मुक्ताईनगर-बुरहानपुर खंड की दो लेन वाली परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(तेरह) का.आ. 3930(अ) जो दिनांक 27 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो ईपीसी आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य में एनएच-731 के खुटार बाईपास के प्रारंभ से शाहजहाँपुर बाईपास के प्रारंभ तक (किमी. 40.000 से किमी. 88.750 तक) खंड की दो और

चार लेन वाली परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(चौदह) का.आ. 3972(अ) जो दिनांक 29 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो ईपीसी मोड पर ओडिशा राज्य में एनएच-26 (पुराना एनएच-201) के डिज़ाइन चेनेज किमी. 0.000 से किमी. 72.000 तक बारगढ़-बोलांगीर खंड की चार या अधिक लेन वाली परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(पंद्रह) का.आ. 4062(अ) जो दिनांक 4 सितंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो ईपीसी मोड पर भारतमाला परियोजना के अंतर्गत गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. एनई-4 पर दिल्ली-वडोदरा एक्सप्रेसवे के किमी. 696.920 (दाहोद) से किमी. 844.667 (वडोदरा) तक (लंबाई 147.747 किमी.) की 8 लेन वाली खंड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(सोलह) का.आ. 4078(अ) जो दिनांक 8 सितंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो ईपीसी मोड पर महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 161ए के डिज़ाइन चेनेज किमी. 0.000 से किमी. 99.250 तक उस्मान नगर से वजार खंड तक पेव्ड शोल्डर्स सहित दो लेन वाली परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(सत्रह) का.आ. 4079(अ) जो दिनांक 8 सितंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो ईपीसी मोड पर महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 752एच के पालफाटा से राजुरी खंड (डिज़ाइन चेनेज किमी. 46.210 से किमी. 0.000 तक) की चार/दो लेन वाली परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(अठारह) का.आ. 4160(अ) जो दिनांक 15 सितंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 119 (नया एनएच-534) के डिज़ाइन किमी. 0.000 से किमी. 10.764 तक (मौजूदा किमी. 112.545 से किमी. 122.200 तक) तथा नजीबाबाद-कोटद्वार खंड (किमी. 122.200 से किमी. 137.760 तक) नजीबाबाद बाईपास की 2एलपीएस/4 लेन वाली परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(उन्नीस) का.आ. 4161(अ) जो दिनांक 15 सितंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 45बी (नया एनएच-38) के मदुरै-तूतीकोरिन खंड के किमी. 138.800 से 266.865 तक 128.065 किमी. लंबाई की 4 लेनिंग परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(बीस) का.आ. 4162(अ) जो दिनांक 15 सितंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 72ए (नया एनएच-307) के डिज़ाइन किमी. 0.000 से किमी. 19.785 तक (मौजूदा किमी. 17.900 से किमी. 38.600 तक) गणेशपुर-देहरादून खंड की चार लेन या अधिक लेन वाली परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(इक्कीस) का.आ. 4382(अ) जो दिनांक 26 सितंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 24 (पुराना एनएच-29ई) के डिज़ाइन किमी. 0.000 (मौजूदा चेनेज किमी. 0.000) से डिज़ाइन किमी. 81.412 (मौजूदा चेनेज किमी. 80.000) तक सोनौली से गोरखपुर खंड की परियोजना के लिए दिनांक 16 अप्रैल, 2019 को प्रकाशित अधिसूचना का.आ. 1611(अ) जो प्रयोक्ता शुल्क के बारे में है।

(बाईस) का.आ. 4414(अ) जो दिनांक 26 सितंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7 (पुराना एनएच-72) के डिज़ाइन किमी. 0.000 से किमी. 36.420 तक पोंटा साहिब (एचपी) – झाजरा चौक (यूके) खंड की चार एवं अधिक लेन वाली परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(तेईस) का.आ. 4415(अ) जो दिनांक 26 सितंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो महाराष्ट्र राज्य में एनएच-752ई के डिज़ाइन चेनेज किमी. 55.937 से किमी. 114.486 तक (एनएच-548डी के साथ ओवरलैप्ड खंड किमी. 83.460 से 87.900 तक, लंबाई 4.44 किमी. को छोड़कर) के शिरुर-खरदा खंड की 2एलपीएस/4एल वाली परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(चौबीस) का.आ. 4435(अ) जो दिनांक 29 सितंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो हाइब्रिड एन्युटी मोड पर भारतमाला परियोजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु राज्य में एनएच-716बी के डिज़ाइन किमी. 0.000 से किमी. 116.100 तक चित्तूर से थाचूर खंड, जो आंध्र प्रदेश राज्य में चित्तूर के निकट एनई-7 (किमी. 151.900 पर), एनएच-40 के जंक्शन से शुरू होकर तमिलनाडु राज्य में थाचूर के निकट एनएच-16 के जंक्शन पर समाप्त होता है, की छह लेन वाली परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(पच्चीस) का.आ. 4436(अ) जो दिनांक 29 सितंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में

प्रकाशित हुआ था, तथा जो हाइब्रिड एन्युटी मोड पर आंध्र प्रदेश राज्य में एनएच-340सी के डिज़ाइन किमी. 0.00 से डिज़ाइन किमी. 66.115 तक (मौजूदा किमी. 5.400 एनएच-40 से मौजूदा किमी. 73.00 तक) कुरनूल-मंडलम-अत्मकुर खंड की चार या अधिक लेन वाली परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(छब्बीस) का.आ. 4590(अ) जो दिनांक 8 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 1ए (नया एनएच-44) के किमी. 220.700 से किमी. 285.950 तक (श्रीनगर-काज़ीगुंड खंड) की चार या अधिक लेन वाली खंड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(सत्ताईस) का.आ. 4591(अ) जो दिनांक 8 अक्टूबर, 2025 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो हाइब्रिड एन्युटी मोड पर एनएचडीपी-आईवी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 73 (नया एनएच-344) के डिज़ाइन किमी. 51.340 से किमी. 86.855 तक गगलहेरी-सहारनपुर-यमुनानगर (यूपी/हरियाणा बॉर्डर) खंड की चार या अधिक लेन वाली परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(अट्ठाईस) का.आ. 4642(अ) जो दिनांक 13 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8ई के डिज़ाइन किमी. 54.990 से किमी. 122.420 तक (मौजूदा चेनेज किमी. 53.585 से किमी. 121.840 तक) तलाजा-महुवा-विक्टर खंड की चार या अधिक लेन वाली परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(उनतीस) का.आ. 4643(अ) जो दिनांक 13 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो ईपीसी मोड पर आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 765 के डिज़ाइन चेनेज किमी. 244.000 से 267.990 तक (मौजूदा किमी. 244.000 से 268.700 तक) डोरनाला-कुंटा खंड की पेव्ड शोल्डर्स सहित दो लेन वाली परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(तीस) का.आ. 4644(अ) जो दिनांक 13 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी मोड पर आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 516ई के डिज़ाइन किमी. 120.000 से किमी. 205.000 तक कोय्यूरु से चपरथीपालेम तथा चपरथीपालेम से लंबासिंगी खंड की पेव्ड शोल्डर्स सहित दो लेन वाली परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(इकतीस) का.आ. 4647(अ) जो दिनांक 13 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8ई के डिज़ाइन चेनेज किमी. 122.420 से किमी. 181.450 तक (मौजूदा चेनेज किमी. 121.840 से किमी. 180.478 तक) विक्टर-कागवदार-उना खंड की चार या अधिक लेन वाली परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(बत्तीस) का.आ. 4681(अ) जो दिनांक 13 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 25 जुलाई, 2025 के का.आ. 3448 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तैंतीस) का.आ. 4682(अ) जो दिनांक 15 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो ईपीसी मोड पर भारतमाला परियोजना के अंतर्गत दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र और उत्तर प्रदेश राज्य में एनएच-709बी के डिज़ाइन चेनेज किमी. 0.000 से किमी. 31.600 तक दिल्ली-सहारनपुर-हाईवे की चार या अधिक लेन वाली परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(चौंतीस) का.आ. 4683(अ) जो दिनांक 15 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो ईपीसी मोड पर भारतमाला परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 934 (पुराना एनएच-86) के किमी. 8.000 से किमी. 50.300 तक सागर-मोहारी खंड की चार या अधिक लेन वाली परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(पैंतीस) का.आ. 4684(अ) जो दिनांक 15 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो हाइब्रिड एन्युटी मोड पर झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 133 के मौजूदा किमी. 41.900 से किमी. 93.000 तक (डिज़ाइन किमी. 00.000 से किमी. 51.825 तक) मेहगामा-हंसडीहा खंड की चार या अधिक लेन वाली परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(छत्तीस) का.आ.4702 (अ) जो दिनांक 16 अक्टूबर, 2025 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो भारतमाला परियोजना के तहत हाइब्रिड एन्युइटी मोड पर आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16 के चिन्ना औवुतुपल्ली से गोल्लापुडी (डिजाइन किमी 0.000 से किमी 30.000 तक) खंड की विजयवाड़ा बाईपास के चार या अधिक लेन वाली परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(सैंतीस) का.आ. 4906(अ) जो दिनांक 27 अक्टूबर, 2025 को भारत के राजपत्र

में प्रकाशित हुआ था तथा जो हाइब्रिड एन्युइटी मोड पर भारतमाला परियोजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-30 (पूर्व में राष्ट्रीय राजमार्ग -12 ए) के डिज़ाइन कि.मी. 245.375 से कि.मी. 316.468 (पहले कि.मी. 246.849 से कि.मी. 317.406) तक कवर्धा-सिमगा खंड के पेव्ड शोल्डर्स सहित दो लेन वाली परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(अड़तीस) का.आ.5068(अ) जो दिनांक 10 नवम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 167ए के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 47.000 (मौजूदा कि.मी. 0.000 से कि.मी. 47.000) तक वोडारेवु – चिलकलुरिपेट खंड के पेव्ड शोल्डर्स सहित चार लेन वाली परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(उनतालीस) का.आ.5069(अ) जो दिनांक 10 नवम्बर, 2025 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बीओटी (टोल) पर कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के कि.मी. 10.000 से कि.मी. 29.500 तक बैंगलोर - नेलामंगला खंड की चार/छह लेन वाली परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(चालीस) का.आ.4950(अ) जो दिनांक 31 अक्टूबर, 2025 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी मोड पर आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 516ई के डिजाइन चेनेज कि.मी. 43.700 से कि.मी. 113.820 (मौजूदा चेनेज कि.मी. 43.700 से कि.मी. 116.865) तक रंपचोडावरम से कोय्युरु सेक्शन के पेव्ड शोल्डर्स सहित दो लेन वाली परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(इकतालीस) का.आ.4953(अ) जो दिनांक 31 अक्टूबर, 2025 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी आधार पर तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 381बी के मुसिरी नमक्कल खंड (कि.मी. 34.000 से कि.मी. 73.200 तक) का चार या अधिक लेन वाले खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(बयालीस) का.आ.5029(अ) जो दिनांक 4 नवम्बर, 2025 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो दिल्ली और हरियाणा राज्यों में दौला फीस प्लाजा (गुड़गांव) पर राष्ट्रीय राजमार्ग -48 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8) पर कि.मी. 14.300 से कि.मी. 42.000 तक दिल्ली से खेड़की तक चार लेन या उससे अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(तैंतालीस) का.आ.5191(अ) जो दिनांक 14 नवम्बर, 2025 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-67 के म्यदुकुर से नेल्लोर खंड के डिज़ाइन कि.मी. 585.820 (मौजूदा कि.मी. 585.930) से डिज़ाइन कि.मी. 744.355 (मौजूदा कि.मी. 741.950) तक 2एलपीएस/4 लेन के परियोजना के उपयोग के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(चवालीस) का.आ.5035(अ) जो दिनांक 6 नवम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग- 248ए के डिजाइन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 36.810 (मौजूदा कि.मी. 0.000 से कि.मी. 37.352) तक शाहपुरा – थानागाजी खंड के पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन की परियोजना के उपयोग के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(पैंतालीस) का.आ.5036(अ) जो 6 नवंबर, 2025 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-748 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग-4ए) के डिज़ाइन कि.मी. 30.000 से कि.मी. 82.300 (मौजूदा कि.मी. 30.800 से कि.मी. 84.120) तक खानपुर से गोवा/कर्नाटक सीमा खंड के पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन वाली परियोजना के उपयोग के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(छियालीस) का.आ.5037(अ) जो दिनांक 6 नवम्बर, 2025 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हाइब्रिड एन्युइटी मोड पर भारतमाला के तहत केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 के डिजाइन चेनेज कि.मी. 17.200 से कि.मी. 56.200 (नया राजमार्ग संख्या चेनेज कि.मी. 00.000 से कि.मी. 39.000) तक थालापडी (केरल/कर्नाटक बॉर्डर) से चेंगाला खंड के चार लेन या उससे अधिक लेन की परियोजना के लिए के उपयोग के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(सैंतालीस) का.आ.5083(अ) जो दिनांक 6 नवम्बर, 2025 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में ईपीसी मोड पर राष्ट्रीय राजमार्ग-57 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग-224) के डिज़ाइन चेनेज कि.मी. 239.900 से कि.मी. 294.300 तक नयागढ़-खोरधा खंड के पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन की परियोजना के उपयोग के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(अड़तालीस) का.आ.5084(अ) जो दिनांक 11 नवम्बर, 2025 को भारत के राजपत्र में पब्लिश हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में ईपीसी मोड पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 548सी के कि.मी. 0.00 से कि.मी. 85.686 तक

सतारा- म्हसवद के खंड के पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन की परियोजना के उपयोग के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(उनचास) का.आ.5086(अ) जो दिनांक 11 नवम्बर, 2025 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य ईपीसी मोड पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 227ए के डिज़ाइन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 54.960 (मौजूदा कि.मी. 0.000 से कि.मी. 55.00) तक छावनी से छपिया गांव के पास खंड के पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन की परियोजना के उपयोग के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(पचास) का.आ.5087(अ) जो दिनांक 11 नवम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में ईपीसी मोड पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-966 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या -213) के कि.मी. 87.000 से कि.मी. 133.720 तक नट्टुकल – थानौ जंक्शन, प्लक्कड़ खंड के पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन की परियोजना के उपयोग के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(4) (एक) भारतीय राजमार्ग इंजीनियर्स अकादमी, नोएडा के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय राजमार्ग इंजीनियर्स अकादमी, नोएडा के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI RAVNEET SINGH): Sir, I rise to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management (NIFTEM-T), Thanjavur, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management (NIFTEM-T), Thanjavur, for the year 2024-2025.

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Meat and Poultry Processing Board, New Delhi, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Meat and Poultry Processing Board, New Delhi, for the year 2024-2025.

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दुर्गा दास उइके) : सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) रामकृष्ण मिशन अस्पताल, ईटानगर, पापुम पारे के वर्ष 2018-2019, 2019-2020 और 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रामकृष्ण मिशन अस्पताल, ईटानगर, पापुम पारे के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) रामकृष्ण मिशन स्कूल, नरोत्तम नगर, जिला तिरप, अरुणाचल प्रदेश के वर्ष 2016-2017, 2021-2022 और 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा वर्ष 2016-2017, 2021-2022 और 2022-2023 और 2023-2024 के लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रामकृष्ण मिशन स्कूल, नरोत्तम नगर, जिला तिरप, अरुणाचल प्रदेश के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित रामकृष्ण मिशन स्कूल, नरोत्तम नगर, जिला तिरप, अरुणाचल प्रदेश के वर्ष 2017-2018 के पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) रामकृष्ण मिशन आलो, पश्चिम सियांग, अरुणाचल प्रदेश के वर्ष 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 और 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रामकृष्ण मिशन, आलो, पश्चिम सियांग, अरुणाचल प्रदेश के वर्ष 2016-2017, 2017-2018 और 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित वर्ष 2016-2017, 2017-2018 और 2018-2019 के पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चरल एसोसिएशन, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के वर्ष

2022-2023 और 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चरल एसोसिएशन, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) भारत सेवाश्रम संघ, बाराजुरी, घाटशिला, झारखंड के वर्ष 2015-2016, 2016-2017 और 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा वर्ष 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 और 2023-2024 के लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारत सेवाश्रम संघ, बाराजुरी, घाटशिला, झारखंड के वर्ष 2017-2018 और 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित वर्ष 2017-2018 के पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) भारत सेवाश्रम संघ, दुमका, झारखंड के वर्ष 2015-2016 और 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा वर्ष 2015-2016, 2017-2018, 2021-2022 और 2022-2023 के लेखापरीक्षित लेखे

(दो) भारत सेवाश्रम संघ, दुमका, झारखंड के वर्ष 2017-2018 और 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा की गई समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित वर्ष 2017-2018 और 2022-2023 के पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) रामकृष्ण मिशन आश्रम, मोरहाबादी, रांची के वर्ष 2015-2016, 2016-2017 और 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रामकृष्ण मिशन आश्रम, मोरहाबादी, रांची के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित वर्ष 2017-2018 के पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) रामकृष्ण मिशन ट्यूबरकुलोसिस सेनेटोरियम, रांची, झारखंड के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा वर्ष 2021-2022 और 2022-2023 के लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रामकृष्ण मिशन ट्यूबरकुलोसिस सेनेटोरियम, रांची, झारखंड के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा

अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित वर्ष 2022-2023 के पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) (एक) खंडेराव एजुकेशन सोसाइटी, धुले, महाराष्ट्र के वर्ष 2021-2022, 2022-2023 और 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) खंडेराव एजुकेशन सोसाइटी, धुले, महाराष्ट्र के वर्ष 2022-2023 और 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित वर्ष 2022-2023 के पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) (एक) रामकृष्ण मिशन आश्रम, चेरापूंजी, मेघालय के वर्ष 2022-2023 और 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रामकृष्ण मिशन आश्रम, चेरापूंजी, मेघालय के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) श्री रामकृष्ण आश्रम, कालाहांडी, ओडिशा के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) श्री रामकृष्ण आश्रम, कालाहांडी, ओडिशा के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) (एक) मुयाल लियांग ट्रस्ट, योंगडा हिल, गंगटोक, सिक्किम के वर्ष 2015-2016 और 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा वर्ष 2015-2016, 2016-2017 और 2017-2018 के लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मुयाल लियांग ट्रस्ट, योंगडा हिल, गंगटोक, सिक्किम के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण के सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित वर्ष 2017-2018 के पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) ग्रामीया मक्कल अभिविरुद्धी इयक्कम, कोयंबटूर, तमिलनाडु के वर्ष 2021-2022, 2022-2023 और 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ग्रामीया मक्कल अभिविरुद्धी इयक्कम, कोयंबटूर, तमिलनाडु के वर्ष 2022-2023 और 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित वर्ष 2022-2023 के पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) (एक) नीलगिरी आदिवासी कल्याण संघ, कोटागिरी, तमिलनाडु के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा वर्ष 2021-2022 और 2022-2023 के लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नीलगिरी आदिवासी कल्याण संघ, कोटागिरी, तमिलनाडु के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित वर्ष 2022-2023 के पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) (एक) भारत सेवाश्रम संघ बालुरघाट, दक्षिण दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा वर्ष 2021-2022 और 2022-2023 के लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारत सेवाश्रम संघ बालुरघाट, दक्षिण दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित वर्ष 2022-2023 के पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) (एक) आदर्श लोक कल्याण संस्था, सतना, मध्य प्रदेश के वर्ष 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 और 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा इंग्लिश वर्ज़न) की प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आदर्श लोक कल्याण संस्था, सतना, मध्य प्रदेश के वर्ष 2017-2018, 2018-2019 और 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) (एक) केशव ग्रामोत्थान शिक्षण समिति, डिंडोरी, मध्य प्रदेश के वर्ष 2022-2023 और 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केशव ग्रामोत्थान शिक्षण समिति, डिंडोरी, मध्य प्रदेश के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) (एक) मध्य प्रदेश आदिवासी सेवक संघ, जिला-शहडोल, मध्य प्रदेश के वर्ष 2022-

2023 और 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मध्य प्रदेश आदिवासी सेवक संघ, जिला-शहडोल, मध्य प्रदेश के वर्ष 2022-2023 और 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित वर्ष 2022-2023 के पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) सोसायटी फॉर नेचर, एजुकेशन एंड हेल्थ (एसएनईएच), खोरधा, ओडिशा के वर्ष 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2021-2022 और 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा वर्ष 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2021-2022, 2022-2023 और 2023-2024 के लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सोसायटी फॉर नेचर, एजुकेशन एंड हेल्थ (एसएनईएच), खोरधा, ओडिशा के वर्ष 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2022-2023 और 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित वर्ष 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 और 2022-2023 के पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) (एक) ग्राम विकास परिषद, नागांव, असम के वर्ष 2019-2020 और 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा वर्ष 2019-2020, 2021-2022 और 2022-2023 के लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ग्राम विकास परिषद, नागांव, असम के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित वर्ष 2022-2023 के पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) (एक) नोंग्क्रेम युवा विकास संघ, शिलांग, जिला- पूर्वी खासी हिल्स, मेघालय के वर्ष 2015-2016 और 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा वर्ष 2015-2016, 2016-2017 और 2017-2018 के लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नोंग्क्रेम युवा विकास संघ, शिलांग, जिला-पूर्वी खासी हिल्स, मेघालय के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित वर्ष 2017-2018 के पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) (एक) भारतियार मक्कल नलवालु संघम, सेलम, तमिलनाडु के वर्ष 2015-2016, 2016-2017, 2022-2023 और 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा वर्ष 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2022-2023 और 2023-2024 के लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतियार मक्कल नलवालु संघम, सेलम, तमिलनाडु के वर्ष 2017-2018 और 2023-2024 के कार्यकरण के सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित वर्ष 2017-2018 के पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) (एक) पांडे शिक्षा समिति, ग्राम-भमरहा, पोस्ट-देवदहा, तहसील-रामनगर जिला-सतना, मध्य प्रदेश के वर्ष 2022-2023 और 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पांडे शिक्षा समिति, ग्राम-भमरहा, पोस्ट-देवदहा, तहसील-रामनगर जिला-सतना, मध्य प्रदेश के वर्ष 2022-2023 और 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) उपर्युक्त (39) में उल्लिखित वर्ष 2022-2023 के पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) (एक) अशोक आश्रम, पोस्ट ऑफिस: अशोक आश्रम, वाया डाक पत्थर, जिला-देहरादून, उत्तराखंड के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अशोक आश्रम, पोस्ट ऑफिस: अशोक आश्रम, वाया डाक पत्थर, जिला-देहरादून, उत्तराखंड के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) उपर्युक्त (41) में उल्लिखित वर्ष 2018-2019 के पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) (एक) अरुण ग्रामीण मामलों के संस्थान (एआईआरए), अश्वखोला, करमुल, महिमगडी, ढेंकनाल, ओडिशा के वर्ष 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2021-2022, 2022-2023 और 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अरुण ग्रामीण मामलों के संस्थान (एआईआरए), अश्वखोला, करमुल, महिमगडी, ढेंकनाल, ओडिशा के वर्ष 2018-2019, 2019-2020, 2022-2023 और 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) उपर्युक्त (43) में उल्लिखित वर्ष 2018-2019, 2019-2020 और 2022-2023 के पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) (एक) एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन (एवीए) दामपुर, पोस्ट ऑफिस-बेरबोई, जिला-पुरी, ओडिशा के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा वर्ष 2020-2021, 2021-2022 और 2022-2023 के लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन (एवीए) दामपुर, पोस्ट ऑफिस-बेरबोई, जिला- पुरी, ओडिशा के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) उपर्युक्त (45) में उल्लिखित वर्ष 2022-2023 के पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(47) (एक) प्रकल्प, ज्योतिपुर, जिला-क्योंझर, ओडिशा के वर्ष 2016-2017 और 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) प्रकल्प, ज्योतिपुर, जिला-क्योंझर, ओडिशा के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(48) उपर्युक्त (47) में उल्लिखित वर्ष 2018-2019 के पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(49) (एक) टैगोर सोसाइटी फॉर रूरल डेवलपमेंट, रामेश्वर पटना, भुवनेश्वर, ओडिशा के वर्ष 2016-2017, 2017-2018 और 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टैगोर सोसाइटी फॉर रूरल डेवलपमेंट, रामेश्वर पटना, भुवनेश्वर, ओडिशा के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(50) उपर्युक्त (49) में उल्लिखित वर्ष 2018-2019 के पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(51) (एक) विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल हेल्थ एंड वेलफेयर सर्विस (विश्वास), नारायणपुर, छत्तीसगढ़ के वर्ष 2022-2023 और 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल हेल्थ एंड वेलफेयर सर्विस (विश्वास), नारायणपुर, छत्तीसगढ़ के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा

समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(52) (एक) स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन, जिला-वायनाड, केरल के वर्ष 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 और 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन, जिला-वायनाड, केरल के वर्ष 2020-2021 और 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(53) उपर्युक्त (52) में उल्लिखित वर्ष 2020-2021 और 2022-2023 के पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(54) (एक) टाइप राइटिंग इंस्टिट्यूशन और ग्रामीण विकास सेवा थौबल, मणिपुर के वर्ष 2018-2019, 2022-2023 और 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा वर्ष 2018-2019, 2020-2021, 2022-2023 और 2023-2024 के लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टाइप राइटिंग इंस्टिट्यूशन और ग्रामीण विकास सेवा थौबल, मणिपुर के वर्ष 2020-2021 और 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(55) उपर्युक्त (54) में उल्लिखित वर्ष 2020-2021 के पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(56) (एक) सामाजिक शिक्षा पर्यावरण और विकास (एसईईडी), एस टांडापल्ली, पोस्ट तमसा, जिला मलकानगिरी, ओडिशा के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सामाजिक शिक्षा पर्यावरण और विकास (एसईईडी), एस टांडापल्ली, पोस्ट तमसा, जिला मलकानगिरी, ओडिशा के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(57) उपर्युक्त (56) में उल्लिखित वर्ष 2020-2021 के पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(58) (एक) इंटरनेशनल रूरल एजुकेशन एंड कल्चरल एसोसिएशन (आईएनआरईसीए), आईएनआरईसीए कॉम्प्लेक्स, डेडियापाड़ा, नर्मदा, गुजरात के वर्ष 2022-2023 और 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंटरनेशनल रूरल एजुकेशन एंड कल्चरल एसोसिएशन (आईएनआरईसीए), आईएनआरईसीए कॉम्प्लेक्स, डेडियापाड़ा, नर्मदा, गुजरात के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण के सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी

संस्करण)।

(59) (एक) वायनाड गिरिजाना सेवा ट्रस्ट, जिला वायनाड, केरल के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा वर्ष 2019-2020, 2020-2021 और 2021-2022 के लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वायनाड गिरिजाना सेवा ट्रस्ट, जिला वायनाड, केरल के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(60) उपर्युक्त (59) में उल्लिखित वर्ष 2021-2022 के पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(61) (एक) चिल चिल एशियन मिशन सोसाइटी, चाम्स कैंपस, कांगलाटोंगबी, मणिपुर के वर्ष 2022-2023 और 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चिल चिल एशियन मिशन सोसाइटी, चाम्स कैंपस, कांगलाटोंगबी, मणिपुर के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(62) (एक) विन स्टीवंस कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, डब्ल्यूएससीटीआई कैंपस, चिंगखुलोंग, लामसांग, इंफाल पश्चिम, मणिपुर के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा वर्ष 2019-2020, 2020-2021 और 2021-2022 के लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विन स्टीवंस कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थान, डब्ल्यूएससीटीआई परिसर, चिंगखुलोंग, लामसांग, इंफाल पश्चिम, मणिपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(63) उपर्युक्त (62) में उल्लिखित, वर्ष 2021-2022 के पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(64) (एक) अमय ग्रामीण उत्थान समिति, 86 सीएस, आज़ाद मार्ग, राणापुर, झाबुआ मध्य प्रदेश के वर्ष 2020-2021, 2021-2022 और 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अमय ग्रामीण उत्थान समिति, 86 सीएस, आज़ाद मार्ग, राणापुर, झाबुआ मध्य प्रदेश के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(65) उपर्युक्त (64) में उल्लिखित वर्ष 2022-2023 के पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए

विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(66) (एक) बौद्ध दर्शन और जनजातीय सांस्कृतिक समाज अध्ययन संस्थान (आईएसबीपी और टीसीएस), लाहौल और स्पीति, हिमाचल प्रदेश के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा वर्ष 2020-2021, 2021-2022 और 2022-2023 के लिए लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बौद्ध दर्शन और जनजातीय सांस्कृतिक समाज अध्ययन संस्थान (आईएसबीपी एंड टीसीएस), लाहौल और स्पीति, हिमाचल प्रदेश के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(67) उपर्युक्त (66) में उल्लिखित वर्ष 2022-2023 के पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(68) (एक) राजस्थान बाल कल्याण समिति, उदयपुर, राजस्थान के वर्ष 2021-2022 और 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा वर्ष 2021-2022, 2022-2023 और 2023-2024 के लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजस्थान बाल कल्याण समिति, उदयपुर, राजस्थान के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(69) (एक) सव्यसांची शहरी एवं ग्रामीण विकास केन्द्र, अमर निकुंज, अर्जुन नगर, जिला सीधी, मध्य प्रदेश के वर्ष 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 और 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सव्यसांची शहरी एवं ग्रामीण विकास केन्द्र, अमर निकुंज, अर्जुन नगर, जिला सीधी, मध्य प्रदेश के वर्ष 2021-2022, 2022-2023 और 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(70) उपर्युक्त (69) में उल्लिखित वर्ष 2021-2022 और 2022-2023 के पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(71) (एक) श्री गणेश फाउंडेशन, लोहगांव, रंजने, शिंदखेड़ा, जिला धुले, महाराष्ट्र के वर्ष 2022-2023 और 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) श्री गणेश फाउंडेशन, लोहगांव, रंजने, शिंदखेड़ा, जिला धुले, महाराष्ट्र के वर्ष 2022-2023 और 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की

एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(72) उपर्युक्त (71) में उल्लिखित वर्ष 2022-2023 के पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(73) (एक) चंद्राई महिला मंडल, पिंपलनेर, ताल-सकरी, जिला-धुले, महाराष्ट्र के वर्ष 2021-2022, 2022-2023 और 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चंद्राई महिला मंडल, पिंपलनेर, ताल-सकरी, जिला-धुले, महाराष्ट्र के वर्ष 2022-2023 और 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(74) उपर्युक्त (73) में उल्लिखित वर्ष 2022-2023 के पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(75) (एक) श्री कोटुलेश्वर शिक्षण प्रसारक मंडल, पोस्ट-कोटुल, ताल-अकोले, जिला-अहमदनगर, महाराष्ट्र के वर्ष 2021-2022, 2022-2023 और 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) श्री कोटुलेश्वर शिक्षण प्रसारक मंडल, पोस्ट-कोटुल, ताल-अकोले, जिला-अहमदनगर, महाराष्ट्र के वर्ष 2022-2023 और 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(76) उपर्युक्त (75) में उल्लिखित वर्ष 2022-2023 के पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(77) (एक) श्री स्वामी स्वयं सेवा भावी संस्था, गणेशपुर, जिला धुले, महाराष्ट्र के वर्ष2022-2023 और 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) श्री स्वामी स्वयं सेवा भावी संस्था, गणेशपुर, जिला धुले, महाराष्ट्र के वर्ष 2022-2023 और 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा की गयी समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(78) उपर्युक्त (77) में उल्लिखित, वर्ष 2022-2023 के पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(79) (एक) एकीकृत ग्रामीण विकास और शैक्षिक संगठन, मणिपुर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा वर्ष 2022-2023 और 2023-2024 के लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एकीकृत ग्रामीण विकास और शैक्षिक संगठन, मणिपुर के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(80) (एक) संकल्प, रिवर छिन्दा व्यू एट-पटरकाना, पोस्ट-कसारदा, पीएस-नियाली, कटक, ओडिशा वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा वर्ष 2021-2022 और 2022-2023 के लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) संकल्प, रिवर छिन्दा व्यू एट-पतरकाना, पोस्ट-कसारदा, पीएस-नियाली, कटक, ओडिशा के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(81) उपर्युक्त (80) में उल्लिखित वर्ष 2022-2023 के पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(82) (एक) कोरापुट डेवलपमेंट फाउंडेशन, जिला कोरापुट, ओडिशा के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कोरापुट डेवलपमेंट फाउंडेशन, ज़िला कोरापुट, ओडिशा के 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(83) (एक) संधि निकेतन शिक्षण संस्थान, वडगांव, जिला नांदेड़, महाराष्ट्र के वर्ष 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 और 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) संधि निकेतन शिक्षण संस्था, वडगांव, जिला नांदेड़, महाराष्ट्र के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(84) (एक) दयानंद सेवाश्रम संघ, बोकाजन, कार्बी आंगलोंग, असम के वर्ष 2019-2020 और 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा वर्ष 2019-2020, 2021-2022 और 2022-2023 के लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दयानंद सेवाश्रम संघ, बोकाजन, कार्बी आंगलोंग, असम के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(85) उपर्युक्त (84) में उल्लिखित वर्ष 2022-2023 के पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(86) (एक) महाबोधि अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र, लेह लद्दाख के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा वर्ष 2020-2021, 2021-2022 और 2022-2023 के लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महाबोधि अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र, लेह लद्दाख के वर्ष 2022-2023 के

कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(87) उपर्युक्त (86) में उल्लिखित वर्ष 2022-2023 के पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(88) (एक) मालमाथा परिसर शिक्षण प्रसारक मंडल, नागपुर (पांच), ताल-सकरी, जिला-धुले, महाराष्ट्र के वर्ष 2021-2022 और 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मालमाथा परिसर शिक्षण प्रसारक मंडल, नागपुर (पांच), ताल-सकरी, जिला-धुले, महाराष्ट्र के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(89) उपर्युक्त (88) में उल्लिखित वर्ष 2022-2023 के पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(90) (एक) पुष्पा कॉन्वेंट एजुकेशन सोसाइटी, सी-537, पुष्पा नगर कॉलोनी, स्टेशन एरिया, भोपाल, मध्य प्रदेश के वर्ष 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 और 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पुष्पा कॉन्वेंट एजुकेशन सोसाइटी, सी-537, पुष्पा नगर कॉलोनी, स्टेशन एरिया, भोपाल, मध्य प्रदेश के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(91) उपर्युक्त (90) में उल्लिखित वर्ष 2022-2023 के पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(92) (एक) सेवा समाज, डाकघर-गुनुपुर, जिला-रायगढ़, ओडिशा के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा वर्ष 2020-2021, 2021-2022 और 2022-2023 के लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेवा समाज, डाकघर-गुनुपुर, जिला-रायगढ़, ओडिशा के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(93) उपर्युक्त (92) में उल्लिखित वर्ष 2022-2023 के पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(94) (एक) तापी परिसर एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट, धुले, महाराष्ट्र के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा वर्ष 2020-2021, 2021-2022 और 2022-2023 के लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तापी परिसर एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट, धुले, महाराष्ट्र के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(95) उपर्युक्त (94) में वर्ष 2022-2023 के लिए उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(96) (एक) भारत सेवाश्रम संघ बेलडांगा, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2022-2023 और 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारत सेवा/श्रम संघ बेलडांगा, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(97) (एक) रामकृष्ण शारदा मिशन, तिरप, अरुणाचल प्रदेश के वर्ष 2021-2022 और 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा वर्ष 2021-2022, 2022-2023 और 2023-2024 लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रामकृष्ण शारदा मिशन, तिरप, अरुणाचल प्रदेश के वर्ष 2021-2022, 2022-2023 और 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(98) उपर्युक्त (97) में वर्ष 2022-2023 के लिए उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) भारत सेवाश्रम संघ, पाकुड़, झारखंड के वर्ष 2021-2022, 2022-2023 और 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारत सेवाश्रम संघ, पाकुड़, झारखंड के वर्ष 2022-2023 और 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(99) उपर्युक्त (98) में वर्ष 2022-2023 के लिए उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(100) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। … (व्यवधान)

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तोखन साहू) : सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं **:-**

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ङ) (एक) कोच्चि मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोच्चि के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोच्चि मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोच्चि का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) (एक) भवन निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भवन निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी आवास संघ, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. राज भूषण चौधरी) : सभापति महोदय मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं **:-**

(1) (एक) राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रुड़की के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रुड़की के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(चार) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) ब्रहमपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ब्रहमपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान, तेजपुर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान, तेजपुर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) वाप्कोस लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) वाप्कोस लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। ... (व्यवधान)

1206 बजे (माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सभी अपनी-अपनी सीट्स पर जाइए।

... (व्यवधान)

1206 बजे

(इस समय श्री धर्मेन्द्र यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए।)

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सभी अपनी-अपनी सीट्स पर बैठ जाइए। मैं आपको बोलने के लिए समय दूंगा।

... (व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL (SHRI BHUPATHI RAJU SRINIVASA VARMA): Sir, I rise to lay on the Table a copy of the Report of the Comptroller and Auditor General of India – Union Government (No. 38 of 2025) – (Performance Audit – Commercial) on Performance of Blast Furnaces in Steel Authority of India, Ministry of Steel, under Article 151(1) of the Constitution.

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION (SHRI KINJARAPU RAMMOHAN NAIDU): Sir, on behalf of my colleague Shri Murlidhar Mohol, I rise to lay on the Table:-

(1) A copy of the Airports Authority of India (Leave) Amendment Regulations, 2024 (Hindi and English versions) published in Notification No. F.No. A-42011/60/2020-HR in Gazette of India dated 19th July, 2024 under Section 43 of Airports Authority of India Act, 1994.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Airports Authority of India, New Delhi, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Airports Authority of India, New Delhi, for the year 2024-2025.

(4) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(a) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Pawan Hans Limited, New Delhi, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the Pawan Hans Limited, New Delhi, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(5) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (4) above.

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

1208 hours

SECRETARY GENERAL: Sir, I have to report the following messages received from the Secretary General of Rajya Sabha:-

(i) "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 17th December, 2025 agreed without any amendment to the Repealing and Amending Bill, 2025 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 16th December, 2025."

(ii) "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 17th December, 2025 agreed without any amendment to the *Sabka Bima Sabki Raksha* (Amendment of Insurance Laws) Bill, 2025 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 16th December, 2025."

STANDING COMMITTEE ON AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY AND FOOD PROCESSING
22nd to 26th Reports

1209 hours

SHRI DUSHYANT SINGH (JHALAWAR-BARAN): Sir, I rise to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing:-

(1) Twenty-second Report on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the 68th Report (17th Lok Sabha) on the subject 'Promotion of Climate Resilient Farming' pertaining to the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (Department of Agriculture & Farmers Welfare).

(2) Twenty-third Report on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the 3rd Report (18th

Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2024-25)' pertaining to the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying (Department of Fisheries).

(3) Twenty-fourth Report on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the 4th Report (18th Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2024-25)' pertaining to the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying (Department of Animal Husbandry and Dairying).

(4) Twenty-fifth Report on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the 5th Report (18th Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2024-25)' pertaining to the Ministry of Food Processing Industries.

(5) Twenty-sixth Report on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the 10th Report (18th Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2025-26)' pertaining to the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying (Department of Fisheries).

STANDING COMMITTEE ON EXTERNAL AFFAIRS

9th to 11th Reports

SUSHRI PRANITI SUSHILKUMAR SHINDE (SOLAPUR): Sir, I rise to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Committee on External Affairs (Eighteenth Lok Sabha):-

(1) Ninth Report on the subject 'Future of India-Bangladesh Relationship'.

(2) Tenth Report on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the Fifth Report of the Committee on External Affairs (18th Lok Sabha) on the subject 'Demands for Grants of the Ministry of External Affairs for the year 2025-26'.

(3) Eleventh Report on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the Sixth Report of the

Committee on External Affairs (18th Lok Sabha) on the subject 'Indian Diaspora Overseas including NRIs, PIOs, OCIs and Migrant Workers: All Aspects of their Conditions and Welfare, including the Status of the Emigration Bill'.

STANDING COMMITTEE ON EXTERNAL AFFAIRS

Statement

SUSHRI PRANITI SUSHILKUMAR SHINDE (SOLAPUR): Sir, I rise to lay the Statement (Hindi and English versions) of the Standing Committee on External Affairs showing Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the Seventh Report of the Standing Committee on External Affairs (Eighteenth Lok Sabha) on Action Taken by the Government on the Recommendations contained in the Fourth Report (Eighteenth Lok Sabha) on the Demands for Grants of the Ministry of External Affairs for the year 2024-25.

STANDING COMMITTEE ON RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ

24th Report

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA (KORAPUT): Sir, I rise to present the Twenty-fourth Report (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Rural Development and Panchayati Raj on 'Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 - Implementation and Effectiveness' pertaining to the Department of Land Resources (Ministry of Rural Development).

STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 12TH REPORT OF STANDING COMMITTEE ON AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY AND FOOD PROCESSING - LAID

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI RAVNEET SINGH): Sir, I rise to lay a statement (Hindi and English versions) regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 12th Report of the Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing (2024-25) on the 'Demands for Grants (2025-26) (Demand No. 45)' pertaining to Ministry of Food Processing Industries.

(1210/NK/VPN)

आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति के तीसरे और सत्रहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य- सभा पटल पर रखा गया

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तोखन साहू): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2025-26)' के बारे में आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति (2024-25) के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से संबंधित 'प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के कार्यान्वयन का मूल्यांकन' के बारे में आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति (2022-23) के सत्रहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

… (व्यवधान)

MOTION RE : REPORT OF JOINT COMMITTEE ON THE CONSTITUTION (ONE HUNDRED AND THIRTIETH AMENDMENT) BILL, 2025; THE JAMMU AND KASHMIR REORGANIZATION (AMENDMENT) BILL, 2025; AND THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES (AMENDMENT) BILL, 2025 - EXTENSION OF TIME

1212 hours

SHRIMATI APARAJITA SARANGI (BHUBANESWAR): Hon. Speaker, Sir, I wish to move the following motion :

> “ That this House do extend time for presentation of the Report of the Joint Committee on the Constitution (One Hundred and Thirtieth Amendment) Bill, 2025; the Jammu and Kashmir Reorganization (Amendment) Bill, 2025; and the Government of Union Territories (Amendment) Bill, 2025 upto the first day of last week of the Budget Session, 2026 ”

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> “कि यह सभा ‘संविधान (एक सौ तीसवां संशोधन) विधेयक, 2025; जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025; और संघ राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2025’ संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत किये जाने के लिए समय को बजट सत्र, 2026 के अंतिम सप्ताह के प्रथम दिवस तक बढ़ाती है।”

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: लाल जी वर्मा जी, आप क्या बोलना चाहते हैं?

श्री लालजी वर्मा (अम्बेडकर नगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह विषय पूरे देश के 25 लाख शिक्षकों से जुड़ा है, अकेले उत्तर प्रदेश में दो लाख शिक्षकों से जुड़ा प्रश्न है। जैसे आईएएस की परीक्षा होती है, बीच में कोई दूसरी परीक्षा नहीं होती है। शिक्षकों की नियुक्ति एक बार उनके क्वालिफिकेशन के आधार पर होती है, बीच में दूसरी कोई परीक्षा नहीं होती है। अगर नियमावली में चेंज किया गया तो जब से चेंज किया उसके बाद से नियुक्त होने वाले अध्यापकों पर लागू होता है। प्राथमिक और मिडल क्लास में पढ़ाने वाले शिक्षकों की वर्ष 2009 के पहले भर्ती हुई थी, उस समय क्वालिफिकेशन के आधार पर भर्ती हुई।

वर्ष 2009 में नया शिक्षा अधिनियम बना, उसके बाद लागू होना था। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दे दिया कि जो 2009 के पहले भी शिक्षक नियुक्त थे उनको भी टीटीई की परीक्षा देना होगा। अगर कोई वकील वकालत पढ़ कर जज बना है, अगर उससे कहा जाए कि आप फिर से एलएलबी की परीक्षा पास कीजिए तो यह निश्चित रूप से अन्याय है। उसी तरह से शिक्षकों के साथ अन्याय है जो दस साल और बीस साल से अध्यापन का काम कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी इस पर बोलें। इसमें संशोधन करके पहले से जो कार्यरत शिक्षक हैं, उन पर यह लागू न हो, ऐसा एक संशोधन लाया जाए।

माननीय अध्यक्ष: इसमें भारत सरकार क्या करगी? यह भारत सरकार का विषय नहीं है।

श्री लालजी वर्मा (अम्बेडकर नगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में ऐसा एक संशोधन लाया जाए कि पहले से कार्यरत शिक्षकों को टीटीई की परीक्षा न देना पड़े। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: यह तरीका ठीक नहीं है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री सप्तगिरी शंकर उलाका और एडवोकेट डीन कुरियाकोस को श्री लालजी वर्मा द्वारा उठाये गये विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति दी जाती है।

1214 hours

(At this stage, Shri Dharmendra Yadav, Shri Lalji Verma and some other hon. Members left the House.)

… (व्यवधान)

SECURITIES MARKETS CODE BILL

1214 hours

THE MINISTER OF FINANCE; AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I rise to move for leave to introduce a Bill to consolidate and amend the laws relating to the securities markets and for matters connected therewith or incidental thereto.

माननीय अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> " कि प्रतिभूति बाजारों से संबंधिति विधियों को समेकित और संशोधित करने तथा उनसे संसक्त या आनुषंगिक विषयों वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए। "

ई टी बशीर जी, क्या आप बोलेंगे?

(1215/UB/IND)

SHRI E. T. MOHAMMED BASHEER (MALAPPURAM): No, Sir.

SHRI ARUN NEHRU (PERAMBALUR): Sir, I rise to oppose the introduction of the Securities Markets Code Bill, 2025, under Rule 72.

While consolidation of laws may be desirable, the Bill is not a mere consolidation. It fundamentally alters the balance between the Legislature, the Executive and the Regulator with the market participants being the affected party.

I rise to oppose giving four main points – excessive delegation of legislative power to one particular entity, dangerous concentration of power in one regulator which is SEBI, dilution of due diligence and presumption of innocence, and regulatory over reach. Hon. Speaker, the Bill centralises power, weakens Parliamentary control, prioritises enforcement over fairness and accountability. For these reasons, I oppose the introduction of the Securities Markets Code Bill and urge the Government to actually have balance between all the participants.

SHRI MANISH TEWARI (CHANDIGARH): Mr. Speaker, Sir, under Rule 72(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Lok Sabha, I rise to oppose the Securities Markets Code Bill, 2025, on the following grounds.

First, the Bill results in an unconstitutional concentration of legislative, executive, investigative, adjudicatory and quasi-judicial powers in a single

authority, namely, the Board. The same body frames regulations, conducts inspections and investigations, passes interim coercive orders, adjudicates violations, imposes penalties, orders disgorgement and even reviews and enhances orders of its own adjudicating officer. This fusion of powers violates the principle and the doctrine of separation of powers and creates a real apprehension of institutional bias, offending Article 14 and 21 of the Constitution of India.

Second, the Bill, as my colleague, Mr. Arun Nehru, was pointing out, entails excessive delegation of essential legislative functions, leaving core policy matters such as regulatory scope, registration of standards, penalties, exemptions, market conduct norms and even expansion of securities to Executive-made rules and regulations. Parliament is reduced to a mere enabling authority, contrary to the settled constitutional principles and doctrines.

Third, several provisions permitting to search, seizure, attachment of property, freezing of bank accounts and prolonged interim orders, including *ex parte* actions, lack of adequate statutory safeguards, narrow thresholds and strict timelines are there. These coercive powers are exercised predominantly through delegated legislation and executive discretion, and fall foul of due process requirements under Article 21 and fail the test of proportionality.

Fourth, the Bill entrenches over-delegation to self-regulatory organisations and market infrastructure institutions. The Bill effectively allows private bodies to exercise coercive, quasi-legislative and quasi-judicial powers over market participants with only skeletal guidance in the parent statute, thereby crossing the line from permissible delegation into abnegation.

Fifth, the Securities Appellate Tribunal and Special Courts provisions raise concerns about tribunalisation without adequate judicial independence, tenured security and insulation from Executive/SEBI control and that these concerns appear at odds with the principles laid down in the Supreme Court's various orders on tribunal jurisprudence.

On these and other grounds, I oppose the introduction of the Securities Markets Code Bill, 2025.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I have gone through in detail the points on which the hon. Members are opposing the introduction of the Bill.

1219 hours (Shri Krishna Prasad Tenneti *in the Chair*)

I think, instead of going into details of each one of the objections, I would like to highlight the point that at this stage of introduction, we are only making the Bill to be sent over to the Standing Committee to do a complete review of the Bill.

(1220/KDS/NKL)

From all the points that I have looked at, they are very clearly the matters which can be extensively debated in the Standing Committee, none of which pertain to the legislative competence of bringing this Bill. Therefore, at the time of introduction of the Bill, to oppose it – in my view which I submit in all my humility before the Chair – are matters which are completely pertaining to be discussed in the Committee. So, at this stage, I do not think any one of the points, which the hon. Members raised, stands merit to oppose the introduction. Therefore, I would still like to request you to allow the introduction of this Bill, and then allow it to be sent to the Standing Committee.

माननीय सभापति (श्री कृष्णा प्रसाद तेन्नेटी): माननीय मंत्री जी, मैं यह सूचित करना चाहता हूं कि नियम-331 के अधीन किसी भी विधेयक को विभाग संबंधी स्थायी समिति को विचार करने हेतु सौंपने की शक्ति माननीय अध्यक्ष जी को है। आपका यह आग्रह कि इस विधेयक को विभाग संबंधी स्थायी समिति को विचार के लिए भेजा जाए, इस पर माननीय अध्यक्ष जी निर्णय करेंगे।

…(<u>व्यवधान</u>)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

> "कि प्रतिभूति बाजारों से संबंधित विधियों को समेकित और संशोधित करने तथा उनसे संसक्त या उनके आनुषंगिक विषयों वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I introduce the Bill. …(*Interruptions*)

RE: REFERENCE OF SECURITIES MARKETS CODE BILL TO STANDING COMMITTEE ON FINANCE

THE MINISTER OF FINANCE; AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, will you permit me to move that the Bill be sent to the Standing Committee? You said that the hon. Speaker will decide it, but I have not moved the Motion for it. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Madam, the hon. Speaker will decide.

… (*Interruptions*)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, the decision that you gave from that very Chair is that the hon. Speaker will decide. So, please allow me to move it, and I will submit to the discretion of the hon. Speaker to decide what he wants to do with it. Can I move it? … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Yes, please do so.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I request that the Bill be referred to the Parliamentary Standing Committee on Finance. The Committee shall make a report by the first day of the next Session, if the Speaker so decides. … (*Interruptions*)

संसदीय कार्य मंत्री; तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू) : यह आपकी ही डिमांड थी। मैं केवल याद दिलाना चाहता हूं। श्री वेणुगोपाल जी यहां नहीं हैं। This was the demand made by the Opposition Party that at least two of the Bills should be referred to the Parliamentary Committee. … (*Interruptions*) So, the Government is willingly doing so. … (*Interruptions*) This Bill is going to the Standing Committee. … (*Interruptions*)

माननीय सभापति : माननीय अध्यक्ष जी इस पर निर्णय लेंगे।

…(व्यवधान)

नियम-377 के अधीन मामले- सभापटल पर रखे गए

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, नियम-377 के अधीन मामलों को सभा-पटल पर रखा जाएगा। जिन सदस्यों को नियम-377 के अधीन मामलों को आज उठाने की अनुमति दी गई है और जो उन्हें सभा-पटल पर रखने के लिए इच्छुक हैं, वे 20 मिनट के भीतर मामले का पार्ट व्यक्तिगत रूप से सभापटल पर भेज दें।

Re: Need to introduce NCC training programme in PM SHRI schools and Sandipani Vidyalayas in Madhya Pradesh

श्री गणेश सिंह (सतना) : मैं आपके माध्यम से देश के माननीय रक्षा मंत्री जी का ध्यान शैक्षणिक संस्थानों में एनसीसी कार्यक्रम से जुड़े एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार की पीएम श्री स्कूल योजना तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित संदीपनी विद्यालय (सीएम राइज स्कूल) में अब तक एनसीसी का पाठ्यक्रम एवं कार्यक्रम प्रारंभ नहीं किया गया है। एनसीसी जैसे कार्यक्रम विद्यार्थियों में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, राष्ट्रभक्ति और सेवा भावना विकसित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में मेरा प्रश्न है कि इन विद्यालयों में एनसीसी कार्यक्रम कब प्रारंभ किया जाएगा? मेरी आग्रह पूर्ण माँग है कि मेरे लोकसभा क्षेत्र सतना सहित मध्य प्रदेश के सभी जिलों में स्थित पीएम श्री, संदीपनी विद्यालय (सीएम राइज स्कूलों) में एनसीसी कार्यक्रम को शीघ्र प्रारंभ कराया जाए, ताकि हमारे युवा देश सेवा के लिए प्रेरित हो सकें और सशक्त नागरिक बन सकें। मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से इस विषय पर आवश्यक एवं त्वरित कदम उठाने का आग्रह करता हूँ।

(इति)

Re: Need to establish the National Institue of Electronics and Information Technology in Shahjahanpur, Uttar Pradesh

श्री अरुण कुमार सागर (शाहजहाँपुर) : मेरा शाहजहांपुर जिला सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक दृष्टि से अत्यंत पिछड़ा, व प्रमुख रूप से SC एवं OBC बहुल क्षेत्र है। यहाँ डिजिटल शिक्षा, कप्यूटर प्रशिक्षण तथा तकनीकी कौशल की सुविधाएँ लगभग न के बराबर हैं, जिसके कारण युवाओं, महिलाओं और छात्रों को रोजगार एवं कौशल विकास के अवसरों से वंचित रहना पड़ रहा है। दिनांक 28 नवम्बर 2025 को मुझे राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (NIELIT), गोरखपुर के निदेशक की ओर से प्राप्त पत्र में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि यदि शाहजहांपुर में कम से कम 3000 वर्गफीट का किराया मुक्त उपयुक्त एवं सुसज्जित भवन उपलब्ध कराया जाए, तभी जिले में NIELIT केंद्र की स्थापना संभव है। यह पत्र यह भी दर्शाता है कि जिले की आवश्यकताओं और जनसंख्या संरचना को देखते हुए किसी छोटे या सीमित स्थान से अपेक्षित लाभ नहीं मिल सकेगा। शाहजहांपुर जैसे बड़े. SC-OBC प्रधान, पिछड़े जिले को एक पूर्ण विकसित, स्वतंत्र NIELIT डिजिटल साक्षरता एवं कौशल विकास केंद्र की अत्यंत आवश्यकता है। अतः यहाँ की वास्तविक आवश्यकला केवल प्रतीकात्मक प्रशिक्षण केंद्र की नहीं, बल्कि एक पूर्ण विकसित, 3000 वर्गफीट क्षेत्रफल वाला, स्थायी स्वतंत्र NIELIT डिजिटल साक्षरता एवं कौशल विकास केंद्र की है, जिसमें कक्षाएँ, कंप्यूटर लैब, परीक्षा इकाई तथा सभी आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध हो। ऐसा केंद्र ही जिले के युवाओं को वास्तविक अवसर और गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा प्रदान कर सकेगा। इस संदर्भ में, मैंने माननीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री को पत्र लिखकर निवेदन किया, जिसके उत्तर में उन्होंने पत्र संख्या 2663137/एमईआईटी/2025 (दिनांक 08.12.2025) से अवगत कराया कि आवश्यक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अतः निवेदन है कि उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में NIELIT का पूर्ण विकसित स्थायी केंद्र मंत्रालय की अपनी निधि से स्थापित करने हेतु तत्काल अनुमोदन प्रदान करें, ताकि पिछड़े एवं SC बहुल इस क्षेत्र के लाखों युवाओं का भविष्य सशक्त हो सके।

(इति)

Re: Need to enhance allocation of funds for completion of elevated express on NH-66 and other road projects in Karnataka

SHRI KOTA SRINIVASA POOJARY (UDUPI CHIKMAGALUR): The construction of an elevated Express on NH 66 being upgraded from Talachery Checkpost to Byndoor, Kundapura in Karnataka involves significant flyovers, underpasses and crucial service road construction to manage local traffic, with recent approvals for service roads and FOBs near Koteshwara, Brahmavara and Hejmady to improve safety and flow on this vital Coastal highway. Elevated expressway on Byndoor to Karwar Goa Border - Coastal Karnataka faces severe congestion, rapid urbanisation. An elevated expressway will significantly improve travel efficiency, reduce accidents, promote tourism from Kerala to Goa along Coastal Karnataka Declaration of a New National Highway Agumbe - Sringeri - Agalagundi Jaipura Balehonnuru - Hyrambi - Alduru - Nadipur, currently aligned along SH-65 and SH-27 in Karnataka connects Coastal Udupi district with Chikmagalur Shimoga districts, Kundapudra - Koteshwara - Halady - Someshwara Agumbe - Sringeri in Udupi and Chikkamagaluru districts. This corridor has already received in-principle approval. This Project is expected to enhance connectivity between the Coast and the hinterlands and usher in economic development. Development and public safety as the routes connect key towns, economic zones, historical centres and agricultural belts. I appeal to the Hon'ble Minister to sanction and allocate more funds for early completion of these crucial road projects.

(ends)

Re: Need to recognize 'Itkhori Festival' of Jharkhand as a 'National Festival'

श्री काली चरण सिंह (चतरा) : मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र चतरा, झारखंड स्थित इटखोरी की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। इटखोरी माँ भद्रकाली की ऐतिहासिक नगरी होने के साथ-साथ तीन प्रमुख धर्मों—हिन्दू, जैन एवं बौद्ध—का पावन संगम स्थल है। यह क्षेत्र धार्मिक, सांस्कृतिक और पुरातात्विक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। सन् 2015 से इटखोरी महोत्सव का आयोजन राज्य सरकार द्वारा राजकीय महोत्सव के रूप में किया जा रहा है, जिसमें देश-विदेश से हजारों श्रद्धालु एवं पर्यटक भाग लेते हैं। इस महोत्सव से न केवल क्षेत्र की प्राचीन विरासत को वैश्विक पहचान मिली है, बल्कि स्थानीय रोजगार, पर्यटन और सांस्कृतिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिला है। इटखोरी की ऐतिहासिक एवं आध्यात्मिक महत्ता को देखते हुए, मेरा विनम्र आग्रह है कि भारत सरकार इटखोरी महोत्सव को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान करते हुए "राष्ट्रीय महोत्सव" घोषित करने पर उचित विचार करे, ताकि इस पावन स्थल का व्यवस्थित विकास हो सके और देश-विदेश के अधिकाधिक पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके।

(इति)

Re: Need for adequate financial provision to develop the birth places of eminent persons of Odisha under Baraputra Aitihya Grama Yojana

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Odisha has been blessed with illustrious sons and daughters—freedom fighters, poets, litterateurs, scholars, social reformers, and eminent personalities—whose contributions have profoundly shaped the socio-cultural and literary landscape of our state. Their legacy is a source of inspiration and must be preserved for future generations. On 20th June, 2025, during his visit to Odisha marking the completion of one year of the new government, the Hon'ble Prime Minister announced the Baraputra Aitihya Grama Yojana, aimed at developing the birthplaces of 23 such eminent personalities. This scheme is a fitting tribute to their memory and a step towards safeguarding our heritage. For the successful implementation of this visionary initiative, I urge upon the Union Government to make adequate financial provisions. Such support will ensure that the legacy of these great figures is honoured in a manner befitting their stature and preserved as a living inspiration for generations to come.

(ends)

Re: Need for rejuvenation of Shri Dauji Maharaj Temple in Hathras district, Uttar Pradesh

श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि (हाथरस) : मैं आपके माध्यम से जनता से जुड़े एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हाथरस जिले में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला श्री दाऊजी महाराज "लक्की मेला" लगभग 275 वर्ष पुरानी परंपरा है और इसमें लाखों श्रद्धालु एवं आगंतुक भाग लेते हैं।कहा जाता है कि श्री दाऊजी महाराज मंदिर को 18वीं शताब्दी में राजा दयाराम ने बनवाया था। 1817 में, जब ब्रिटिशों ने इलाके पर हमला किया था, उन्होंने मंदिर पर भी तोप का गोला दागा था। लेकिन जो चौंकाने वाली बात है: मंदिर को कोई बड़ी क्षति नहीं हुई। उस तोप का एक गोला आज भी मंदिर में सुरक्षित रखा हुआ है। हाथरस जिले में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला श्री दाऊजी महाराज "लक्की मेला" सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक पहचान और क्षेत्रीय आस्था का प्रमुख प्रतीक है। अतः मेरा निवेदन है कि सरकार इस मंदिर के जीर्णोद्धार एवं संरचनात्मक सुधार को जल्दी से जल्दी कराने की कृपा करें।

(इति)

Re: Need for a legislative framework to recognize new categories of heritage and conservation of unprotected heritage sites in the country

SHRI P. P. CHAUDHARY (PALI): I wish to draw the attention of the house towards the need for restoring unprotected heritage structures that are in a neglected state. A NITI Aayog report highlighted that only 7% of mapped heritage structures are protected. The report estimates that India has over 5,00,000 potential heritage sites. In Rajasthan, around 43,000 heritage sites are officially listed, with the actual number being significantly higher. Many of these heritage sites remain without conservation oversight and are vulnerable to encroachment and disrepair. India has taken rapid strides in the conservation of key heritage sites through initiatives like the 'Adopt a Heritage' scheme. However, India still does not have a distinct recognition of heritage categories such as heritage routes, cultural landscapes and industrial heritage. This leads to the situation wherein a significant number of heritage sites remain unprotected. Expanding the legislative framework to include these categories of heritage sites will not only bolster conservation of our heritage but also increase tourism potential of these sites. Therefore, I urge the Ministry of Culture to come up with a legislative framework for the recognition of new categories of heritage and conservation of unprotected heritage sites.

(ends)

Re: Railway related issues of Jalore Parliamentary Constituency

श्री लुम्बाराम चौधरी (जालौर) : मैं सरकार के समक्ष मेरे संसदीय क्षेत्र जालोर की रेल संबंधी निम्नलिखित मांगो को रखना चाहता हूँ:-

1. करोना काल के पूर्व जयपुर से अहमदाबाद चलने वाली लोकल 54805 अप और 54806 डाउन ट्रेन को पुन: शुरू किया जाए अथवा 19735 अप और 19736 डाउन जयपुर से मारवाड को अहमदाबाद तक विस्तार किया जाए।
2. पिंडवाड़ा में रेल फाटक संख्या 104 पर रेल्वे अंडर पास के निर्माण के लिए ₹ 5.68 करोड का बजट स्वीकृत है परन्तु लगभग ढेड साल बीत जाने के बावजूद निर्माण कार्य शुरू नही हुआ है इस कार्य को जल्द से जल्द प्रारंभ किया जाए।
3. पिंडवाड़ा रेलवे स्टेशन पर आश्रम एक्सप्रेस गरीब रथ वन्देभारत तथा बंगलौर भगत की कोठी का ठहराव दिया जाए।
4. स्वरूपगंज रेलवे स्टेशन पर हरिद्वार मेल , आश्रम एक्सप्रेस , गरीबरथ एक्सप्रेस का ठहराव दिया जाए।
5. अहमदाबाद आबूरोड डी0एम0यू0 को फालना तक विस्तारित किया जाए।
6. पिंडवाड़ा रेलवे स्टेशन पर भगत की कोठी पूणे जं0 साप्ताहिक ट्रेन बीकानेर -मिराज जं तथा भावनगर -अयोध्या केंट ट्रेनो का का ठहराव दिया जाए।
7. स्वरूपगंज रेलवे स्टेशन के समीप रेलवे लाइन के दोनो तरफ आने जाने के लिए फुट ओवन ब्रिज का निमार्ण किया जाए।
8. अहमदाबाद गोरखपुर एक्सप्रेस को सप्ताह मे सातो दिन चलाया जाए। तथा पिण्डवाडा में ठहराव दिया जाए।

(इति)

Re: Need to accord permission to provide public accessibility to Defence lands in Malkajgiri Parliamentary Constituency

SHRI EATALA RAJENDER (MALKAJGIRI): I wish to raise the matter of civic access to certain defense lands in Malkajgiri Parliamentary Constituency. The stretches from "Kowkur Dargah to BITS Pilani-CRPF Road" and near "Suchitra MMTS Station" were earlier used for firing range operations and are now either inoperative or functioning in a closed circuit. Opening these corridors for regulated civic access will provide great relief to civilians as well as Army personnel. In particular, permission is urgently required for construction of a 3-kilometre black-topped road from Kowkur Dargah to BITS Pilani-CRPF Road, which is presently under defence control. Developing this road will serve as an alternative route to ease traffic congestion on the main roads, reduce long travel distances, and improve connectivity in the area. These measures will enhance public convenience, strengthen civil-military harmony, and contribute to smoother traffic flow in the region. I urge the concerned authorities to accord necessary permission at the earliest so that these vital routes can be made available for public use.

(ends)

Re: Need to introduce a direct flight service between Silchar and Delhi

श्री परिमल शुक्लबैद्य (सिल्चर) : मैं नागर विमानन मंत्री महोदय का ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण जनहित के विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। उत्तर-पूर्व भारत का प्रमुख नगर सिलचर, जो असम के बराक घाटी क्षेत्र का मुख्य द्वार है, आज भी देश की राजधानी नई दिल्ली से सीधी हवाई सेवा से वंचित है। वर्तमान में यात्रियों को कोलकाता या गुवाहाटी के माध्यम से कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी पड़ती है, जिससे कुल यात्रा समय 5 घंटे से अधिक हो जाता है। इससे यात्रियों को अतिरिक्त समय, आर्थिक बोझ और अनावश्यक मानसिक तनाव झेलना पड़ता है। सिलचर न केवल असम,बल्कि त्रिपुरा,मिजोरम और मेघालय जैसे पड़ोसी राज्यों के लिए भी एक महत्त्वपूर्ण ट्रांज़िट हब है। यहाँ से बड़ी संख्या में विद्यार्थी,सरकारी कर्मचारी, व्यापारी, मरीज और आम नागरिक नियमित रूप से दिल्ली की यात्रा करते हैं। इस क्षेत्र में बढ़ती जनसंख्या और परिवहन की आवश्यकता को देखते हुए सीधी उड़ान सेवा अत्यंत अनिवार्य हो चुकी है। यदि सिलचर–दिल्ली सीधी उड़ान सेवा प्रारंभ की जाती है, तो इससे क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिलेगा, चिकित्सा व व्यापारिक गतिविधियों को बल मिलेगा, पर्यटन की संभावनाएँ बढ़ेंगी और यात्रियों का समय व व्यय दोनों की बचत होगी।साथ ही, यह 'उड़ान योजना' के उद्देश्यों को भी सशक्त रूप से आगे बढ़ाएगा।

(इति)

Re: Need to constitute 'Kalanamak Vikas Board' and to include Kalanamak rice in the second schedule of APEDA Act

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर एवं पूर्वांचल क्षेत्र में उत्पादित पारंपरिक काला नमक चावल की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। यह प्राचीन धान प्रजाति, जिसे "बुद्ध का प्रसाद" भी कहा जाता है, अपनी विशिष्ट सुगंध, पोषक गुणों, जैविक उत्पादन और GI-Tag की वजह से राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अत्यंत प्रतिष्ठित है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत और पारंपरिक कृषि उत्पादों को प्रोत्साहन देने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इसी भावना के अनुरूप, काला नमक चावल को संगठित एवं संस्थागत सहयोग की आवश्यकता है। अतः मेरा विनम्र निवेदन है कि काला नमक चावल के उत्पादन, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग और निर्यात वृद्धि हेतु "काला नमक विकास बोर्ड (Kalanamak Board)" की स्थापना की जाए। यह कदम पूर्वांचल के लाखों किसानों को प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ देगा। साथ ही, अनुरोध है कि काला नमक चावल को APEDA अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में शामिल किया जाए, जिससे इसे औपचारिक निर्यात समर्थन, गुणवत्ता प्रमाणन और वैश्विक बाज़ार तक बेहतर पहुँच प्राप्त हो सके। यह दोनों निर्णय क्षेत्रीय कृषि विकास और पारंपरिक भारतीय धान विविधताओं के संरक्षण में अत्यंत सहायक होंगे।

(इति)

Re: Need to relax norms for establishment of branches of nationalized banks in tribal areas of Udaipur, Rajasthan

डॉ. मन्ना लाल रावत (उदयपुर) : लोकसभा क्षेत्र उदयपुर मुख्यतः जनजाति बहुल क्षेत्र है, जहाँ बिखरी हुई आबादी और पहाड़ी भू-भाग के कारण अनेक स्थानों पर बैंकिंग सुविधाओं का गंभीर अभाव है। उदयपुर जिले के कल्याणपुर, बावलवाड़ा, कनबई, सलूम्बर जिले के जावद, चावण्ड, परसाद, गींगला, सल्लाड़ा, झल्लारा, खरका तथा प्रतापगढ़ जिले के मूंगाणा (धरियावद) सहित कई बड़े गाँवों में राष्ट्रीयकृत बैंक शाखाएँ खोलने की मांग लंबे समय से की जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा जनजाति क्षेत्रों में सैचुरेशन आधारित विकास हेतु धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान सहित अनेक योजनाएँ चलाई जा रही हैं। साथ ही, पीएमजीएसवाई जैसी योजनाओं के मानकों में भी जनजाति क्षेत्रों के लिए विशेष छूट दी गई है, जिससे बुनियादी सुविधाओं के विस्तार को प्रोत्साहन मिला है। सरकार का लक्ष्य प्रत्येक गाँव के 5 किमी के दायरे में बैंकिंग आउटलेट उपलब्ध कराना है, किंतु जनजाति बहुल क्षेत्रों की दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों—पहाड़ी मार्ग, बिखरी बसावट और सीमित परिवहन—को देखते हुए यह दूरी 2.5 किमी निर्धारित किया जाना आवश्यक है। अतः विनम्र निवेदन है कि जनजाति क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को सुदृढ़ करने हेतु राष्ट्रीयकृत बैंक शाखाएँ खोलने के मानकों में व्यावहारिक छूट प्रदान की जाए, ताकि जनजाति क्षेत्र के व्यापारी, किसान और आमजन को सुगम व समान बैंकिंग सुविधाएँ उपलब्ध हो सकें।

(इति)

Re: Need to set up a Day Care Cancer Centre (DCCC) in Anakapalli district in Andhra Pradesh

DR. C. M. RAMESH (ANAKAPALLE): After conducting national gap analysis using ICMR's Cancer Registry data, Health Ministry decided to establish Day Care Cancer Centers in various districts. In pursuance of this decision, 200 DCCCs, including 14 centers in district hospitals of Andhra Pradesh, have been approved by Health Ministry. There is also a provision that DCCC can be established in other Government hospitals in district. Finance Minister announced in 2025-26 Budget that 200 centres would be set up in 2025-26 and remaining centres would be set up in subsequent years. As per Non-Communicable Diseases 3.0 Survey, there are nearly 1700 breast; 4600 oral; 1600 cervical suspected cancer cases in Anakapalli. Apart from these, there are also other cancer cases in district. So, there is a need to set up DCCC in Anakapalli. Hence, I appeal to Health Minister to set up one DCCC in Anakapalli next year which is useful for cancer patients in the district.

(ends)

Re: Need to provide railway connectivity, infrastructure and passenger amenities in Kanyakumari district of Tamil Nadu

SHRI VIJAYAKUMAR *ALIAS* VIJAY VASANTH (KANYAKUMARI): I wish to draw urgent attention to the long-pending and repeatedly neglected railway demands of the people of Kanyakumari district. Despite continuous appeals from public representatives, commuters, and local bodies, the region continues to face severe gaps in connectivity, infrastructure, and passenger amenities. Kanyakumari and Nagercoil—two of the most important stations in South Tamil Nadu—are still awaiting new train services, especially long-distance trains to major metros. The public has been consistently demanding special festival trains for Christmas, New Year, and Pongal, yet these requests remain unaddressed year after year, causing enormous hardship to thousands of travellers. The doubling works in the district, particularly on vital stretches, are progressing at an unacceptably slow pace. Early completion is essential to decongest traffic, improve punctuality, and enhance safety. Basic amenities at both stations—including seating, platform shelters, waiting halls, and sanitation—are far below the expectations of the travelling public. widen of approach roads at all the stations. Sir, these demands have been pending for far too long. Adequate funds must be allocated immediately, and all works must be taken up in a war-footing manner to fulfil the legitimate expectations of the people of Kanyakumari district.

(ends)

Re: Need to release pending Central funds to address problems arising in Cottage Industries and other MSME sectors in Telangana

DR. MALLU RAVI (NAGARKURNOOL): I wish to raise the matter of non-payment of salaries for the last six months to thousands of employees working in cottage industries across Telangana and various other States. Workers under handloom, handicrafts, coir, khadi, village industries and MSME cluster programmes have not been paid due to delayed release of Central Government funds under schemes such as the National Handloom Development Programme, National Handicrafts Development Programme, Coir Vikas Yojana and other cluster initiatives. Recent reports indicate that many project staff and artisans across India are facing severe financial distress, borrowing money for essential needs, and several development units have downsized operations due to lack of funds. Immediate intervention by the Central Government is urgently required to release pending allocations and ensure timely payment of salaries.

(ends)

Re: Problems being faced by farmers in Idukki Parliamentary Constituency and other parts of Kerala due to shortage of subsidized Urea and Potash

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): There have been concerns raised over the Union Government's handling of agriculture and fertilizer allocations, with Kerala's farmers bearing the burden of systemic failures. Agriculture thrives on reliable government support for such essentials, yet this trust has eroded amid a two-month acute shortage of subsidized urea and potash. Primary cooperatives, key distributors, have exhausted stocks, while private dealers report no supplies from the Centre. This is due to poor planning, delayed imports, and mismanagement—not mere oversights. Farmers, desperate for alternatives, face inflated prices for urea, meant to be regulated and affordable, pushing smallholders into high-interest debt. In my Parliamentary Constituency, Idukki particularly, Pineapple, Cocoa, pepper and Rubber plantations have suffered from missed fertilization cycles, slashing productivity, incomes, and export viability. Even available fertilizers have seen steep price hikes, without any proportional subsidies despite volatile global raw material costs. This helps corporate importers and manufacturers at farmers' expense, inflating input costs while incomes lag. I urge the Government to expedite supplies, curb price rise, and prioritize farmers' needs. They cannot wait for the next supplementary demand or the next press conference. Kerala's agrarian distress demands immediate intervention.

(ends)

Re: Need to upgrade irrigation canal system and divert water from Indus Basin to Rajasthan

श्री राहुल कस्वां (चुरू) : मैं भारत से पाकिस्तान की ओर जा रहे अतिरिक्त जल, विशेषकर इण्डस सिस्टम की पूर्वी नदियों से बहने वाले अप्रयुक्त प्रवाह, की गंभीर समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। सार्वजनिक विश्लेषणों के अनुसार भारत के हिस्से के जल में से लगभग 4.549 मिलियन acre-feet जल प्रतिवर्ष बिना उपयोग के पाकिस्तान चला जाता है, जिसे भारत कृषि सिंचाई में उपयोग कर सकता है। राजस्थान जैसे जल-अभाव वाले राज्य में यदि यह जल स्थानीय भंडारण एवं नहर प्रणाली के माध्यम से रोका जाए, तो यह सरसों जैसे तिलहन में लगभग 37 लाख हेक्टेयर तथा सोयाबीन/अन्य दलहन में लगभग 17 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता के बराबर जल उपलब्ध करा सकता है। इससे देश की बड़े पैमाने पर होने वाली तेल व दाल आयात निर्भरता कम हो सकती है, साथ ही किसान आय में वृद्धि होगी। अतः अनुरोध है कि सरकार IGNP क्षेत्र में भंडारण क्षमता बढ़ाए एवं कैनाल अपग्रेड हेतु विशेष पैकेज दे, पाकिस्तान को जाने वाले अप्रयुक्त जल को रोकने हेतु कानूनी/तकनीकी विकल्पों पर तुरंत निर्णय ले, राजस्थान में pulses व oilseeds मिशन को अतिरिक्त जल-उपलब्धता के साथ जोड़कर विशेष प्रोत्साहन घोषित करे। यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, जल सुरक्षा तथा किसान हित—तीनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है।

(इति)

Re: Need to accord approval of Outer Ring Road Project from Vizhinjam to Navaikkulam in Kerala and also to disburse compensation to the land owners whose lands were acquired for the project

ADV. ADOOR PRAKASH (ATTINGAL): Immediate attention of the Government is necessary to clear the uncertainty over the Outer Ring Road Project from Vizhinjam to Navaikkulam in Kerala. The land owners who voluntarily handed over the documents three years ago are still waiting for compensation. Around 6500 land owners are suffering as they are unable to meet their emergency financial needs and they are agitating over the delay in disbursement of compensation. The problems in the alignment of this project was revealed in the reply to my question in Parliament in July, 2025. During the multiple interventions over these years the alignment issue was never informed. The land owners are totally disappointed as the project is again getting delayed. Now it has been clarified by the ministry in its reply to my letter that NHAI is exploring the technical solutions to reduce the environmental impact of the northern section (Thekkada-Navaikulam) of this project. Immediate intervention of the Union and State Government is required to resolve the issues and disbursement of compensation to the land owners. I request the Government to take necessary measures on priority and do final approval for this project without further delay.

(ends)

Re: Need to bring legislation to regulate online gender based abuse and AI enabled offences alongwith establishment of Digital Safety Centre

SUSHRI S. JOTHIMANI (KARUR): The digital space has become increasingly unsafe for women, with gendered violence rising sharply while our legal framework remains fragmented and inadequate. Offences such as doxing and cyberstalking are scattered across multiple laws, and there are no clear provisions to address coordinated online harassment — including mass trolling, abusive comment flooding, and organized digital intimidation. This allows many perpetrators to evade accountability. The threat has further intensified with the misuse of Artificial Intelligence. The explosion of non-consensual deepfakes and AI-generated intimate images has created a new and deeply harmful form of online violence. Yet the current IT Rules focus largely on content labelling and platform responsibilities, without offering the strong punitive and preventive measures urgently needed. At the same time, our grievance redressal mechanisms are slow, complex, and inconsistent. For women in rural and remote areas, limited digital access makes the process even more discouraging and inaccessible. I therefore urge the Honourable Minister to introduce comprehensive legislation that clearly defines and criminalizes all forms of online gender-based abuse, including AI-enabled offences. I also request the establishment of a single-window, easy-access “Digital Safety Centre”, integrated with local support systems, to ensure a swift, victim-centric, and technologically robust redressal mechanism

(ends)

Re: Need to extend reservation in Jobs for ex-servicemen to Group ‘A’ and ‘B’ posts

श्री राजीव राय (घोसी) : देश में भूतपूर्व सैनिकों को पुनर्वास हेतु प्रदान किये जा रहे अवसरों की दयनीय दशा की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। हम सभी अवगत है की सेना को युवा रखने हेतु प्रतिवर्ष करीब 60,000 की संख्या में सैनिको को अनिवार्य सेवानिवृति दे दी जाती है जिसमे करीब बारह हजार सैनिक मेरे गृह प्रदेश उत्तर प्रदेश से ही होते है | यह युवा सैनिक 33 से 45वर्ष की आयु में ही घर आ जाते है| वर्तमान में केंद्र सरकार की सेवाओं में भूतपूर्व सैनिकों को पुनर्वास हेतु समूह ‘ग’ के पदों में आरक्षण कार्यकारी निर्णय के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। वर्तमान में सरकारी सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान छह श्रेणी के व्यक्तियों को यथा अनुसूचित जाति; अनुसूचित जन जाति; अन्य पिछड़ा वर्ग; आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग; दिव्यांग जन और भूतपूर्व सैनिक को प्रदान किया जाता है। उपरोक्त छः वर्गों को प्रदान किये गए आरक्षण में पांच श्रेणियों अनुसूचित जाति; अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा दिव्यांग जन को सरकारी सेवाओ की सभी समूहों के पदों पर आरक्षण प्रदान करने के साथ ही संवैधानिक रूप प्रदान कर दिया गया है, परन्तु भूतपूर्व सैनिको का आरक्षण अभी भी समूह ‘ग’ तक ही कार्यकारी निर्णय के द्वारा प्रदान किया जा रहा है।

अतः उपरोक्त के सन्दर्भ में मै सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूँ की भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए प्रदान आरक्षण को भी सरकारी सेवाओं के समूह ‘क’ समूह ‘ख’ में में भी विस्तारित करते हुए संवैधानिक स्थिति प्रदान किया जाय।

(इति)

Re: Need to increase frequency of train No. 22581/22582 and also to change the time of the train and other related issues of railways

श्री सनातन पांडेय (बलिया) : मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूँ कि गाड़ी संख्या 22581/22582 के फेरों को बढाकर नियमित किया जाए तथा गाड़ी के समय में परिवर्तन किया जाए। भारत के प्रथम स्वतंत्रतता सेननी शहीद मंगल पांडे जी के नाम पर वर्तमान में चल रही गाड़ी नई दिल्ली से जयनगर के बीच स्वतंत्रता सेनानी सुपरफस्ट एक्सप्रेस का नाम बदलकर शहीद मंगलपांडे स्वतंत्रतता सेनानी सुपरफास्ट ट्रेन कर दिया जाए। बलिया से कलकत्ता की दूरी को 14 से 15 घंटे में पूरा करने वाली रेल सेवा प्रारंभ की जाए। बलिया-गाजीपुर-छपरा रेलखंड पर कोरोना टाइम में स्टेशनों को रेलवे हाल्ट का दर्जा दे दिया गया था, इन्हे पूर्ण रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया जाए। बलिया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद मगल पांडे के नाम पर किया जाए।

(इति)

Re: Need to conserve and protect the historical monuments and sites in West Bengal

SUSHRI MAHUA MOITRA (KRISHNANAGAR): The Archaeological Survey of India (ASI) is charged with the protection, preservation and promotion of 3685 monuments and sites, of which 135 belong to West Bengal. However, its role in West Bengal is not up to the level. The Kolkata circle of the ASI saw its allocation decline by over 60%, from Rs. 10.16 crore to Rs. 3.95 crore from 2022-23 to 2024-25, while the Raiganj circle saw its allocation cut by 46%. In fact, a recent RTI reply revealed that at least six districts in West Bengal received no maintenance funds in 2022 and 2023, despite increase in footfall and revenue. For instance, between 2020-21 and 2023-24, the conservation and maintenance expenditure on the Dutch Cemetery, Kalikapur declined by around 72%, that on the Tomb of Sujauddin at Rosniganj by around 50% and that on the Palpara temple in Nadia by 21%. This heritage monuments and sites in West Bengal need to be taken care of by the Central Government. I urge the Government to protect these irreplaceable historical treasures.

(ends)

Re: Need to release pending funds allocated under Samagra Shiksha Scheme to Tamil Nadu

SHRI K. E. PRAKASH (ERODE): Tamil Nadu maintains a literacy rate well above national average, and near universal gross enrolment in primary and upper-primary schools These gains were achieved through decades of investment in classrooms, teachers and social support systems. Yet the Union has withheld more than 3548.22 crore under the Samagra Shiksha Scheme fund meant for school infrastructure, teacher salaries, maintenance and basic learning support for nearly 43.94 lakh students, 2.21 lakh teachers, and 32,701 staff members across Tamil Nadu. This withholding strikes at the heart of public good. Tamil Nadu challenged this in the Supreme Court under Article 131. Senior advocates argued that conditioning statutory education funds on adopting unrelated policies is unconstitutional, arbitrary and corrosive to democracy**.** Union's justification is that Tamil Nadu did not sign certain MoUs linked to NEP 2020 and PM SHRI. This defence collapses immediately because Samagra Shiksha is a centrally sponsored scheme under the Right to Education Act not a reward for policy compliance. The Union has released funds to other States during the same period. The union must release the funds immediately for the cause of education which act as a weapon to strengthen the children, teachers and the foundation of the nation itself.

(ends)

Re: Need to address the problem of water-logging in Jhanjharpur Bazar in Jhanjharpur Parliamentary Constituency

श्री रामप्रीत मंडल (झंझारपुर) : मेरे संसदीय क्षेत्र झंझारपुर (बिहार) में मात्र एक बड़ा शहर झंझारपुर बाजार है, यहाँ प्रति वर्ष बरसात के मौसम में जल जमाव की भीषण समस्या रहती है। वर्षो से इस समस्या के लिए सरकार काम तो करती है किंतु अभी तक यह समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। बरसात के समय लोगो को स्टेशन जाने में काफी कठिनाइयाँ होती हैं और व्यवसाय ठप पड़ जाता हैं। लोग बाजार में आ जा नहीं सकते हैं। मैं माननीय जल शक्ति मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि केंद्रीय सहायता योजना से झंझारपुर बाजार को जल जमाव से निजात दिलाने के लिए कोई कार्य योजना को जल्द से जल्द मंजूरी प्रदान करें।

(इति)

Re: Need to provide dedicated senior citizen friendly rail coaches at both ends of Mumbai Suburban Rail Network

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): Maharashtra has an elderly population share of 11.7%, higher than the national average of 10%. This proportion will rise to nearly 15% by 2031. Hence, our public infrastructure must support senior citizens to ensure their safety, comfort, mobility, and dignity. Mumbai's suburban rail network carries nearly 7 to 8 million commuters every day, which includes over 50,000 senior citizens. Despite this heavy reliance, each train currently provides only 14 reserved seats for elderly passengers. This makes the Mumbai Local inaccessible, especially during peak hours, forcing many elderly commuters to travel under hazardous conditions. Following a Public Interest Litigation, the Central and Western Railways have decided to convert the luggage compartments in non-AC EMUs into dedicated senior citizen compartments. The conversion will require a year and significant funding. However, the repurposed compartment will still have only 13 seats and standing space for 91. The current reserved seats will go to general passengers. As a result, there will be no net increase in dedicated seating or improvement in overcrowding and accessibility issues. Hence, I urge the Government to provide an additional senior-citizen coach at both ends of the train, equipped with features inspired by the Silver Train initiative, to ensure age-friendly travel.

(ends)

Re: Need to amend CRZ-2 Notification, 2019 to clear redevelopment of Jhuggi Jhopdi clusters in Coastal Regulation Zone in Mumbai

श्री रविंद्र दत्ताराम वायकर (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : मैं केंद्र सरकार का ध्यान मुंबई के लाखों झोपड़ीधारकों की समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।महाराष्ट्र सरकार मुंबई की झोपड़पट्टियों का पुनर्विकास कर रही है,लेकिन जो झोपड़ियाँ 50से60वर्षो से समुद्र किनारे CRZ-2क्षेत्र में हैं,उनका विकास रुका हुआ है।उसी जगह पर स्थित पुरानी इमारतों को तो केंद्र सरकार की CRZ-2 अधिसूचना2019 के तहत संरक्षित इमारतें मानकर पुनर्विकास की अनुमति दी जाती है,लेकिन दशकों से बसे गरीब परिवारों की झोपड़ियों पर CRZ का नियम लागू कर उन्हें उनके हक़ के घर से वंचित रखा जाता है।इससे स्थानीय निवासियों में भारी असंतोष है और महाराष्ट्र सरकार ने अपनी विकास नियमावली में बदलाव कर आरजी/पीजी जैसी जमीनों पर बसी झोपड़ियों को राहत दी है,लेकिन CRZ का विषय केंद्र सरकार के अधीन होने के कारण वे इस मामले में असहाय हैं।मेरा केंद्र सरकार के पर्यावरण,वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से आग्रह है कि वे CRZ-2 अधिसूचना2019 में नीतिगत बदलाव करें।जैसे पुरानी इमारतों को "संरक्षित" माना गया है,वैसे ही इन 50-60 साल पुरानी झोपड़ियों को भी संरक्षित झोपड़ियाँ का दर्जा दिया जाए।इस एक नीतिगत बदलाव से इन झोपड़ियों के पुनर्विकास का मार्ग खुल जाएगा।मुझे विश्वास है कि सरकार इस विषय पर प्रभावी कदम उठाकर इन लाखों परिवारों को न्याय दिलाएंगे।

(इति)

Re: Need to expedite the construction of AIIMS, Darbhanga and expansion of AIIMS, Patna

श्री राजा राम सिंह (काराकाट) : दरभंगा एम्स के निर्माण और पटना एम्स के विस्तार में हो रही लंबी देरी बिहार में एक गंभीर सार्वजनिक चिंता का विषय बन गई है। लगभग एक दशक पहले क्षेत्र के स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे को बदलने के वादे के साथ घोषित की गई ये दोनों परियोजनाएं अपेक्षित गति से आगे बढ़ने में विफल रही हैं। दरभंगा एम्स, जिसकी परिकल्पना उत्तर बिहार के उपेक्षित जिलों की जरूरतों को पूरा करने के लिए की गई थी, लगातार प्रशासनिक बाधाओं, भूमि विवादों और परियोजना के डिजाइन तथा स्थान में बार-बार बदलाव का सामना कर रहा है। नतीजतन, कुछ ही दिन पहले केवल चारदीवारी और प्रवेश द्वार ही दिखाई दे रहे थे, लेकिन क्या यह पर्याप्त है? इसी तरह, पटना एम्स के विस्तार की योजना—जिसका उद्देश्य बिस्तरों की क्षमता बढ़ाना, सुपर-स्पेशियलिटी सेवाओं में सुधार करना और अनुसंधान सुविधाओं को मजबूत करना है—धन की देरी, धीमी निविदा प्रक्रियाओं और केंद्र तथा राज्य एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी के कारण रुकी हुई है। खासकर बिहार में, जिसे बार-बार आने वाले सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटों के मद्देनजर तत्काल उन्नत चिकित्सा बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है। अतः दरभंगा और पटना में निर्माणाधीन एम्स को अतिशीघ्र पूरा कर मरीजों के इलाज हेतु सरकार से मांग करता हूँ।

(इति)

Re: Need to provide additional funds directly to Bodoland Territorial Council for development of healthcare facilities and sanitation services

श्री जयन्त बसुमतारी (कोकराझार) : उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में स्वास्थ्य सेवा शुरू से ही एक बड़ा विषय रहा है हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं का भारी अभाव है। उत्तर पूर्वी क्षेत्रो में खासकर मेरे बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद् में अस्पतालों और स्वस्थ्य केन्द्रो की भारी कमी है और यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की बहुत जरुरत है | इस विषय में मेरा सरकार से अनुरोध है कि बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद् इलाके में स्वास्थ्य और सफाई सेवाओं में सुधार के लिए बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद् को अतिरिक्त राशि भेजी जानी चाहिए ताकि यहाँ पर लोगो को अच्छी स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जा सके | मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि मेरे बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद् के विकास के लिए भेजी जाने वाली राशि को सीधा बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद् को भेजने की व्यवस्था की जाए ताकि बोडोलैंड के विकास में किसी भी प्रकार की कोई देरी ना हो।

(इति)

Re: Need to upgrade drainage system, pumping system and real time disaster management mechanism to address the water logging problem in Mumbai metropolitan region

SHRI SANJAY DINA PATIL (MUMBAI NORTH-EAST): I rise to draw the urgent attention of this august House to the recurring crisis of heavy rainfall and chronic water-logging across the Mumbai Metropolitan Region, including several parts of my Lok Sabha Constituency. Every monsoon, lakhs of citizens face flooded roads, submerged railway tracks, disrupted transport services and severe hardship. Despite continuous efforts by the State Government and civic bodies, several low-lying areas remain inundated for hours after heavy rainfall. This leads to health risks, damage to homes and small businesses, loss of daily wages, and immense difficulties for students, senior citizens and hospital-bound patients. Suburban rail services—the lifeline of Mumbai—are frequently halted, affecting economic activity across the region. Mumbai is not only India's financial capital but a critical engine of national growth. Its smooth functioning directly impacts the country's productivity. With climate change intensifying rainfall patterns, this issue can no longer be viewed as a seasonal inconvenience; it has become a permanent urban infrastructure challenge. There is an urgent need for long-term solutions, including comprehensive drainage upgrades, modern pumping systems, enhanced storm-water capacity and robust real-time disaster-response mechanisms. Addressing this decisively is essential to safeguard lives, livelihoods and the economic stability of our nation's premier metropolitan region.

(ends)

(1225/CS/VR)

1225 hours (Hon. Speaker *in the Chair*)

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर 25, माननीय मंत्री जी।

… (व्यवधान)

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Sir, the sense of the House is very clear. The employment guarantee, which this Bill assures to provide to the poor people of the country, is going to be in danger. The sense of the entire House is that this Bill should be sent either to a Standing Committee or to a Joint Parliamentary Committee. … (*Interruptions*) We are ready to cooperate with the Government on this issue. … (*Interruptions*) We humbly request the Government to send it either to a Standing Committee or to a Joint Parliamentary Committee. … (*Interruptions*) That is the only demand. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, कृपया एक मिनट बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, एक मिनट बैठ जाइए। आपका यह तरीका ठीक नहीं है। सभी लोग बैठिए और मेरी बात सुनिए। आपने विषय उठाया है, मैं आपको बताता हूँ।

माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्य ने सेंस ऑफ हाउस का मामला उठाया है, लेकिन इस विषय को लेकर, इस विधेयक को लेकर 98 माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। रात को 1:30 बजे तक इस विधेयक पर चर्चा हुई। सभी दलों के सभी माननीय सदस्यों के इस विधेयक पर विचार आये।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं खुद रात को 1:30 बजे तक यहां पर था। जो भी माननीय सदस्य इस विधेयक पर अपने विचार व्यक्त करना चाहते थे, अपना दृष्टिकोण व्यक्त करना चाहते थे, मैंने सबको मौका दिया। चाहे एक दल का व्यक्ति हो, चाहे किसी भी दल का व्यक्ति हो। शायद 98 माननीय सदस्यों ने इस पर अपने विचार रखे हैं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि हर विधेयक पर सदन में व्यापक चर्चा हो। माननीय सदस्य ने कल यह विषय उठाया था कि इस पर चर्चा के लिए कितना समय होगा। मैंने उस समय भी कहा था कि समय की कोई कमी नहीं रहेगी, विधेयक पर सबके विचार,

सबका दृष्टिकोण आना चाहिए। आपने समय के लिए कहा, मैंने आपके कहने से समय बढ़ा दिया।

… (व्यवधान)

श्री के. सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा) : सर, आप अच्छा काम करते हैं। आपने अच्छा काम किया है।… (व्यवधान) All the hon. Members have asked for sending it to the Standing Committee. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : यह संसदीय परम्पराओं के लिए उचित नहीं है। मेरा आपसे आग्रह है कि जिस तरीके से माननीय मंत्री जी ने खुद लगातार 1:30 बजे तक बैठकर सबके विचार सुने हैं, आप भी माननीय मंत्री महोदय के विचार सुनो। इस पर 8 घंटे की चर्चा हो चुकी है। इस पर 4 घंटे समय का आवंटन हुआ था, उससे दोगुनी चर्चा इस विधेयक पर हो चुकी है। इस पर बहुत ज्यादा चर्चा सदन में हुई है।

माननीय मंत्री शिवराज सिंह जी।

… (व्यवधान)

विकसित भारत - रोजगार और आजीविका के लिए गारन्टी मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी राम जी (विकसित भारत-जी राम जी) विधेयक - जारी

1228 बजे

कृषि और किसान कल्याण मंत्री; तथा ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।… (व्यवधान)

सबसे पहले इस पवित्र सदन में मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ।… (व्यवधान) सभापति महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि लगातार रात के 1:30 बजे तक इस विषय पर हमने माननीय सदस्यों के विचार सुने हैं।… (व्यवधान)

1228 बजे

(इस समय श्री इमरान मसूद, डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन,सुश्री महुआ मोइत्रा, श्री पुष्पेंद्र सरोज और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

महोदय, अब जवाब देना मेरा अधिकार है।… (व्यवधान) मैं आपसे संरक्षण चाहता हूँ।…(व्यवधान) मैंने रात के 1:30 बजे तक माननीय सदस्यों की बात सुनी है।… (व्यवधान)

महोदय, अपनी बात सुना देना और फिर जवाब न सुनना, यह लोकतांत्रिक परम्पराओं को तार-तार करना है।… (व्यवधान) यह संविधान की धज्जियां उड़ाना है।… (व्यवधान)

महोदय, ये बापू के आदर्शों की हत्या भी कर रहे हैं।… (व्यवधान) अपनी बात सुना दो और हमारी बात न सुनो, यह भी तो एक प्रकार की हिंसा है।… (व्यवधान) यह बापू के आदर्शों की हिंसा करने का पाप कांग्रेस और बाकी विपक्ष कर रहा है।… (व्यवधान)

महोदय, सबसे पहले मैं पूज्य बापू के चरणों में प्रणाम करना चाहता हूँ।… (व्यवधान) बापू पर हमारी श्रद्धा है।… (व्यवधान) बापू जी हमारे आदर्श हैं।… (व्यवधान) बापू जी हमारी प्रेरणा हैं।… (व्यवधान) बापू हमारा विश्वास है।… (व्यवधान)

महोदय, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पंच निष्ठाओं में गांधी जी के सामाजिक, आर्थिक दर्शन को स्थान दिया है।… (व्यवधान) हम गांधी जी के आदर्शों पर चलने वाले हैं… (व्यवधान) गांधी जी ने कहा था कि गांव भारत की आत्मा हैं। अगर गांव मर जाएंगे तो भारत मर जाएगा।… (व्यवधान)

(1230/MNS/PBT)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि 'है अपना हिन्दुस्तान कहां, वह बसा हमारे गांवों में'। … (व्यवधान) यह बिल गांवों के विकास का बिल है। माननीय सदस्यों ने, प्रतिपक्ष के मित्रों ने कई तरह के आरोप लगाए। उन्होंने एक बात यह कही कि हम भेदभाव करते हैं। … (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, सारा देश हमारे लिए एक है।

'चेन्नई हो या गुवाहाटी अपना देश अपनी माटी,
अलग भाषा अलग भेष, फिर भी अपना एक देश'।

मैं इनको बताना चाहता हूं कि अटल जी ने क्या कहा था। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम देश के किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं करते। … (व्यवधान) हमारे नेता अटल बिहारी

वाजपेयी जी ने कहा था, यह देश हमारे लिए जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ... (व्यवधान) कश्मीर इसका मस्तिष्क है, हिमालय इसकी शिखा है, पंजाब और बंगाल इसके दो विशाल बाहू है, दिल्ली दिल है, विन्ध्याचल कटि है, नर्मदा करधनी है। ... (व्यवधान) पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट इसकी दो विशाल जंघाए हैं। कन्याकुमारी इसके पंजे हैं। सागर इसके चरण पखारता है। सूरज और चंद्रमा इसकी आरती उतारते हैं। ... (व्यवधान) यह वीरों की भूमि है। यह शूरों की भूमि है। यह ऋषियों की भूमि है। यह महर्षियों की भूमि है। यह तर्पण की भूमि है। यह अर्पण की भूमि है। हम जिएंगे तो इसके लिए और कभी मरना पड़ा, तो मरेंगे भी इसके लिए। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मरने के बाद अगर हमारी राख भी गंगाजी में फेंक दी गई, तो वहां से भी एक ही आवाज आएगी कि भारत माता की जय, भारत माता की जय। ... (व्यवधान) भारत माता हमारे बचपन का झूला, जवानी की फुलवारी और बुढ़ापे की काशी है। इस देश का संपूर्ण विकास, यह मोदी सरकार का कर्तव्य है, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय विधेयक पर चर्चा करते हुए, कई तरह की चर्चा की गई, संघ को भी व्यर्थ में घसीटा गया। ... (व्यवधान) आज मैं इस महान सदन में कहना चाहता हूं कि संघ जग के निर्माण में विश्वास करता है। ... (व्यवधान) यदि हिन्दुस्तान में देश-भक्त, चरित्रवान, ईमानदार, परिश्रमी, जो अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए जीने वाले कार्यकर्ताओं की मालिका खड़ी की है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने की है। ... (व्यवधान) हमारे संघ के विचार कभी भी सीमित और संकीर्ण नहीं रहे, बल्कि व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर हजारों, लाखों कार्यकर्ता राष्ट्र के निर्माण के पवित्र काम में लगे हैं। ... (व्यवधान) परम पूज्य संघ संचालक श्रीमान मोहन भागवत जी के विचार पढ़ लीजिए। हिन्दुत्व संकीर्ण नहीं है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रतिपक्ष के मित्रों से निवेदन करना चाहता हूं कि "एकम् सत् विप्रा बहुधा वदन्ति" हिंदुत्व है। ... (व्यवधान) महोदय, "सियाराम मय सब जग जानी" हिंदुत्व है। "आत्मवत् सर्वभूतेषु" हिंदुत्व है। अध्यक्ष महोदय, "अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्, उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्" हिंदुत्व है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, यह हिंदुत्व है और सर्वे भवन्तु सुखिनः हिंदुत्व है, सर्वे सन्तु निरामया, हिंदुत्व है, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु हिंदुत्व है, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् हिंदुत्व है। ... (व्यवधान) यह विशाल हिंदुत्व अपने आप में सबको स्नेह, प्रेम और आत्मीयता के भाव को समेटे रहता है, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, गांवों का विचार हमारे विचार के केंद्र में, हमारी सोच के केंद्र में और माननीय अध्यक्ष महोदय, गांवों के विकास के लिए आज नहीं, कई वर्षों पहले से अनेकों योजनाएं बनीं। ... (व्यवधान) पहली योजना 'ग्रामीण जन-शक्ति कार्यक्रम' बनी। यह वर्ष 1960-61 में बनी। ... (व्यवधान) सीमित कवरेज और अपर्याप्त वित्तीय संसाधन के कारण, उससे उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। फिर ग्रामीण रोजगार के लिए क्रैश स्कीम बनी। ... (व्यवधान)

(1235/RV/SNT)

उसके बाद 'काम के बदले अनाज' योजना आयी।... (व्यवधान) फिर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम आया।... (व्यवधान)फिर ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम आया।... (व्यवधान) फिर जवाहर रोजगार योजना आयी, फिर सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना आयी, फिर राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम आया।... (व्यवधान) एक के बाद योजनाएं आती गयीं, थोड़ा उद्देश्य पूरा किया और जब वह पूरा नहीं हुआ तो उसकी जगह नयी योजना बना दी गयी और उसके बाद नरेगा योजना आयी।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नरेगा का नाम पहले महात्मा गांधी जी के नाम पर नहीं रखा गया, वह तो नरेगा थी।... (व्यवधान) बाद में जब वर्ष 2009 के चुनाव आए तो चुनाव और वोट के कारण इन्हें बापू याद आए, महात्मा गांधी याद आए और तब उसमें महात्मा गांधी जी का नाम जोड़ा गया।... (व्यवधान) मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस मनरेगा को भी अगर ताकत के साथ किसी ने ठीक ढंग से लागू किया तो उसे हमारे प्रधान मंत्री श्रीमान् नरेन्द्र मोदी जी ने लागू किया।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं देश को बताना चाहता हूं कि ये कांग्रेस के लोग वर्ष 2006 से इसके नाम पर ढोंग कर रहे हैं।... (व्यवधान) जब यूपीए की सरकार थी, तब वर्ष 2006-07 से वर्ष 2013-14 तक केवल 1660 करोड़ मानव श्रम दिवस सृजित हुए, लेकिन नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में 3,210 करोड़ श्रम दिवस सृजित करने का काम किया गया।... (व्यवधान) क्या इन्होंने मनरेगा लागू की?... (व्यवधान) ये ढोंग करते हैं, ढोंग, जबकि नरेन्द्र मोदी जी की सरकार काम करती है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, सारा देश जान ले, ये यूपीए वाले मनरेगा के बारे में कहते हैं, इन्होंने खर्च किये - 2,13,220 करोड़ 39 लाख रुपये, लेकिन नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने खर्च किये – 8,53,810 करोड़ 91 लाख रुपये।... (व्यवधान) ये ढोंग करते हैं जबकि हम काम करने में विश्वास करते हैं।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे किए गए कामों की संख्या भी देख लीजिए।... (व्यवधान) आज मैं यह सब बोलूंगा क्योंकि मुझे देश को बताना है, ये मुझे चुप नहीं करा सकते, मेरा नाम भी शिवराज सिंह चौहान है, मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूं।... (व्यवधान)

अगर पूर्ण किए गए कामों को देखें तो इन्होंने किए – 153 लाख, हमने किए – 862 लाख।... (व्यवधान)यह 'मोदी की गारंटी' है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी बहनें यहां बैठी हैं।... (व्यवधान) महिलाओं की भागीदारी इनके समय थी – 48 प्रतिशत और हमारे समय यह हो गयी – 56.73 प्रतिशत।... (व्यवधान) नरेगा के साथ आधार सीडिंग इनके समय 76 लाख ही थी, हमने वह 12 करोड़ 12 लाख किया।... (व्यवधान) आधार भुगतान हेतु प्रणाली के लिए इन्होंने कोई प्रावधान ही नहीं किया।... (व्यवधान) 'अंधा बांटे रेवड़ी, चीन्ह चीन्ह के दे।'... (व्यवधान)ये पैसा खा गए, उसे बर्बाद कर दिया, लेकिन हमने 11.93 करोड़ रुपये उसके लिए दिए।... (व्यवधान)इनके समय में ग्राम पंचायत में 22

रजिस्टर रखे जाते थे, उसे इन्होंने क्लिष्ट बना दिया था, हमने उसे घटाकर 7 कर दिए।... (व्यवधान) इनके समय में 29,45,136 व्यक्तिगत परिसंपत्तियां बनीं, हमने बनायी – 5,62,67,077।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, ये देश को कितना गुमराह करेंगे? ... (व्यवधान) मैं आज एक तथ्य उजागर करना चाहता हूं।... (व्यवधान)उस दिन हमारी बहन श्रीमती प्रियंका गांधी कह रही थीं, इन्होंने नाम तो 'गांधी' लगा लिया है, गांधी को भी गांधी से चुराने का पाप कांग्रेस ने किया है।... (व्यवधान) ये कह रही थीं कि किस सनक में ये नाम बदल रहे हैं, इन्होंने सनक की बात की थी।... (व्यवधान)सनक में हम नहीं हैं, सनक में मोदी सरकार नहीं है, नाम रखने की सनक तो कांग्रेस की है।... (व्यवधान)

(1240/MY/RTU)

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कितनी योजनाओं का नाम महात्मा गांधी जी के नाम पर रखा? इन लोगों ने महात्मा गांधी जी के नाम पर योजनाओं का नाम नहीं रखा, बल्कि केवल नेहरू परिवार के नाम पर रखने का पाप किया। आज पूरा देश यह जान लें कि कितनी योजनाओं का नाम इन्होंने अपने खानदान को महिमामंडित करने के लिए रखा। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के 25 योजनाओं का नाम स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नाम पर रखा। 27 योजनाओं का नाम इंदिरा जी के नाम पर रखा। इस प्रकार कुल 52 नाम हैं। ये लोग नाम की बात करते हैं। अगर नाम रखने की किसी को सनक है तो कांग्रेस के है। शैक्षणिक संस्था या यूनिवर्सिटी के नाम राजीव जी पर 55, इंदिरा जी पर 21, नेहरू जी पर 22 हैं। खेल और टूर्नामेंट, ट्रॉफी के नाम राजीव गांधी जी पर 23, इंदिरा जी पर 4, नेहरू जी पर 2 हैं।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने सड़क, जगह और इमारत के 74 नाम अपने नामों पर रखे हैं। 51 अवार्ड्स के नाम नेहरू परिवार के नाम पर रखे गए। 37 संस्थान, चैरिटेबल और फेस्टिवल नेहरू जी तथा इंदिरा जी के नाम पर रखे गए। 39 चिकित्सा संस्थान और अस्पताल इन्होंने अपने नाम पर कर लिये हैं। 15 स्कॉलरशिप इनके नेताओं के नाम पर है।... (व्यवधान) 15 नेशनल पार्क्स जहां जानवर रहते हैं, वे भी नेहरू जी, इंदिरा जी और राजीव जी के नाम पर कर दिए गए। 5 एयरपोर्ट्स और बंदरगाहों के नाम उनके नाम से हैं।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कितनी योजनाएं चलाईं? नाम रखने की सनक इनकी है। मोदी सरकार तो केवल काम करना चाहती है। केवल काम में हमारा विश्वास है। चाहे मनरेगा का बेहतर क्रियान्वयन का सवाल हो, वह हमने करने का संकल्प लिया। इन्होंने तो गांधी जी की कभी नहीं मानी। हम गांधी जी को भी मानते हैं।... (व्यवधान) गांधी जी ने वर्ष 1948 में कहा था कि आजादी प्राप्त हो गई, कांग्रेस का काम पूरा हो गया और अब कांग्रेस भंग कर देनी चाहिए। कांग्रेस की जगह लोक सेवक संघ बनाना चाहिए। लेकिन, नेहरू जी ने सत्ता से चिपके रहने के लिए और आजादी के आंदोलन का लाभ उठाने के लिए कांग्रेस भंग नहीं की। कांग्रेस ने उसी दिन बापू जी की आदर्शों की हत्या कर दी, जिस दिन कांग्रेस भंग नहीं की गई।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, बापू जी के आदर्शों की हत्या कांग्रेस ने की है। जिस दिन देश का बंटवारा स्वीकार किया गया, उसी दिन बापू के आदर्शों की हत्या हो गई।… (व्यवधान) जिस दिन इन्होंने कश्मीर को विशेष दर्जा दिया, उसी दिन बापू के आदर्शों की हत्या हो गई। जिस दिन इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाकर संविधान की धज्जियां उड़ाईं, उसी दिन गांधी जी हत्या इन्होंने कर दी।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस दिन दिल्ली में संतों पर गोलियां चलाई गईं, उसी दिन आपने गांधी जी की हत्या करने का पाप किया। पूरे देश को भ्रष्टाचार और घोटाले में डूबा कर आपने गांधी जी की हत्या की। आप गांधी जी के आदर्शों की हत्या कितनी बार करेंगे? … (व्यवधान) ये लोग हमसे बात करते हैं। माननीय मोदी जी की सरकार ने मनरेगा को ढंग से लागू करने का भी काम किया। मनरेगा में कई तरह की कमियां थीं। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं बताना चाहता हूं कि उसके स्थान पर हम नया विधेयक क्यों लेकर आए हैं? हम नया कानून क्यों बनाना चाहते हैं? अपेक्षाकृत राज्यों के बीच फंड्स का बंटवारा असमान्य था। सबको न्याय देना जरूरी था।… (व्यवधान) मनरेगा में एक नहीं, बल्कि कई तरह की समस्याएं पैदा हो रही थीं। मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं कि इस योजना में 60 परसेंट पैसा मजदूरी के लिए था और 40 परसेंट पैसा मैटेरियल के लिए था। केन्द्र से मजदूरी का पूरा का पूरा पैसा आता है। इसलिए मजदूरी का पैसा ज्यादा खींच लो और मैटेरियल में खर्च ही मत करो।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैटेरियल पर केवल 26 परसेंट खर्च हुए। कई राज्यों ने तो केवल 19-20 परसेंट ही खर्च करने का काम किया। इसलिए, यह जरूरी हो गया था कि मनरेगा को एक बार पूरी तरह से देखा जाए, क्योंकि यह भ्रष्टाचार के हवाले कर दिया गया था।… (व्यवधान)

(1245/MLC/AK)

अपने दिल पर हाथ रखकर यह इंडिया ब्लॉक वाले भी बताएं, कांग्रेस वाले भी बताएं कि क्या मनरेगा में भ्रष्टाचार नहीं हुआ? … (व्यवधान) क्या मनरेगा का पैसा लुटा नहीं दिया गया?… (व्यवधान) क्या मनरेगा का पैसा इनकी जेबों में नहीं चला गया?… (व्यवधान) क्या मनरेगा का पैसा इनके नेताओं ने नहीं लूटा?… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आवश्यक हो गया था कि मनरेगा का सही उपयोग हो, … (व्यवधान) पैसे की लूट समाप्त हो।… (व्यवधान) केवल जनता को, गरीबों को काम देने में उस राशि का उपयोग हो। … (व्यवधान) इसलिए पारदर्शिता जरूरी थी, कमियाँ दूर करनी जरूरी थीं।… (व्यवधान) यह मोदी सरकार ने अचानक नहीं किया है।… (व्यवधान) हमने स्टेक-होल्डर्स से चर्चा की, … (व्यवधान) कई राज्यों से चर्चा की।… (व्यवधान) व्यापक विचारविमर्श के बाद यह विचार बना कि इतनी विशाल धनराशि आज दस लाख करोड़ रुपये से ज्यादा क्या केवल मजदूरी देने के काम में नहीं, … (व्यवधान) ये स्थाई परिसम्पत्तियों के निर्माण में भी लगनी चाहिए। … (व्यवधान) इसलिए यह जरूरी हो गया था कि मनरेगा के बारे में खुले मन से, खुले दिमाग से एक

बार फिर से विचार किया जाए, ... (व्यवधान) इसलिए हमने यह तय किया कि मनरेगा के स्थान पर एक नई योजना लेकर आएं। हमने बापू का नाम नहीं बदला है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमने इतनी विशाल धनराशि से एक तरफ रोजगार के काम बेहतर हों, ... (व्यवधान) और रोजगार मिलें, ज्यादा रोजगार मिलें, इसका प्रावधान करने का काम किया है। ... (व्यवधान) वहीं दूसरी तरफ इतनी विशाल धनराशि का उपयोग संपूर्ण विकसित गांव बनाने में किया जाए। ... (व्यवधान) ये मोदी सरकार का लक्ष्य रहा है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रस्तावित मनरेगा की योजना में नाम की बात करते हैं।... (व्यवधान) मैं इस पवित्र सदन के माध्यम से देश की जनता को दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि इस बिल के नाम में ही इस योजना का काम लिखा हुआ है।... (व्यवधान) हम इस योजना में रोजगार की गारन्टी दे रहे हैं, आजीविका को समृद्ध करने का काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य विकसित भारत होगा। ... (व्यवधान) प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक सम्पन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है ... (व्यवधान) और विकसित भारत के लिए विकसित गांव, यह हमारी इस योजना का उद्देश्य है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने एक आदर्श गांव की कल्पना की है। ... (व्यवधान) आज मैं सदन के सामने केवल योजना नहीं रख रहा हूँ, ... (व्यवधान) एक सपना, एक संकल्प, जो हम इस योजना के माध्यम से पूरा करना चाहते हैं, ... (व्यवधान) वो सपना और संकल्प है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आपको देश की जनता ने कागज फेंकने के लिए नहीं भेजा है, आपको चर्चा करने के लिए भेजा है। मैंने कल सभी माननीय सदस्यों को पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय चर्चा के लिए दिया है। ये संसदीय परम्पराओं के अनुरूप भी नहीं है और भारत के लोकतंत्र के अनुरूप भी नहीं है। माननीय मंत्री जी।

... (व्यवधान)

श्री शिवराज सिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सपनों का गांव, आदर्श गांव, एक विकसित गांव, जो स्वावलंबी हो, जो नरेन्द्र मोदी जी बनाना चाहते हैं। ... (व्यवधान) जो रोजगार से युक्त हो, जो गरीबी से मुक्त हो, ... (व्यवधान) जो सुविधाओं से सम्पन्न हो। जहाँ शिक्षा हो, जहाँ रोजगार हो, जहाँ समानता हो। ... (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, जहाँ गलियाँ पक्की हों, जहाँ साफ नालियाँ हों, ... (व्यवधान) जहाँ जल निकासी की व्यवस्था हो, ... (व्यवधान) हर मोड़ पर एलईडी और सोलर की रोशनी हो, ... (व्यवधान) गांव में सामुदायिक भवन हों, ... (व्यवधान) बहुउद्देशीय भवन हों, ... (व्यवधान) सार्वजनिक शौचालय हों। माननीय अध्यक्ष महोदय, आदर्श गांव ऐसा, जहाँ पीने का पर्याप्त पानी हो,... (व्यवधान) हर घर नल से जल पहुँचे, ... (व्यवधान) हर शुद्धिकरण की जल की इकाई हो, सबके पास रहने का घर हो।... (व्यवधान)

(1250/YSH/SM)

चूल्हे के धुएं से मुक्ति हो, हर घर शौचालय हो, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेट हो, कचरा संग्रहण वाहन हो, डस्टबिन हो, सोख्ता टैंक हो, ग्रे वाटर प्रबंधन हो, वर्मी कंपोस्ट की व्यवस्था हो, स्वच्छता हो, सुशासन हो। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें ऐसा आदर्श गांव चाहिए, जहां बीमार होने पर शहर न भागना पड़े। आंगनवाड़ी भवन हो, पोषण वाटिका हो, बच्चों का पोषण सुरक्षित हो। जहां हर बच्चे को पढ़ने के लिए शहर न भागना पड़े, जहां डिजिटल क्लास रूम हो, जहां पुस्तकालय की व्यवस्था हो, जहां कौशल विकास केन्द्र हो, जहां प्रशिक्षण केन्द्र हो, जहां कम्प्यूटर हो, जहां लैब हो, आधुनिक तरीके से पढ़ाई हो, ताकि कोई गांव का बच्चा प्रतियोगिता में पीछे न छूटे। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां काम मिले, जहां मेहनत की कीमत मिले, स्वयं सहायता समूह के लिए शेड हो, ग्रामीण हाट हो, बाजार शेड हो, ताकि किसान अपनी उपज बेच सके। … (व्यवधान) गोदाम हो, भंडारण शेड हो, फसलें सुरक्षित रहे, डेयरी एवं दुग्ध संग्रहण केन्द्र हो, कस्टम हायर सेन्टर हो, मत्स्य पॉल्ट्री शेड हो, कुटीर उद्योग हो। … (व्यवधान) आदर्श गांव ऐसा हो, जहां खेती सुरक्षित हो, पानी संरक्षित हो, तालाब भरे हों, वाटर शेड हो, विकास के कार्य हों, चेक डेम हों, हर बूंद का सही उपयोग हो। … (व्यवधान) एक ऐसा गांव हो, जहां पेड़ हों, हरियाली हो और आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित रहे। … (व्यवधान) हम ऐसा गांव बनाना चाहते हैं, जहां ऊर्जा हो, तकनीक सभी के काम आए, सौलर लाइट्स हों, सरकारी भवनों पर रूफ टॉप हो, पंचायत भवन में इंटरनेट हो, ब्रॉडबैंड हो, सार्वजनिक वाई-फाई पॉइंट्स हों, सीएससी भवन हो, महिलाएं सशक्त और आत्मनिर्भर हों। … (व्यवधान) ये आदर्श गांव ही विकसित भारत की नींव होंगे। जहां सुशासन हो, जहां सबका विकास हो, जहां सम्पन्नता हो, जहां अंत्योदय का विकास हो, जहां हर व्यक्ति को काम मिले, जहां मेहनत का मान सुनिश्चित हो, जहां हर खेत हरा-भरा हो, जहां ग्राम स्वराज का मंत्र हो। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे आदर्श गांव का सपना माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी का है। … (व्यवधान) इस विधेयक में हम उसी सपने को पूरा करने का काम करना चाहते हैं। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं देश को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अब इस योजना में हमने जो प्रावधान किया है, चूँकि कांग्रेस ने इस योजना में जो धन राशि रखी थी, उसे भी घटाने का काम किया था। … (व्यवधान) ये मनरेगा, मनरेगा कहते हैं, लेकिन 40 हजार करोड़ रुपये से घटाकर इन्होंने बजट का आबंटन 33 हजार करोड़ रुपये कर दिया था। … (व्यवधान) ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं। ये मुंह में राम और बगल में छुरी लेकर घूमते हैं। … (व्यवधान) इन्होंने मजदूरों को पर्याप्त रोजगार नहीं दिया, लेकिन यह नरेन्द्र मोदी जी की सरकार है। हमने 1 लाख 11 हजार करोड़ रुपये तक मनरेगा पर खर्च किए हैं। … (व्यवधान) 86 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का प्रावधान इस साल किया गया है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब हम जब प्रावधान कर रहे हैं तो उस प्रावधान को भी जानना चाहिए। ये कह रहे हैं कि हम पैसा बचाना चाहते हैं, लेकिन हम पैसा बचाना नहीं चाहते हैं, हम

रोजगार देना चाहते हैं। हम गांवों को विकसित बनाना चाहते हैं। … (व्यवधान) इसलिए इसी साल बजट में 1 लाख 51 हजार 282 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं और ये रुपये कहां जाएंगे? ये रुपये मजदूरों की मजदूरी के लिए जाएंगे। ये गांव के विकास के लिए भी जाएंगे। … (व्यवधान) भारत सरकार 95 हजार 600 करोड़ रुपये का खर्चा करेगी। यह अंतिम सीमा नहीं है। अगर जरूरत पड़ेगी तो और ज्यादा पैसा आएगा। मोदी जी हैं तो मुमकिन है। ये तो एक-एक पैसे के लिए रोते थे। … (व्यवधान) इनके पास में कुछ नहीं था, लेकिन नरेन्द्र मोदी जी के पास गांव के विकास और रोजगार के लिए धन की कमी नहीं है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस योजना के अंतर्गत मैं देश को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अब जल संरक्षण के काम किए जाएंगे। … (व्यवधान) यहां पर जल शक्ति मंत्री भी बैठे हुए हैं। … (व्यवधान) कई जगहों पर वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है और इसलिए जो क्रिटिकल ब्लॉक्स हैं, सेमी क्रिटिकल ब्लॉक्स हैं, उन सब में पानी की बेहतर व्यवस्था के लिए 65 परसेंट राशि तक खर्च की जाएगी।… (व्यवधान)

(1255/STS/GM)

पानी की एक-एक बूंद को बचाने का काम होगा।… (व्यवधान) हम तालाब बनायेंगे, सिंचाई के कुएं बनायेंगे, माइक्रो इरिगेशन चैनल बनायेंगे।… (व्यवधान) सामुदायिक जल भराव भूमि का सुधार करेंगे, वृक्षारोपण करेंगे। एक पेड़ मां के नाम अभियान पर्यावरण को बचाने काम करेगा।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी कैटेगरी में हम सड़कें बनायेंगे, पुलिया बनायेंगे, ग्राम पंचायत भवन, आंगनबाड़ी भवन, ग्रामीण पुस्तकालय, विद्यालय का निर्माण, किचन शेड, स्कूल में अतिरिक्त कक्ष, प्रयोगशाला, स्कूल परिसर की दीवारें, खेल के मैदान … (व्यवधान) शांति धाम, सामुदायिक काम, सोलर लाइट, ग्रामीण पार्किंग क्षेत्र, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के आवास, जल-जीवन मिशन के अधीन किए गए काम … (व्यवधान) केवल इतने ही नहीं, ये काम तो हम करेंगे और आजीविका से संबंधित काम भी करेंगे।… (व्यवधान) प्रधानमंत्री जी ने हर दीदी को लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया है । … (व्यवधान) दो करोड़ बन गयी हैं। अब तीन करोड़ बनाने वाले हैं। इसे बढ़ाते हुए एक दिन ऐसा आएगा, जब देश की किसी बहन की आंखों में आंसू नहीं होंगे, हर चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। … (व्यवधान)

इसीलिए आजीविकामूलक काम, ग्रामीण हाट, प्रशिक्षण सह कौशल विकास केन्द्र, खाद्यान के लिए ग्रेन स्टोरेज बिल्डिंग, कृषि उत्पाद भंडार, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए स्ट्रक्चर, सीड भंडारण यूनिट, स्वयं सहायता समूह तथा हमारे एफपीओ के लिए भवन, कम्पोस्ट खाद, चारागाह घास, … (व्यवधान) घास के मैदान, डेयरी अवसंरचना, मवेशियों, बकरियों और मुर्गीपालन तथा अन्य पशुधन के लिए आश्रायों का विकास, मत्सयपालन संबंधी अवसंरचना और नर्सरी को बढ़ाने का भी काम किया जाएगा, ताकि लोगों को रोजगार मिले। … (व्यवधान)

यह तो केवल गरीब रखना चाहते थे। … (व्यवधान) गरीबी हटाओ का वर्ष 1971 में इंदिरा जी को याद आया। … (व्यवधान) गरीबी हटाओ का नारा दे दिया, लेकिन गरीबी नहीं हटाई।

इन्होंने गरीब को हटाने का काम किया। उसके 25 वर्ष बाद इनको मनरेगा की याद आयी। ... (व्यवधान) हम आजीविकामूलक काम करके गरीबी हटाने का काम करेंगे। ... (व्यवधान) चक्रवात और बाढ़ की स्थिति में नहर तक बंद आपदा निवारण कार्यों का निर्माण, बाढ़ प्रबंधन के लिए तालाब और जल संरचना को मजबूत करेंगे। ... (व्यवधान) आपदा के बाद ग्रामीण सड़कों और सामुदायिक संपत्तियों का पुनर्वास करेंगे। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपदा से निपटने के सारे प्रबंध भी इसके अंतर्गत करने का काम मोदी जी की सरकार करेगी। ... (व्यवधान) मैं निवेदन करना चाहता हूं। ... (व्यवधान) यह एससी-एसटी और कमजोर वर्गों की बात कर रहे थे। ये नरेन्द्र मोदी जी हैं, जिन्होंने विधवा को 'कल्याणी' नाम दिया। ... (व्यवधान) जिन्होंने विकलांग को 'दिव्यांग' नाम दिया। चाहे वह अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, अन्य पिछड़ा वर्ग हो, समाज के कमजोर वर्ग के लोग हो, दिव्यांग हो, सबके लिए हमने विशेष प्रावधान किए हैं। ... (व्यवधान) उनके लिए विशेष जॉब कार्ड नहीं, रोजगार गारंटी कार्ड बनाये जायेंगे और कम काम करने पर भी उन्हें ज्यादा मजदूरी देने का काम किया जाएगा। ... (व्यवधान) गरीबों के और कमजोर वर्गों के हित पूरी तरह से सुरक्षित रखने का काम हमने इस विधेयक में किया है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के जो मानवीय चेहरे हैं, जो सबसे पीछे और सबसे नीचे हैं, वे हमारे लिए सबसे पहले हैं। हम पंडित दीन दयाल उपाध्याय के अनुयायी हैं। ... (व्यवधान) वे कहते थे कि यदि दीनों की सेवा कर ली, दुखियों की सेवा कर ली और गरीबों के आंखों के आंसू पोंछ लिए तो गरीबों के उन्हीं आंखों में तुम्हें साक्षात नारायण के दर्शन होंगे, ... (व्यवधान) साक्षात भगवान के दर्शन होंगे। ... (व्यवधान) यह दरिद्र ही हमारा नारायण है, गरीब ही हमारा भगवान है, जनता ही हमारी जर्नादन है। ... (व्यवधान) उसकी सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मोदी जी के नेतृत्व में, मैं कहना चाहता हूं कि इस योजना के अंतर्गत बहुत सारे काम होंगे। ... (व्यवधान) एक बात मैं और कहना चाहता हूं, गांधी जी की बात करने वालों ने कब गरीबों के लिए काम किए? ये नरेन्द्र मोदी जी की सरकार है। ... (व्यवधान) प्रधानमंत्री आवास बनाकर 4 करोड़ गरीबों को घर देने का काम नरेन्द्र मोदी जी ने किया। ... (व्यवधान)

(1300/MM/HDK)

स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 11 करोड़ शौचालय बनाए गए। ... (व्यवधान) उज्ज्वला योजना ने बहनों की जिंदगी बढ़ा दी और जिंदगी बदल दी।... (व्यवधान) दस करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए।... (व्यवधान) जल जीवन मिशन में 14 करोड़ 90 लाख घरों को नल से जल दिया गया।... (व्यवधान) आयुष्मान भारत में 36.9 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा हुआ। आयुष्मान आरोग्य मंदिर डेढ़ लाख प्राइमरी केयर और सस्ती दवाई देने वाले सेंटर बन गए।... (व्यवधान) मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ लोन बांटे गए।... (व्यवधान) सौभाग्य योजना में सौ परसेंट विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया गया। ... (व्यवधान) रिन्युएबल एनर्जी का विस्तार

किया गया और 2.2 गीगावाट से बढ़कर 73.32 गीगावाट हो गयी।... (व्यवधान) पीएम जनधन खातों ने गरीब की जिंदगी बदल दी। प्रधानमंत्री जी ने 34 लाख करोड़... (व्यवधान) स्किल इंडिया के तहत 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग दी गयी।... (व्यवधान) अटल पेंशन योजना 7.65 करोड़ लोगों को लाभ मिला। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना 81 करोड़ को नि:शुल्क राशन देने का चमत्कार नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने किया। ... (व्यवधान) पीएम किसान सम्मान निधि 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को देने का काम किया गया।... (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, यूपीए बनाम एनडीए अगर आप देखेंगे... (व्यवधान) कल जनजाति की बात कर रहे थे, आपका बजट 4295 करोड़ रुपये का बजट था, हमने उसे 13 हजार करोड़ रुपये कर दिया। ... (व्यवधान) महिला और बाल विकास का आपका 20 हजार करोड़ रुपये का बजट था, हमने उसे 26 हजार करोड़ रुपये कर दिया।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, महिला हो, गरीब हो या किसान हो सबकी जिंदगी बदलने का काम अगर किसी ने किया है तो माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने किया है।... (व्यवधान) इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने तो बापू के आदर्शों को मारने का काम किया, लेकिन नरेन्द्र मोदी जी ने बापू के आदर्शों को जिंदा रखने का काम किया।... (व्यवधान) बापू आज जिंदा है- प्रधानमंत्री आवास योजना के मकानों में है।... (व्यवधान) बापू आज जिंदा है - जल जीवन मिशन के कामों में।... (व्यवधान) बापू आज जिंदा है- स्वच्छ भारत मिशन में।... (व्यवधान) बापू आज जिंदा है- उज्ज्वला योजना में, जहां दस करोड़ रसोई घरों से धुएं का अंधेरा हटा और मां की सांसे सुरक्षित हुईं और बहनों के चेहरों पर मुस्कान खिली।... (व्यवधान) बापू आज जिंदा है- आयुष्मान भारत में, जहां 36.9 करोड़ से अधिक लोगों को इलाज का भरोसा मिला।... (व्यवधान) बापू जिंदा है- आयुष्मान आरोग्य मंदिर में, जहां डेढ़ लाख से ज्यादा केन्द्र सस्ती दवाइयां दे रहे हैं। ... (व्यवधान) बापू आज जिंदा है- पीएम जन-धन योजना और डीबीटी में, गरीबों के खाते में सीधा 34 लाख करोड़ रुपये पहुंचे हैं। ... (व्यवधान) बापू आज मुद्रा योजना में जिंदा है, बापू सौभाग्य योजना में जिंदा है, बापू स्किल इंडिया मिशन में जिंदा है, बापू अटल पेंशन योजना में जिंदा है, बापू आज पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना में जिंदा है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, बापू तस्वीरों में नहीं, चिट्ठियों में नहीं, भाषणों और पोस्टरों में नहीं, अपितु बापू उन कामों में जिंदा है जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचते हैं। ... (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, बापू आज हम सभी के हृदयों में एक विचार बनकर जिंदा है।... (व्यवधान) बापू के आदर्शों को ही इस योजना में हमने क्रियान्वित करने का काम किया है, जो गरीब की जिंदगी बदलेगी।... (व्यवधान) 60 और 40 का शेयर इसलिए है कि इससे राज्यों की सहभागिता बढ़े।... (व्यवधान) वे भी जिम्मेदारी का अनुभव करें और किसान के काम के समय योजना के काम को स्थगित रखने का काम इसलिए किया ताकि किसानों की खेती का काम प्रभावित न हो। ... (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, एक नये भारत का काम नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। गरीबों के कल्याण में यह योजना एक महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी।... (व्यवधान)

कौन कहता है कि

आसमान में सुराख नहीं होता
एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो।

महोदय, मैं इन निराश और हताश लोगों को अटल जी की पंक्तियां सुनाकर अपनी बात समाप्त करता हूं-

'गीत नया गाता हूं
टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर
पत्थर की छाती मे उग आया नव अंकुर
झरे सब पीले पात कोयल की कुहुक रात
प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं
गीत नया गाता हूं'

महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इनके हंगामे से-

'हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा
काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं
गीत नया गाता हूं।'

विकास का गीत, जनकल्याण का गीत, गरीब कल्याण का गीत। बहुत-बहुत धन्यवाद। … (व्यवधान)

(इति)

(1305/MK/PS)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, श्री के. राधाकृष्णन, प्रो. सौगत राय, श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, श्री के. सी. वेणुगोपाल, श्री डी. एम. कथीर आनंद, श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील, श्री अरुण नेहरू, डॉ. कडियम काव्य, सुश्री एस. जोतिमणि, श्री बैन्नी बेहनन, श्री ससिकांत सेंथिल, श्री हैबी ईडन, श्री अब्दुल रशीद शेख एवं सुश्री इकरा चौधरी, इन सभी माननीय सदस्यों ने विभिन्न खंडों पर अपने-अपने संशोधन दिए हैं। अगर वे प्रस्तुत करना चाहते हैं तो अपनी-अपनी सीट्स पर चले जाएं, अन्यथा मैं सभी खंडों को एक साथ ले रहा हूं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि प्रत्येक ग्रामीण गृहस्थों को, जिसके व्यस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक सौ पच्चीस दिन की कानूनी गारन्टी मजदूरी नियोजन उपलब्ध कराकर, विकसित भारत @2047 के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ संरेखित ग्रामीण विकास कार्य ढांचे को स्थापित करने के लिए; समृद्ध और समनुत्थानशील ग्रामीण भारत के लिए सशक्तिकरण, विकास अभिसरण तथा संतृप्तिकरण का संवर्धन करने के लिए; तथा उससे ससंक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 37 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 37 विधेयक में जोड़ दिये गये।

... (व्यवधान)

पहली अनुसूची

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

" कि पहली अनुसूची विधेयक में जोड़ दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पहली अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई ।

दूसरी अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र, उद्देशिका और नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए।

... (व्यवधान)

श्री शिवराज सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही कल शुक्रवार, दिनांक 19 दिसंबर, 2025 को प्रात: ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1307 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार,19 दिसंबर, 2025 / 28 अग्रहायण, 1947 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।